

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): उपसभापति महोदय, आज सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। 25 फरवरी को संसद के केन्द्रीय कक्ष में आकर महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित किया था। उस संबोधन के लिए हम उनके प्रति एक धन्यवाद का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, आप जानते हैं कि अभिभाषण में कही गयी बातें राष्ट्रपति जी के अपने विचार नहीं होते, वह सरकार का बयान होता है इसलिए इस अभिभाषण पर मैं जो भी टिप्पणी करूंगी, उसमें राष्ट्रपति जी के प्रति कोई असम्मान का भाव नहीं होगा बल्कि सरकार के कार्यकलाप पर मेरी प्रतिक्रिया होगी। उपसभापति महोदय, मैं एक मानसिक कष्ट के साथ अपनी बात शुरू करने जा रही हूँ। यह अभिभाषण 28 पृष्ठों में और 72 पैराग्राफ्स में लिखा गया है लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन 72 पैराग्राफ्स में से एक भी पैराग्राफ महिलाओं के बारे में नहीं है। 10 हजार से ज्यादा शब्दों का यह अभिभाषण है। तीन अक्षर का शब्द होता है, महिला - म, हि और ला - पूरे के पूरे अभिभाषण के 28 पन्ने आप पढ़ लीजिए, अगर आपको कहीं महिला शब्द दीख भर जाए। जिस समय राष्ट्रपति जी यह भाषण पढ़ रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब उसमें कहीं मुझे महिला शब्द सुनाई नहीं दिया तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मुझसे सुनने में चूक हुई होगी क्योंकि ऐसी गलती सरकार नहीं कर सकती। हो सकता है कि मेरा ध्यान बंट गया हो। लेकिन उपसभापति जी, मैंने घर जाकर जब यह भाषण प्रारम्भ से लेकर अंत तक पढ़ा तो पाया कि चूक मुझसे सुनने में नहीं हुई थी, चूक सरकार से हुई थी। और यह कोई साधारण चूक नहीं है। देश की आधी आबादी सरकार की सोच से गायब हो जाए और वह भी तब, जब कि कांग्रेस पार्टी, जिसके नेतृत्व में यह सरकार चल रही है, उसकी अध्यक्ष महिला हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसकी बार-बार दुहाई दी जाती है, उसको अमली-जामा पहनाने वाली समिति की अध्यक्ष महिला हैं। मुझे तो लगता था कि इस अभिभाषण में महिला आरक्षण विधेयक की बात होगी, शायद राष्ट्रपति जी सब सांसदों से उसको पारित करने की अपील करेंगे लेकिन महिला आरक्षण की बात तो छोड़िए, महिलाओं के उत्थान और कल्याण से संबंधित जो रूटीन पैराग्राफ्स भी हर अभिभाषण में लिखे जाते हैं, वे भी इसमें नहीं हैं। इसमें सब वर्गों का जिक्र है, आदिवासियों का, अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का, विकलांगों का, खिलाड़ियों का, अगर एक कोई वर्ग है जिसके लिए कोई पैरा समर्पित नहीं है तो वह है महिला। इसीलिए मैंने एक संशोधन दिया है। मेरे साथियों ने बीस-बीस, तीस-तीस संशोधन दिए हैं, मैंने केवल एक संशोधन दिया है जिसमें यह कहा है कि मुझे खेद है कि पूरे अभिभाषण में महिलाओं का कोई उल्लेख नहीं है। मैं आपके माध्यम से, सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगी कि कम से कम वे इस संशोधन को स्वीकार करके अपनी भूल को जरूर सुधार लें। मैं सदन के तमाम साथियों से भी यह करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि इस संशोधन को पारित कर दें, ताकि भविष्य में कम से कम कोई सरकार ऐसी चूक न कर सके, ऐसी भूल न कर सके। इस कष्टदायक नोट के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। यह अभिभाषण सुनामी-त्रासदी के

उल्लेख से शुरू होता है। इतनी बड़ी विपत्ति देश पर आई तो स्वाभाविक है कि उसका उल्लेख सबसे पहले होना चाहिए था। सुनामी त्रासदी के बारे में हमने दृढ़ संकल्प की बात कही है, ताकि हम उसका सामना कर सकें। सुनामी त्रासदी के बारे में हमने उन संगठनों की सराहना की है जिन संगठनों ने राहत कार्य में काम किया है। लेकिन महोदय, सुनामी त्रासदी के समय में सरकार की कार्यशैली पर भी कुछ प्रश्न उठे हैं। मैं उनकी चर्चा भी यहां करना चाहती हूं। पहला प्रश्न समय पर सूचना न देने का उठा है। यह सच है कि भारत उस तंत्र का हिस्सा नहीं है, जो सुनामी जैसी विपत्ति की पूर्व सूचना देता है। इसलिए हमें समय पर सूचना नहीं मिल सकती थी। लेकिन यह भी सच है कि जब समुद्र में भूकम्प आता है तो उसके ढाई घंटे बाद सुनामी लहरें उठती हैं। हमें ढाई घंटे पहले पता चल गया था कि इंडोनेशिया में भूकम्प आ गया है। हमें यह भी पता है था कि भौगोलिक दृष्टि से इंडोनेशिया के साथ अंडमान-निकोबार बिल्कुल सटा हुआ है, एक ही महासागर है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि वे ढाई घंटे क्यों व्यर्थ किए गए? उन ढाई घंटों का उपयोग करके, यदि हम समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को यह पूर्व सूचना दे देते तो बहुत बड़ी तबाही से बचा जा सकता था। मैं यह नहीं कहती कि उससे जान-माल की तबाही रूकती, लेकिन इंसानी जानें जरूर बच सकती थीं। जो प्रियजन पानी के बहाव में बह गए, हम उन प्रियजनों को बचा सकते थे। लेकिन समय पर सूचना न देकर एक गलती की है और दूसरी गलती गलत सूचना देने की है। चार दिन के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सुनामी दोबारा आने वाला है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि "no, it is a hogwash" hogwash का हिंदी अनुवाद का जो शब्द होता है, बल्कि वह असंसदीय शब्द है।

इसलिए मैं उसका प्रयोग नहीं कर रही हूं और अंग्रेजी का ही प्रयोग कर रही हूं। दो मंत्रालयों में एक ही पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी आपस में भिड़ गए, आपस में उलझ गए और यही नहीं कि केवल उनसे कोई गलती ही हुई बल्कि उस गलती से राहत कार्य भी बाधित हुआ। जो राहत कर्मों वहां पर काम करने के लिए पहुंचे हुए थे, वे अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। मेरे नेता विपक्ष, जसवन्त सिंह जी स्वयं इसके भुक्तभोगी हुए। वे उसी दिन अंडमान व निकोबार पहुंचे थे। वहां के लोगों ने कहा कि सब लोग पहाड़ी पर चले गए हैं और आप भी पहाड़ी पर चले जाएं क्योंकि सुनामी आने वाला है। उनकी फौज की पुरानी ट्रेनिंग थी, इसलिए उन्हें मालूम था और उन्होंने संयम बरता, मीडिया के लोगों के माध्यम से सबको इकट्ठा करके कहा कि आप लोग संयम से काम लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं यह कहना चाहती हूं कि प्राकृतिक आपदाएं तो देश में आती रहती हैं। हम यहां स्वयं को महिमा मंडित तो कर रहे हैं, लेकिन महिमा मंडित करते हुए इस तरह की भूलों को नजर अंदाज न करें और इस तरह की भूलों की पुनरावृत्ति न होने दें। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उपसभापति जी, हमने सुनामी सम्बंधित पैरा-7 में जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है और कहा है कि जनता ने उदार प्रतिक्रिया दिखाकर यह दिखा दिया है कि हमारे राजनैतिक और सामाजिक वातावरण में आमूल-चूल बदलाव आया है। मुझे इस पैराग्राफ की भाषा पर बहुत आपत्ति है। यह आमूल-चूल बदलाव शब्द लिखने वाला व्यक्ति शायद हिन्दुस्तान की मिट्टी को नहीं समझता है। यह भारत भूमि है। जहां व्यक्तिगत रंजिशों को भी भुलाकर, यदि पड़ोसी को दुख हो जाए तो उसका दुख बांटने पहुंच जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या उड़ीसा के झंझावात

के बाद, क्या गुजरात के भूकम्प के बाद, जनता ने यह प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी? आप हर चीज को सरकारी चश्मे से क्यों देखते हैं? बदलाव आया है, का मतलब है कि क्या यह चीज कहीं चली गई थी, सरकार के बदलने के साथ बदल गई? महोदय, ये भारत के मूल तत्व हैं। ये सरकारों के आने-जाने से नहीं बदलते। मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस तरह की चीजों को सरकारी चश्मे से देखना बंद करिए। अगर आप इसे भारत की सभ्यता और संस्कृति से चश्मे से देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि ये भारत की मिट्टी में कूट-कूट कर भरे हैं। इसी तरह की भाषा का तेवर पैरा-8 में भी अपनाया गया है, 'राजनैतिक मुख्यधारा में निहित बहुलवाद, सर्वसमावेश, पंथनिरपेक्षता तथा समता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक वृद्धि की और वापसी यूपीए सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है।' ये गुण कहां लुप्त हो गए थे, जो सरकार की वापसी के साथ वापस आए हैं। उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह सरकार सर्वसमावेश की तो बात करती है। आप सर्वसमावेश समाज क्या बनाएंगे, आप तो सर्वसमावेश सरकार नहीं चला सकते। बहुलवाद का सबसे बड़ा प्रतीक गठबंधन सरकार होती है, क्योंकि उसमें भांति-भांति की पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, तरह-तरह के भाषा-भाषी, तरह-तरह की विचारधारा वाले लोग उसमें शामिल होते हैं, लेकिन आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं? मंत्रियों में रोज सिर फुटव्वल होती है और जिस तरह की गैर शालीन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उससे तो लगता है कि वे एक-दूसरे के जानी-दुश्मन हैं। फाइलें खोलकर-खोलकर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है और सरकार के मुखिया मौन साधे बैठे रहते हैं। अगर पूछो तो कहते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं। अगर झकझोरो तो कहते हैं कि उनसे मैंने पूछ लिया था, वे कहते हैं कि हमने ऐसा कहा ही नहीं था। वे भूल जाते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कहा जाता है, वह एक-एक शब्द कैमरे में कैद हो जाता है। उनका यह कहना कि हमने यह कहा ही नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन दोनों बयानों को, इंकार और इकरार, दोनों बयानों को साथ-साथ दिखाता है और चुस्कियां लेता है। उपसभापति जी, मैं पैरावार टिप्पणी पूरे बहत्तर पैराग्राफ्स पर तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर पूरे बहत्तर पैराग्राफ्स पर दो-दो मिनट भी लगाऊं तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए चुंबिंदा पैराग्राफ्स की बात यहां करना चाहूंगी। मैं पैरा बीस पर आती हूँ। पैरा बीस पर कृषि और किसानों की बात कही गई है। आप भाषा देखिए, पूरा देश इस विपत्ति से अत्यंत व्यथित था, जिसने देश के कुछ भागों में कुछ किसानों को हताश होने और आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। ऐसे लिखा गया है, जैसे कि बीती हुई बात हो, ऐसे लिखा गया है, जैसे यह अतीत काल की बात हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि यह अतीत नहीं है, वर्तमान है, काला वर्तमान। एक भयंकर सच आपके सामने मुंह बाए खड़ा है। यह भूतकाल नहीं है, यह आज की हकीकत है। आप यह किताब देख रहे हैं, यह किताब आंध्र प्रदेश से आई है। इस किताब में दो हजार लोग, जो भूख से मर गए, दो हजार लोग, जिन्होंने आत्महत्याएं कीं, नाम, पते और जिलों के साथ, तारीख भी दी गई है, कौन-कौन सी तारीख को किसने आत्महत्या की, कौन-कौन सी तारीख को कौन भूख से मरा, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने ऋण प्रवाह में वृद्धि कर दी। अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यह ऋण ही उनकी आत्महत्याओं

का कारण बना, यह कर्जा ही उनकी आत्महत्याओं का कारण बना। उपसभापति जी, जिस तरह से कृषि चीजों के मूल्य कम हो रहे हैं। सारे के सारे किसानों के उत्पाद, सरसों का भाव, नरमे का भाव, जिसे कपास कहते हैं, हमारे यहां की भाषा में नरमा कहते हैं, मिर्ची का भाव कितना नीचे गया है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बजाए अपने आपको शाबासी देने के आप इस सच का सामना कीजिए और इस सच का समाधान करने में कुछ कदम आगे बढ़ाने की बात कीजिए।

उपसभापति जी, अब मैं पैरा छब्बीस पर आती हूँ, जहां लोकतंत्र के प्रति सरकार की वचनबद्धता की बात कही गई है। मुझे पढ़कर हंसी आई। गोवा और झारखंड में लोकतंत्र का सर्वनाश करने वाले लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि गोवा और झारखंड में जो हुआ, वह भारत के संसदीय इतिहास में शर्मनाक पन्नों पर लिखा जाएगा। वैसे तो निर्वाचित सरकारों को गिराना कांग्रेस का पुराना खेल रहा है, लेकिन जो गोवा में हुआ है, वैसी धांधली पहले न कभी देखी थी और न कभी सुनी थी। पांच मिनट पहले टी.वी. पर खबर आती है कि मनोहर परिवर्कर ने विश्वास मत हासिल किया और पांच मिनट बाद उसी टी.वी. पर खबर आ जाती है कि गोवा के राज्यपाल ने परिवर्कर सरकार को बर्खास्त किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि मनोहर परिवर्कर का क्या गुनाह था? क्यों गिराई उनकी सरकार? क्या यह गुनाह था कि वे घोर अस्थिरता के शिकार गोवा को स्थिरता प्रदान कर रहे थे? क्या यह गुनाह था कि वे ईमानदाराना शासन चला रहे थे? क्या यह गुनाह था कि वे भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस रहे थे? ये लोग पूछ सकते हैं कि हमने कहां गिराई, लेकिन अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जिन लोगों ने असेम्बली से इस्तीफा दिया, ऐसे दो लोगों को विधायक न रहते हुए मंत्री बनाने वाला अगर सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? उपसभापति जी, इस देश में चुनाव सुधार की बहुत दिनों तक चर्चा हुई। एन.डी.ए. सरकार ने चुनाव सुधार की दिशा में बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए थे। उसमें से एक बिल वह था जो एंटी डिफेक्शन लॉ को मजबूत करता था। इसमें हमने यह प्रावधान किया था कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है तो केवल सदन की सदस्यता से अयोग्य करार नहीं होगा, उस असेम्बली का कार्यकाल रहने तक वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद को प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह विधेयक दोनों सदनों ने पारित किया था। लोगों ने कहा था कि यह एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, एक क्रांतिकारी पहल है। लेकिन आज उस विधेयक की मार से बचने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने उस विधेयक की बाई-पास सर्जरी कर दी। आज उसने यह कर दिया कि ठीक है, आप पार्टी से इस्तीफा मत दो, आप असेम्बली से इस्तीफा दे दो, पूरी की पूरी स्टैंथ कम कर दो, उसके बाद हम तुम्हें मंत्री बना देंगे क्योंकि संविधान यह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सदन का सदस्य न हो तो वह 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। उनसे इस्तीफे दिलवाए गए, वे सदस्य नहीं रहे और उनमें से दो लोगों को मंत्री बनाया गया और आप बात करते हैं लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता की।

उपसभापति जी, दूसरा कांड झारखंड में हुआ। भाजपा और जदयु का गठबंधन 36 सीटें जीतकर आया, कांग्रेस और JMM का गठबंधन 26 सीटें जीतकर आया, क्योंकि RJD, pre-poll alliance में, चुनाव पूर्व गठबंधन में शामिल नहीं थी। अगर उनके भी 8 जोड़ दें, तो 34 होते हैं। हम राज्यपाल

के पास दावा करने गए। राज्यपाल ने कहा कि बहुमत की सूची दो, पहले 41 की सूची लाओ, तब मैं तुम्हें शपथ दिलाऊंगा। हमने सूची नहीं दी, हमने 5 जीते-जागते लोग ले जाकर पेश कर दिए, दिखा दिए, खड़े कर दिए। हमने जीवंत प्रतिमाएं राजभवन में उपस्थित कर दीं कि ये लीजिए 41 लोग, 36 हमारे जीते हुए और 5 ये, कुल मिलाकर 41 लोग गिन लीजिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 34 वालों को बुलाकर शपथ दिलवाई। आप बात करते हैं लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता की। कल यहां प्रभा ठाकुर बोल रही थीं कि नीतीश कुमार के समय में क्या हुआ था, अटल जी के समय क्या हुआ था... (व्यवधान) हां, मैं बता रही हूं, आप अपने facts ठीक करिए, मैं बताती हूं कि क्या हुआ था, इसीलिए मैंने यह प्रश्न उठाया है। नीतीश कुमार के समय RJD के पास एक सीट ज्यादा नहीं थी, जब नीतीश कुमार ने 156 लोग दिखा दिए थे, तब बुलाया गया था... (व्यवधान) जहां तक अटल जी का सवाल है, आप लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता की बात कहते हैं, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का ही पैराग्राफ पढ़ रही हूं, मैं कोई irrelevant बात नहीं कह रही हूं। इसमें सरकार ने कहा है और राष्ट्रपति जी के मुखारविंद से कहलवाया है कि आपकी सरकार लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध है, तो यहां आपके सामने उसकी कलाई नहीं खोलूंगी? मैं कोई पुरानी बातें नहीं कह रही हूं, पिछले एक माह की घटनाएं बता रही हूं।

उपसभापति जी, झारखंड में जिस तरह से 34 लोगों के दल को शपथ दिलवाई गई, वह दुर्भाग्यपूर्ण था। नीतीश कुमार जी की बात मैंने बताई और मैं अटल जी की बात कह रही थी, मैं आपके माध्यम से प्रभा जी को और सारे सदन को बताना चाहती हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने आप जाकर प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेकर आए थे, तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी ने सबसे बड़े दल को बुलाने की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्हें दावत दी थी। उस समय श्री शंकर दयाल शर्मा जी, महामहिम राष्ट्रपति थे और कभी उनका भाजपा से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहा था। जब अटल जी 13 दिनों के बाद बहुमत नहीं जुटा पाए तो फूलों की तरह सरकार सौंपकर चले आए थे... (व्यवधान)

श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश): यूंपी० में क्या हुआ था?

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, आज भी भारत के राजनीतिक समीक्षक जब भारत के लोकतंत्र की बड़ाई करते हैं तो इसे वोट करते हैं, इसका उद्धरण देते हैं कि भारत के अंदर यह हुआ कि एक वोट से सरकार गिरी, तब भी और 13 दिन के अंदर बहुमत न जुटा पाने के कारण सरकार गिरी, तब भी सत्ता का हस्तांतरण इतनी शालीनता से हो गया कि किसी तरह का खून नहीं बहा। उस समय के सत्ता के हस्तांतरण की आज भी लोग तारीफ करते हैं लेकिन उन्हीं राजनीतिक समीक्षकों ने संपादकीय लिखे हैं, बड़े-बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बोल-बोलकर कहा है कि त्याग, तपस्या और बलिदान की दुहाई देने वाला कांग्रेसी नेतृत्व आज हर हथकंडा इस्तेमाल करके सत्ता हथियाना चाहता है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यही है आपकी लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता? उस सबके बाद जब आलोचना होती है तो एक के बाद एक, सब पल्ला झाड़ लेते हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष कहती हैं कि राज्यपालों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। दिक्कत यह है कि राज्यपाल तो संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन उनका संविधान* पर रखा है। वहां से जिस तरह की बात पढ़ाई जाती है, उस तरह का आचरण राजभवनों में किया जाता है।

*Expunged as ordered by the Chair.

डा० प्रभा ठाकुर (राजस्थान): यह सरासर बेबुनियाद और गलत आरोप है...(व्यवधान)

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Are you permitting this, Sir? (Interruptions) Are you permitting this sentence to go on the record, Sir? (Interruptions)

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): This should be expunged. (Interruptions) This is an allegation. (Interruptions) This should be expunged, Sir. (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It has been expunged. (Interruptions) The words, * are expunged. (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज: और प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। यहां पर कामरेड नीलोत्पल बसु नहीं है, वे कह रहे थे कि अगर कोई ऐसी बात हुई थी तो आपको यहां विधायिका में चर्चा करनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में चर्चा न करके आप अदालत में चले गए।

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भारत के संविधान में जिन चेक्स एंड बैलेंसेज की व्यवस्था की गई है, उसमें न्यायपालिका सबसे प्रमुख है। भारत के संविधान ने न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी दी है कि वह कार्यपालिका और विधायिका को अपनी मनमानी करने से रोके, उस पर अंकुश लगाए। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हम हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई के तीन मोर्चे हैं—संवैधानिक, राजनीतिक और अदालती। हमने संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रपति के द्वार पर गुहार की, हमने राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए संसद की कार्रवाई ठप की और हमने...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: ट्रांसलेशन काम नहीं कर रहा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: और हमने अदालत में न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। तीनों जगह लड़ाई लड़ी।...(व्यवधान) संवैधानिक रास्ते से हमें थोड़ा सा समाधान मिला। राष्ट्रपति ने राज्यपाल को बुला कर हड़काया और कहा कि 21 से पहले मतदान कराओ। 15 को मतदान मिला। अदालत ने हमें कल न्याय दिया। और अदालत ने क्या कहा? आपको उस टिप्पणी के ऊपर* करनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर किसी एक्शन के अन्दर पहली ही नजर में दुर्भावना नजर आती है तो न्यायपालिका मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकती। यह कहा न्यायपालिका ने 'It is a fraud played on the Constitution'. संविधान के साथ फ्रांड किया गया। आप कहते हैं हम राजनैतिक लड़ाई लड़े।

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, the matter is *sub judice*. (*Interruptions*) The matter is pending in the court. Before any decision is taken, nothing can be said.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं तो कल की टिप्पणी की बात कर रही थी, मैं तो कल की टिप्पणी की बात कर रही हूँ।

श्री उपसभापति: सुषमा जी, आपके पास 10 मिनट बाकी है। ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, ... (व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, I am on a point of order. (*Interruptions*) Why cannot I raise a point of Order? (*Interruptions*) Sir, I am on a point of order. (*Interruptions*) Today morning (*Interruptions*) I need the protection of the Chair. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which rule? (*Interruptions*)

प्लीज, देखिए ... (व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): महोदय, सदन की कार्यवाही को

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, it is about your ruling in the morning (*Interruptions*) I would like to submit that in the morning when Shri Nilotpal Basu raised the issue, you made an observation that an All-Party meeting will be called. Now (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It should be discussed. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, you made an observation that it can be discussed. (*Interruptions*) On the same issue, which Mr. Nilotpal Basu raised in the morning. She is making an observation and bringing that subject for discussion in this House. Therefore, it cannot be permitted. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not that.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मैं आज के उनके मुद्दे पर बात नहीं कर रही हूँ। कल कामरेड नीलोत्पल बसु ने अभिभाषण पर बोलते हुए यह बात कही थी कि हम लेजिस्लेचर में क्यों नहीं बोले? Essentially, it is a matter of legislature. हम कोर्ट में क्यों गए, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। अगर आप कल बैठे थे तो आपने सुना होगा। मैं आज सुबह के मुद्दे पर नहीं बोल रही हूँ। ... (व्यवधान)

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): लेकिन इन्होंने उठाया था कि कोर्ट ने हाउस का प्रोसिडिंग मांगा था।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कल राष्ट्रपति अभिभाषण में नीलोत्पल बसु ने यह बात कही थी कि It is essentially a matter of legislature तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम अदालत में क्यों गए, मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जाती है और न्यायपालिका उस चेक्स और बैलेंसेज का सबसे प्रमुख अंग है। इसलिए हम अदालत में गए और अदालत से भी हमें न्याय मिला, संविधान से भी हमें न्याय मिला, लेकिन राजनैतिक दृष्टि से क्या न्याय मिला। अटल जी ने प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन जी से बात की, आडवाणी जी ने शिवराज पाटिल जी से, मनमोहन जी से और प्रणव मुखर्जी जी से बात की। हमारी सारे सीनियर लीडर्स से बात हुई। बार-बार हमें यह कहते रहे, बार-बार हमें यह आश्वासन दिया जाता रहा कि आप चिन्ता मत कीजिए, कुछ भी असंवैधानिक नहीं होगा, आप बिल्कुल चिन्ता मत कीजिए, कुछ भी असंवैधानिक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमने 1.30 बजे यहां सुना कि 34 व्यक्ति के नेता शिवू स्मरेन को बुला कर शपथ दिलवा दी। आप बात करते हैं लेजिस्लेचर के मामले न्यायालय में लाएं। तो यहां चर्चा करें और घर चले जाएं? ... (व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If there is a point of order, please quote the rule. (Interruptions)... Mr. Narayanasamy, when your turn comes, then, you can refute it.

श्री मूल चन्द मीणा: महोदय, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ही बोल रही हूँ।

उपसभापति जी, मैं एक शब्द भी अप्रासंगिक नहीं बोल रही हूँ। जो कुछ इस अभिभाषण में लिखा है, पहले उसका पैरा पढ़ती हूँ और फिर अपनी टिप्पणी करती हूँ।

महोदय, इस सरकार की लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता का पैराग्राफ 26 जो राष्ट्रपति महोदय के मुखारबिंद से पढ़वाया गया है, मैं उस पर टिप्पणी करते हुए इनका शीश इन्हें दिखा रही हूँ। आप बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं और इस तरह की कार्यवाही करते हैं? लीडर ऑफ द अपोजीशन को कहते हैं कि कुछ भी गैर-संवैधानिक नहीं होगा और 34 व्यक्तियों के नेता को वहां बुलाकर शपथ दिलवा देते हैं। फिर हमें कहते हैं कि लेजिस्लेचर का काम क्यों बंद करवा दिया? हमें राष्ट्रपति जी का पैराग्राफ 72 दिखाते हैं। महोदय, जब मैं संसदीय कार्य मंत्री थी, उस समय का पूरे-का-पूरा रिकॉर्ड निकालकर लायी हूँ। महोदय, एन०डी०ए० के पूरे कार्यकाल में राज्य सभा की कार्यवाही 300 घंटे बंद रही थी और लोकसभा 420 घंटे बंद रही थी।

SHRI V. NARAYANASAMY: Who was responsible for it? ...*(Interruptions)*.. You were responsible for it ...*(Interruptions)*..

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, इसे कहते हैं, “मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू।” जब आप इधर विपक्ष में बैठें तो यहां सदन की कार्यवाही रोकना आपका जन्म-सिद्ध अधिकार है और जब हमारे साथ होने वाले अन्याय पर हम आवाज उठाएं तो हमें प्रवचन दिए जाएंगे कि आप यहां कार्यवाही चलने दीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हम यहां प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए हैं। महोदय, मैं तो जो बात वहां कहलवायी गयी है उसकी असलियत यहां रख रही हूँ।

उपसभापति जी, अब मैं अगले पैराग्राफ पर आती हूँ। 27वें पैराग्राफ से इस पूरे-के-पूरे अभिभाषण इनफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र है- रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर। एअरपोर्ट्स का इनफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों का इनफ्रास्ट्रक्चर और टैलिकॉम का इनफ्रास्ट्रक्चर। इसमें करीब 5-10 पैराग्राफ इनफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखे गए हैं। महोदय, मैं यहां सरकार से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभिभाषण लिखवाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखे कि अभिभाषण के बाद अभिभाषण पर चर्चा शुरू होने से पहले बजट प्रस्तुत हो जाता है। जहां अभिभाषण नीतियों को रेखांकित करता है वहीं बजट उन नीतियों को अमली-जामा पहनाने के लिए पैसे का प्रावधान करता है। अगर अभिभाषण स्वप्न दिखाता है तो बजट उन स्वप्नों को साकार करने का ज़रिया बनाता है। लेकिन आप ये सारे पैराग्राफ्स पढ़ लीजिए और इसे बजट की कसौटी पर तौलिए। इस बजट में जो बड़े-बड़े स्वप्न दिखाए गए हैं, वे बजट के साथ ही ध्वस्त होते जा रहे हैं। आप इनफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हम देश में बहुत बढ़िया संरचना खड़ी करेंगे-बंदरगाहों की, विद्यालयों की और अस्पतालों की संरचना खड़ी करेंगे, लेकिन जब वित्त मंत्री जी बजट पेश करते हैं तो सारे निर्माण कार्य की गतिविधियों पर सर्विस टैक्स लगा देते हैं। निर्माण कार्य में खुदाई पर, ढुलाई पर, मलवा उठवाई पर सर्विस टैक्स लगा देते हैं। महोदय, जब इन तमाम कार्यों पर सर्विस टैक्स लगेगा तो क्या ये कंस्ट्रक्सन एक्टिविटीज तीन गुना महंगी नहीं हो जाएंगी? क्या इनफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट तीन गुना नहीं बढ़ जाएगी? आप इस इनफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ला सकेंगे? इसलिए बजट बनाते समय कम-से-कम यह तो ध्यान रख लें कि तीन दिन पहले हमने राष्ट्रपति महोदय से क्या कहलवाया है या हम उसके लिए बजट में जरिए बना रहे हैं या नहीं? फिर केवल इनफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, अगले पैराग्राफ में रोजगार की बात है और यह कहा है कि इस अभिभाषण में इनफ्रास्ट्रक्चर के बाद दूसरा बड़ा लक्ष्य रोजगार जुटाने का है। महोदय, यह एक्सपेंडीचर बजट है। महोदय, मैं यहां केवल दो चीजें पढ़ना चाहूंगी। उस दिन वित्त मंत्री जी ने जेंडर बजट की बहुत बात थी। मैंने सबसे पहले वह दस्तावेज देखा जिस में जेंडर बजट की बात थी। यह एक्सपेंडीचर बजट का पेज 50-51 है इसमें दो रोजगार की योजनाएं हैं- पहली है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसकी डिमांड नंबर 79 है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस में पिछले बजट में 360 करोड़ रुपए और इस बार घटकर

340 करोड़ कर दिए गए हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए पिछले बजट में 1377 करोड़ रुपए थे और अब 1080 करोड़ कर दिए गए हैं। महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ कि बजट और अभिभाषण में कोई सामंजस्य होगा कि नहीं? कोई तालमेल आप रखेंगे कि नहीं। आप इसमें कहते हैं कि हमने रोजगार गारंटी विधेयक बना दिया। रोजगार का जुगाड़? रोजगार गारंटी विधेयक से नहीं, उस पैसे से होगा, जिससे रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अगर केवल इन दो योजनाओं में और वह भी केवल महिलाओं वाली, यह पूरी योजनाओं का हिसाब अभी नहीं दे रही हूँ, केवल महिलाओं से संबंधित, 360 करोड़ को घटाकर 344 करोड़ कर देते हैं, 1377 करोड़ को घटाकर आप 1080 करोड़ कर देते हैं तो आप रोजगार कैसे जुटाएंगे। इसलिए मेरी यह आपत्ति है, मेरा यह चार्ज है कि जो चीजें अभिभाषण में कही गई हैं, वे केवल बड़ी-बड़ी हांकी गई हैं, लेकिन उसके लिए किसी तरह का माध्यम बजट के अन्दर नहीं रखा गया।.. (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: सुषमा जी, आपको कन्क्लूड करना पड़ेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, मैं समाप्त करूंगी। मुझे मालूम है, मेरा समय कम रह गया था इसलिए आप संकेत न करें, मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगी। उपसभापति जी, पैराग्राफ 35 स्वास्थ्य के बारे में लिखा गया है। पैरा 34 में स्वास्थ्य की देख-भाल की बात आप कर रहे हैं। मैंने इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ा और मुझे बहुत दुःख हुआ कि पोलियो और एड्स, जो दो बड़ी बीमारियाँ देश को ग्रस्त किए हुए हैं, उनके बारे में एक शब्द भी इस अभिभाषण में नहीं है। मैं पोलियो का जिक्र क्यों कर रही हूँ। मैं पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थी, आखिरी वर्ष में। हमारे लिए सन् 2004 का वर्ष बहुत ही क्रूशियल था। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की थी कि हम सन् 2004 में पोलियो के केसेज शून्य तक ले आएंगे। और फिर तीन वर्षों तक उस शून्य को बरकरार रखेंगे, ताकि सन् 2007 में हमें पोलियो मुक्त भारत का सर्टिफिकेट मिल जाये। इसलिए मैंने बहुत ही उत्सुकता से इस बार स्वास्थ्य का पैराग्राफ पढ़ा था कि मैं देखूँ कि वह पोलियो मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया। उपसभापति जी, एक शब्द भी पोलियो के बारे में नहीं है। क्या आपने उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की और अगर आपने उसकी प्राप्ति नहीं की तो उसका कारण तो बताइए। आप तो उसका कारण भी नहीं बता रहे हैं। पालियो के बारे में स्वास्थ्य का पैराग्राफ गौण हो जाएगा? वह भी सन् 2005 के अभिभाषण में, इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट था। हर फोरम में जाकर हमने कह रखा था कि सन् 2004 में भारत पोलियो मुक्त हो जाएगा और 2007 में सर्टिफिकेट ले लेंगे, लेकिन आप टोटली चुप्पी साधे हुए हैं और इसी तरह एड्स के आंकड़ों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के आंकड़ों को लेकर चिन्ता रहती है। इसलिए हम हर बार, जो एड्स से लड़ने का संकल्प है, उसका जिक्र किया करते हैं, उसका उल्लेख किया करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि यह अभिभाषण विदेशी दूतावासों में जाता है। हर एम्बेसी में पढ़ा जाता है और जो लोगों की प्राथमिकताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत की वह देखना चाहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पोलियो, एड्स जैसी चीजों

के बारे में क्या लिखा गया? लेकिन यह विदेशी दूतावासों में जाएगा तो वे आपकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहेंगे? आपने अपनी कोई प्राथमिकता न एड्स से लड़ने की बतायी है और न पालियो समाप्ति के लक्ष्य के बारे में कोई बात कही है। इससे आगे मैं पैरा 45 पर आती हूँ। पैरा 45 में आतंकवाद की बात कही गई है। मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि पैराग्राफ के प्रारंभ में लिखा है कि हम आतंकवाद से लड़ने का संकल्प रखते हैं और उसके आगे आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं, पोटा जैसे कानून आतंकवाद निवारण अधिनियम समाप्त करने के लिए सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ..(व्यवधान)...

प्रो० सैफुद्दीन सोज (जम्मू और कश्मीर): उपसभापति महोदय, वह तो जंगल कानून था। आपको पता है? सारा हिन्दुस्तान मानता है। ... (व्यवधान)... That was anti-people ... (Interruptions)...

پروفیسر سیف الدین سوز : آپ سچائی میں دے، وہ تو جنگل قانون تھا۔ آپ لو پتہ کیا؟
سارا ہندوستان مانتا ہے..... مداخلت..... that was anti-people..... مداخلت.....

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी। मैं आपके जंगल कानून का जिक्र कर रही हूँ ... (व्यवधान)...

† प्रो० सैफुद्दीन सोज: अभी भी बेगुनाह लोग जेलों में सड़ रहे हैं ... (व्यवधान)...

پروفیسر سیف الدین سوز : ابھی بھی بے گناہ لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں مداخلت.....
श्री उपसभापति: सोज साहब प्लीज।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी। मैं बता रही हूँ ... (व्यवधान)...

† प्रो० सैफुद्दीन सोज: आतंकवाद से लड़ा जाएगा। ... (व्यवधान)...

پروفیسر سیف الدین سوز : آٹک وا سے لڑا جائے گا، مداخلت.....

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप मुझे आपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। ... (व्यवधान) .. आप मुझे केवल अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। .. (व्यवधान) .. अगर पोटा को खत्म कर दें तो इसमें सरकार को निश्चित खुशी होती है। लेकिन इन्होंने लिखा क्या है, पढ़ तो लीजिए। पहले पैराग्राफ में लिखा है। इस पैराग्राफ का पहला वाक्य है, जिसमें यह लिखा है कि हमने आतंकवाद निवारण अधिनियम को इसलिए समाप्त किया चूंकि विद्यमान कानून, यानी मौजूदा कानून, आतंकवाद से लड़ने के लिए पर्याप्त है। यही लिखा है न। और अगली लाईन में क्या लिखा है, हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट को इसीलिए संशोधित किया क्योंकि आतंकवाद से निपटने के लिए एक कानून की जरूरत है ... (व्यवधान) ... पढ़िए न

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: You are misinterpreting it... (Interruptions)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं कह रही थी सोज साहब मुझे मुकम्मल करने दीजिए।

श्री उपसभापति: आप बैठिए, सोज साहिब।...(व्यवधान)...

†प्रो० सैफुद्दीन सोज: आतंकवाद से लड़ा जाएगा, लेकिन...(व्यवधान)...

-----مداخلت----- : آجک واسے لڑا جائے گا لیکن

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं आप ही की बात कर रही हूँ...(व्यवधान).... मैं आप की ही बात कर रही हूँ कि अगर पोटा खत्म कर दिया था...(व्यवधान).... तो सप्लीमेंट किस चीज को कर रहे हैं, मतलब नाक सीधी न पकड़कर उल्टी पकड़ रहे हैं?...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. Mr. Soz, please don't argue. I would not allow this. ..(Interruptions).. No; no. You are a senior Member ..(Interruptions).. I will not allow cross-talks.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Okay; Sir.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, एक वाक्य मैं सरकार लिखती है कि हमें पोटा की जरूरत नहीं, क्योंकि मौजूदा कानून काफी हैं, हमें जरूरत नहीं, इसलिए हमने खत्म किया और दूसरे वाक्य में लिखती है कि हमें जरूरत है, इसलिए हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट को संशोधित किया।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: You are misleading the House.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I am not misleading. I am reading it. ..(Interruptions).. I am reading it.(Interruptions)...

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: I have no permission.(Interruptions)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I am reading it.... (Interruptions)...

मैं तो पढ़ रही हूँ।...(व्यवधान)...

PROF. SAIF UD DIN SOZ: Yes; but...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; this is not the way ..(Interruptions).. Mr. Soz, you had your chance. ..(Interruptions).. You had your chance. ..(Interruptions).. you had your chance....(Interruptions).. प्लीज, सब सुन रहे हैं, आप भी सुनें।...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं तो पढ़ रही हूँ।...(व्यवधान).... मैं तो पढ़ रही हूँ इसमें से, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य सट्टा हुआ है। सोज साहब, आपको अंग्रेजी में समझ आएगा, मैं अंग्रेजी में पढ़ देती हूँ।

श्री उपसभापति: आप बोलिए, सुषमा जी, उनकी बात का जवाब मत दीजिए। आप जो कहना चाहती हैं, कहिए, आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: ये अगर चाहें तो मैं अंग्रजी में पढ़ देती हूँ, दोनों वाक्य सटे हुए हैं कि हमने पोटा खत्म किया क्योंकि जरूरत नहीं थी, हमने नया कानून बनाया क्योंकि जरूरत थी और उसके बाद लिखा है कि हमने तो सुरक्षा बलों की मजबूती कर दी। सुरक्षा बलों की मजबूती तो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती है। यह आपने उनके आधुनिकीकरण की बात की है। आतंकवाद कानून और वो एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। आतंकवाद कानून आतंकियों को सजा देने के लिए है और राष्ट्रीय सुरक्षा बल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हैं। पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसा कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा जोड़कर अभिभाषण बना दिया गया है।

उपसभापति जी, अब मैं पैरा 65 पर आती हूँ क्योंकि आप मुझे बार-बार इशारा कर रहे हैं। आप घंटी नहीं बजा रहे, लेकिन मैं आपका संकेत समझ रही हूँ।

श्री उपसभापति: इशारा तो कर रहा हूँ।

श्रीमती सुषमा स्वराज: इशारा कर रहे हैं, मैं इशारा समझ रही हूँ। मैं पैरा 65 पर आ रही हूँ। पैरा 65 में शताब्दियों का जिक्र है कि यह बरस सालगिरहों का वर्ष है और इसमें सबसे पहले लिखा है कि डांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह की हम लोग प्लेटिनम जयंती मना रहे हैं। उपसभापति जी, डांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह स्वदेशी और स्वावलंबन का प्रतीक थे। स्वदेशी और स्वावलंबन के लिए ये यात्राएं की गई थीं। देसी नमक बनाकर महात्मा गांधी जी ने विदेशी शासकों की जड़ें हिला दी थीं। विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई थी। लेकिन यह विडम्बना है इस देश की कि जिस वर्ष में डांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह की प्लेटिनम जयंती आ रही है, उसी वर्ष में यह सरकार पेटेंट का बिल पारित करके विदेशी शासकों के सामने घुटने टेकने का काम कर रही है। ये लोग कह सकते हैं कि बिल तो आप भी लाना चाहते थे। बिल्कुल ठीक है, हमने पहले ही जवाब दे दिया। हमने कहा था कि हम बिल का प्रारूप तैयार करेंगे क्योंकि इनके द्वारा दी गई कमिटमेंट थी इंटरनेशनल जगत में और हमने यह कहा था कि हम बिल का प्रारूप तैयार करके एक राष्ट्रीय बहस के लिए भेजेंगे और पूरी लम्बी बहस के बाद जो आम सहमति बनेगी, वह बिल बनेगा और अगर सहमति नहीं बनेगी तो हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाकर कह देंगे कि हमारे देश में इस पर सहमति नहीं बनी। लेकिन आप तो गुपचुप तरीके से अध्यादेश के द्वारा लेकर आए हैं पेटेंट बिल, अध्यादेश के द्वारा। अध्यादेश के द्वारा इसलिए कि स्टैंडिंग कमेटी के भी न भेजा जा सके क्योंकि हमारे नियम यह कहते हैं कि हर बिल, अगर संशोधन का भी आया तो स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी गई है कि अगर वह आर्डिनैस के श्रू आता है तो नहीं जाएगा। पिछली बार भी दो आर्डिनैसिस आए थे, दोनों को मैं सिलेक्ट कमिटी को भेजना चाहती थी, लेकिन कहा गया कि दूसरे सदन से पारित हो गए हैं, इसलिए नहीं जा सकते, ये स्टैंडिंग कमिटी नहीं जाएंगे और स्टैंडिंग कमिटी को को भेजे बिना उस बिल को आप पारित करना चाहते हैं। आप इससे अगले पैराग्राफ में बात करते हैं, नमक सत्याग्रह की और उसके बाद सैकुलरिज्म, प्लूरलिज्म की। सैकुलरिज्म प्लूरलिज्म बहुत अच्छा

है देश के मूल्य के लिए, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी, लिखते समय इसमें नेशनलिज्म भी लिख दिया करिए। राष्ट्रवाद लिखते हुए आपके हाथ क्यों कांपते हैं? राष्ट्रवाद के अंदर ये सारे मूल्य निहित हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने जो लड़ाई लड़ी थी, उपसभापति जी, वह राष्ट्रवाद के झंडे के तले लड़ी थी। उस समय का घोष था “वन्दे मातरम्” उस समय का नारा था “जय हिन्द” और भले ही अल्लामा इकबाल हों या बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, दोनों ने ही “वन्दे मातरम्”। आज राष्ट्रवाद की बात करते हुए भी आपकी आवाज़ रुंध जाती है। आप जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं, वे राष्ट्रवाद में शामिल हैं। कोई भी नैशनलिस्ट व्यक्ति गैर सक्कुलरिस्ट नहीं हो सकता, कोई भी नैशनलिस्ट व्यक्ति गैर प्लुरलिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन पूरे अभिभाषण में कहीं भी राष्ट्रवाद का शब्द नहीं आया। इसलिए, उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह अभिभाषण केवल शब्दों का आडम्बर है और शब्द भी उपयुक्त नहीं छंटें गये। समुचित शब्दों की तलाश नहीं की गई है।

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I am on a point of order. I have no dispute as far as the speech of the hon. Member is concerned. But she cannot make an allegation that the Members sitting here are not nationalists.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I am not saying that...(interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall examine it...(interruptions)... I will look into it and if there is any such word, I shall delete it...(interruptions)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I never said that...(interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall examine it...(interruptions)...

श्रीमति सुषमा स्वराज: एग्जामिन क्या, सर, मैं आपके सामने बोल रही हूँ।

SHRI VAYALAR RAVI: You want monopoly...(interruptions)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I have never said that...(interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall look into it...(interruptions)...if there is any such word I shall delete it...(interruptions)...I shall examine it.

SHRI VAYALAR RAVI: You are not...(interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude your speech.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर मैं कन्क्लूड कर रही हूँ। मैंने तो यह कहा ही नहीं कि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप राष्ट्रवाद का शब्द भी लिखिए, आप राष्ट्रवादी हैं। मैं तो यह कह रही हूँ कि आप लिखना भूल गए हैं, इसलिए लिखिए। मैं तो केवल सरकार के द्वारा जो चूक हुई है, उसी की ओर इशारा कर रही हूँ।

तारिक अनवर (महाराष्ट्र): राष्ट्रवाद इस सरकार का हिस्सा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं तो यह कह रही हूँ कि आप इसमें राष्ट्रवाद का शब्द भी लिखिए। मैं आपसे यह कह रही थी कि यह अभिभाषण केवल शब्दों का आडम्बर है और शब्द भी न तो उपयुक्त छाँटे गए हैं और न ही समुचित शब्दों की तलाश की गई है। बार-बार उन्हीं शब्दों की माला फेरी गई है। अगर सच पूछें तो यह अभिभाषण मेरी समझ से परे है। सत्ता पक्ष कह सकता है कि उन्हें समझ में आता है तो मैं गालिब की चार पंक्तियाँ उन्हें मुखातिब करके बैठना चाहूँगी, “अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का तब है इक कहे और दूसरा समझे”। कल श्री नीलोत्पल बसु जी कह गए कि हम इसलिए आपके साथ नहीं हैं कि आप केवल सेक्युलर हैं, आप सी०एन०पी० की भी बात करिए, तब हम आपके साथ हैं, तो मैं उनके लिए भी कह रही हूँ, “तुम्हारी बात का कोई असर होता नहीं इन पर, तो ऐसे खोखले लफ्जों को कोई और क्या समझे”। धन्यवाद, सूर।

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. ALLADI P. RAJKUMAR) in the Chair]

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के अन्दर महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा अभिभाषण दिया गया, उसके धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने अपने बहुत ही चुने हुए शब्दों में सरकार की नीतियों की आलोचना की और अभिभाषण की खिल्ली भी उड़ाई। कल माननीय विपक्ष के नेता, जो अभी हाज़िर नहीं हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में सरकार की नीतियों और दिशा पर आरोप लगाए। हम और कोई अपेक्षा माननीय जसवंत सिंह जी से और श्रीमती सुषमा जी से कर भी नहीं सकते क्योंकि इनकी राजनीति एक टकराव की या विरोधाभास की रही है। एक ऐसी विचारधारा जो तोड़ने की है, जोड़ने की नहीं है। पिछले साल, जब से वे इस तरफ से उस तरफ, देश की जनता द्वारा भेजे गए, तब से तिलमिलाहट है, दूसरे की बात सुनने का या दूसरे की नीति समझने का संयम नहीं है। इस अभिभाषण के अन्दर सरकार की प्राथमिकताओं का बहुत ही विस्तृत उल्लेख है। वे प्राथमिकताएं जो आम आदमी से जुड़ी हैं, वे प्राथमिकताएं जो भारत के उन सामाजिक वर्गों से जुड़ी हैं जो उपेक्षित रहे हैं।

जहां तक किसानों की आर्थिक विषमताओं का प्रश्न है, ग्रामीण वर्गों की बात है, मैं इनको याद दिला दूँ कि इस देश में वह परिस्थिति इसलिए पैदा हुई कि निरन्तर 6 साल तक जो रूरल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर था वह पूरा ढांचा तहस-नहस हो गया। जो नेशनलाइज्ड बैंक थे उनकी 44 हजार शाखाएं गांवों में बंद हुईं। किसान को सस्ती दर पर कर्जा नहीं मिला। इस सरकार ने कोशिश की, पहल की सबसे पहला कदम इस सरकार का किसानों को राहत देने का था, एक ऐसा पैकेज देने का, जिससे उनको सस्ती दरों पर, आसान दरों पर कर्जा मिले। एक लाख पांच हजार करोड़ रुपया मुहैया कराया गया। अगर आप अपने पहले कार्यकाल में दृष्टि दौड़ाएं तो तब आपको समझ में आएगी। आज जिसको आप अतीत कह रही थी, अतीत नहीं है वर्तमान है। यह वर्तमान में भी आपके अतीत की छाया है, आपकी नीतियों की जो गलत नीतियां थी उसकी परछाई आज भी हैं

जिसको दूर करने की कोशिश है। मैं इस सरकार की प्राथमिकताओं पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने उस पर चर्चा की है, सिर्फ यह कहते हुए कि जहां तक शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, बेरोजगारी दूर करने की बात है, ये ऐसी प्रतिबद्धताएं थीं, हमारे वायदे थे, इस-देश की जनता के साथ, कि हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वह साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम लाए और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वह प्रतिबिम्बित है, उल्लिखित है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। पहले से बहुत अधिक मात्रा में धनराशि उपलब्ध हुई है शिक्षा के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, सुषमा जी ने जब अपनी बात आरम्भ की, अब वे जा रही हैं, तो अगर सुन कर जाएं तो...(व्यवधान)

सुषमा जी ने कुछ जिक्र किया कि यह अभिभाषण सुनामी त्रासदी की पृष्ठभूमि में दिया गया, जो उसका उल्लेख करता है। सुनामी त्रासदी इस देश और दुनियां के बड़े भूभाग को प्रभावित कर गया। इंडोनेशिया से लेकर श्रीलंका, भारत और भारत से भी आगे सोमालिया तक अफ्रीका तक पहुंच गया। सरकार ने उसमें फौरी कदम उठाए। इस देश के लोगों ने समर्थन दिया सरकार के हर उस पहल का, हर उस कोशिश का जिससे लोगों को राहत पहुंच सके। भारत ने जो किया उसकी सराहना पूरी दुनियां में हुई। हमने यह नहीं कहा कि हम केवल अपने प्रभावित लोगों की तरफ देखें, हमने उससे आगे दृष्टि दौड़ाई। भारत ने तमाम प्रभावित लोगों को चाहे वह इंडोनेशिया में थे, श्रीलंका में थे जिन्हें मदद की जरूरत थी, अगले दिन भारत की नेवी-जो हमारी जल सेना है उसके जहाज पहुंच गए और वहां तुरन्त राहत पहुंच गई। इस देश के लोग एक होकर, एकजुट होकर खड़े हो गए। आज सुषमा जी ने सरकार की, जनता की पहल की, हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, उनकी पूरे भूभाग में, पूरी दुनियां में तारीफ हुई कि जो भारत की नेवी ने करके दिखाया, हमारी वायु सेना ने करके दिखाया राहत के लिए उसका कोई और उदाहरण नहीं मिलता। आज यहां पर सदन के अंदर केवल राजनीति से प्रेरित यह आरोप सुने कि सरकार सजग नहीं थी, सुनामी त्रासदी का जो वार्निंग सिस्टम है उसके हम सदस्य नहीं थे, फिर भी ढाई घंटे पहले पता लग गया। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको राजनीतिक विवाद और दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। जब राष्ट्र पर विपदा आती है, अगर आप उसको राजनीतिक बहस का मुद्दा बना लें, तो उससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात नहीं है। हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बैठने के बाद सरकार की ही नीति की आलोचना करना, वह एक विपक्ष का अधिकार है, पर उस अधिकार की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उस अधिकार को हम वहां तक नहीं ले जाएं कि जिस विषय पर एक होकर पूरा देश खड़ा हुआ, जो हमारी कटिबद्धता है कि उसको हम किसी तरह से कमजोर करें।

मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले कई ऐसे मौके आये हैं, जब इनका कार्यकाल था,

सरकार सजग नहीं थी, चाहे वह गुजरात के अंदर भारी भूकम्प था। सुषमा जी याद करेंगी, यह तो केबिनेट मिनिस्टर थीं, सुबह भूकम्प आ गया, तो दिन के दो बजे तक तो कमरे का ताला नहीं खुला था, केबिनेट सेक्रेटिएट में, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का कमरा कैसे खोला जाये। कितने बजे लोग इकट्ठे हुये, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने यह बात उठा दी। आपको अपना कार्यकाल भी याद रखना चाहिये। हमने उस समय भी यह बात नहीं कही, आप कहते हैं कि सजग रहना चाहिए, इतना समय पहले पता लग गया, सुबह 9 बजे भूकम्प आया और आपके दोपहर दो बजे तक कमरे नहीं खुले, आप शाम तक लोग दूढ़ते रहे कि क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप में कौन-कौन सदस्य हैं। यह हकीकत है। दूसरी बात यह है कि आप कितने सजग थे, कितनी जल्दी आपका रिसपांस आता था, वह तो जब हमारे विमान का अपहरण हो गया था, तब उस समय सामने आ गया था। विमान पूरे देश के ऊपर से उड़कर चला गया। कहां से उड़ा और कहां पहुंचा, कितना समय लगा और कितनी सजग थी सरकार और क्या उसका रिसपांस था, वह भी एक इतिहास का हिस्सा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के दौरान कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे उठे हैं। एक मुद्दा माननीय नेता विपक्ष ने कल उठाया, जिसमें इरोज़न आफ इंस्टीचुशन्स की बात कही गई। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वे कमजोर हो रही हैं। उन्होंने जो हवाला दिया, वह राज्यपाल के पद की तरफ संकेत किया, उसका खुलासा आज बहन सुषमा जी ने किया। अब जहां तक संविधान से जुड़ी हुई संस्थाओं की बात है, तो यह आरोप गलत दिशा में आ रहा है। मुझे बड़े अफसोस से याद दिलाना पड़ रहा है कि एनडीए के कार्यकाल के अंदर तमाम संस्थाएं, जो संवैधानिक हैं, उन पर हमला हुआ, उनको आघात पहुंचाया, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, उन्हें सुनियोजित तरीके से कमजोर किया गया, चाहे वह संसद की समितियां थीं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट संसद के सभा-पटल पर रखीं, जिससे उस सरकार की, उस समय की कारगुजारियों का खुलासा होता था। चाहे वह... (व्यवधान)....

श्री कमाल अख्तर: इसलिए आपकी सरकार इससे आगे जाना चाहती है।

THE VICE CHAIRMAN (DR. ALLADI P. RAJKUMAR): Let him speak.

श्री आनन्द शर्मा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे, उनके पद के प्रति और उनके व्यक्तित्व के प्रति, किस तरह के भाव और शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से पेश किये गये थे, जो निंदनीय हैं। किस तरह से इनके वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे वह केबिनेट मिनिस्टर थे या प्रांतों के मुख्य मंत्री, उन्होंने खुली चुनौती देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही नहीं दी, बल्कि धर्म के आधार पर भी कि वह किस मजहब से संबंध रखते हैं, उसको भी एक आलोचना का मुद्दा बनाया गया।

2.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष महोदय, इनके शासन-काल में कंट्रोलर एडिटर जनरल के पद को किस तरह से कमजोर किया गया, यह भी सर्वविदित है। आज आपके मुख से यह सुनें, नेता विपक्ष के मुख से यह सुनें कि किस तरह से इंस्टीचुशन्स कमजोर हो रहे हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। जहां तक इंस्टीचुशंस का, संस्थाओं का संबंध है, मैं एक चीज़ जरूर कहूंगा कि यहां संसद का सत्र चल रहा है, हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, जो बातें उठीं, विशेषकर सदन के बाहर, संसद के बाहर, उससे मैं कहने पर मजबूर हो जाता हूं, विवश हो जाता हूं कि क्या इससे उन संस्थाओं की गरिमा की, उनकी मर्यादाओं की रक्षा हुई है? कुछ ऐसे मुद्दे जो कायदे से संसद के अंदर रहने चाहिए थे, उन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन संसद चलने नहीं दी गई, संसद में व्यवधान हुआ। और संसद के अन्दर व्यवधान करने वाले बाहर प्रजातंत्र की हत्या की दुहाई देने लगे। जो बातें संसद की परिधि में चर्चा में आनी चाहिए, उन बातों के लेकर अदालत में गए और अभी उसका आपने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा पक्ष रखा। सुषमा जी, मैं एक चीज़ कहूंगा, आप संविधान की रक्षा की बात करती हैं, संविधान की धाराएं आपने और हमने वही पढ़ी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने बनाकर दीं। अगर संविधान की आप वह धारा पढ़ें तो शायद यह अहसास हो कि जो आपत्ति हुई है, वह सही है। केवल एक राज्य के विवादास्पद निर्णय को लेकर आप उसको पूरे नैशनल कौन्सिल पर उठाकर ले आएंगे और एक ऐसी स्थिति देश के अंदर पैदा कर दें कि जहां संसद न चले और आपके माध्यम से यह बात उठे कि इस देश के अंदर वह हो गया जो अभूतपूर्व है मैं किसी राज्य की विधान सभा की चर्चा नहीं करना चाहता, न किसी महामहिम राज्यपाल के निर्णय की चर्चा करना चाहता हूं उस चर्चा के लिए संविधान में प्रावधान हैं कि कहां होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए परन्तु एक चीज़ है जिसके संबंध में सदन से और सब माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस पर आप गौर करिए कि भारत के संविधान में, चाहे हमारी ऐक्जीक्यूटिव है, चाहे सदन है, लैजीस्लेचर है या न्यायापलिका है, ज्यूडीशियरी है, उसके कार्यक्षेत्र निर्धारित हैं, उल्लिखित हैं। अगर किसी भी कारण से कोई भी ऐसा कदम उठे जिससे वह डीमार्केशन-जो सीमाएं हैं, वे उल्लंघित हो जाएं तो इस देश के प्रजातंत्र के लिए, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के हित में नहीं होगा। सुषमा जी ने गोआ का जिक्र किया, उन्होंने झारखंड का भी जिक्र किया जिसे मैं सुनता रहा, बाकी सब सदस्य सुनते रहे। आपने कहा, जो हुआ, कभी इस देश के इतिहास में नहीं हुआ। न पहले हुआ, न भविष्य में होना चाहिए। सुषमा जी, गोआ से आपने शुरू किया, मैं आपको गोआ वापस ले चलता हूं। गोआ में आपके शासनकाल में क्या हुआ? गोआ में आपके शासनकाल में, आपकी सरकार ने एक स्थिर सरकार को तोड़ा, आपने पार्टियों को तोड़ा, आपके पास कोई बहुमत नहीं था। आप आज सिद्धांत की और नैतिकता की राजनीति की बात करती हैं? आपने उस समय वहां पर

सरकार बनायी, दलबदल से, प्रभाव से, प्रलोभन से, केन्द्र सरकार के दुरुपयोग से। यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका अपना इतिहास है और आज आप कहती हैं गोआ? गोआ शुरू आपने किया और जॉर्ज फर्नांडीस जी, जो एनडीए के कनवीनर थे, इस देश के रक्षा मंत्री, वे जाकर पणजी, गोआ में बैठे, राजभवन के अंदर, सरकार को गिराने के लिए—क्या यह सच है या नहीं है? ... (व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: (उड़ीसा) बाद में जो चुनाव हुए, उसके नतीजे... (व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: आप चुप करके बैठिए।... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा० अलादी पी० राजकुमार): आप बैठिए। Please continue ... (व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: बाद में जनादेश क्या हुआ?... (व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: आपको नहीं मालूम कि चर्चा कैसे होती है? सुषमा जी, सिखाइए। ... (व्यवधान)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Are you paying in the same coin?

SHRI ANAND SHARMA: No, I think you have not understood what I was trying to say. The folly of the endowed attitudes, the false claims of outrage, that is what I am commenting upon; the hypocrisy and the double standards of the BJP, that is what I am exposing. महोदय, अब गोआ की बात तो गयी, तो आप आ गयीं झारखंड पर कि कितने आपके सदस्य थे? आप 36 थे, आपको मुबारक हो। दूसरे 34 हुए—वे भी 36 हुए, पोस्ट पोल अलायंस मिलाकर, आप स्वीकार करें या न करें, वह तो एक तथ्य है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: 34 हुए न।

श्री आनन्द शर्मा: 36 हुए। हम आपको बता रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: छब्बीस, जमा आठ गिनती तो सीख लो।

श्री आनन्द शर्मा: देखिए, छब्बीस सात और तीन।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सात और तीन कहां से आ गए?

श्री आनन्द शर्मा: दो फॉरवर्ड ब्लॉक के और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस का।

श्री बलबीर के० पुंज (उत्तर प्रदेश): आनन्द जी। जिस बात के लिए डा० मनमोहन सिंह और

सोनिया जी ने भी डिसटेंस लिया, उसको काहे को डिफेंड कर रहे हैं?

श्री आनन्द शर्मा: मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत चीजें भूल गए हैं।

श्री बलबीर के० पुंज: जिसको सोनिया जी ने और डा० मनमोहन सिंह ने भी ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA: I am not contending ...(Interruptions)...

श्री बलबीर के० पुंज: जिसको सोनिया जी ने और डा० मनमोहन सिंह ने भी ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA: I am not yielding ...(interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. ALLADI P. RAJKUMAR): Mr. Punj, let him continue.

श्री आनन्द शर्मा: मैं एक चीज और कहूँगा, यह जरूर है कि कुछ बातें राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से, पॉलिटिकल कन्विनियंस के हिसाब से, भूलना इनकी मजबूरी है। जैसे गणित में $2+4=6$ होता है, $30+6=36$ होता है, यदि हम यह गणित भी भूल जाएँ तो शायद यह बड़े अफसोस की बात होगी। लेकिन मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ और कहना है। एक ऐसा कोहराम कि इस देश के अंदर आसमान फट गया, संसद रोक दो, प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है, मुझे याद दिलाना है। देश के एक प्रमुख नेता, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, उप प्रधान मंत्री रह चुके हैं, वे देश के एक राज्यपाल को, चाहे आप किसी निर्णय की कितनी भी आलोचना करें, आप कहें कि निर्णय गलत है, विवादास्पद है तो आपको अधिकार है। लेकिन एक बड़े नेता संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को एक सुपारी हत्यारा कहें तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी शैली राजनैतिक संवाद में नहीं आनी चाहिए। मुझे यह भी कहना है कि जहाँ तक झारखंड की बात है, जिसकी सरकार बनाने की दुहाई दी, वहाँ पर बीजेपी सरकार में थी। वहाँ पर बीजेपीए, एनडीए की सरकार थी, सुषमा जी, आपको भी जनादेश नहीं मिला, आपको वहाँ पर बहुमत नहीं मिला आपने बहुमत हासिल करने के लिए जो किया, एक नया कोड आफ कन्डक्ट, मॉरल कोड आफ पोलिटीकल कन्डक्ट बीजेपी लिख रही है, नैतिकता की राजनीति का एक नया पैमाना बन रहा है कि बहुमत न मिलने पर हमको भी सरकार बनानी है, विधायकों को अगवा करना है, गायब करना है, आपके नेता चार्टर्ड फ्लाइट लेकर जाएंगे, उन्हें बैठाकर लाएंगे। अपने बीजेपी विधायकों को बंदी बनाकर, अपने बीजेपी शसित प्रांतों में रखेंगे। पहने गोवा के विधायकों के साथ किया और झारखंड के विधायकों के साथ और आप प्रजातंत्र और नैतिकता की दुहाई देते हैं...(व्यवधान)...

श्री बलबीर के० पुंज: शर्मा जी, यह परंपरा...(व्यवधान)...

श्री आनंद शर्मा: छोड़िए, परंपरा...(व्यवधान)...

श्री बलबीर के० पुंज: आप मध्य प्रदेश में खजुराहो लेकर गए थे। जवाब दें...(व्यवधान). आप लोगों को लेकर गए थे। ... (व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: आप कहते हैं कि ऐसा किया गया...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा० अलादी पी० राजकुमार): समय बहुत कम है और बोलने वाले मैम्बर्स काफी हैं। मेहरबानी करके बैठ जाहए। ... (व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: राज्यपाल के सामने गए, ... (व्यवधान)... राज्यपाल के सामने गए. ... (व्यवधान)... जो कुछ मन में आएगा, आप बोलेंगे? ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष: (डा० अलादी पी० राजकुमार) आप बैठिए ... (व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहानी है कि सुषमा जी और माननीय नेता विपक्ष ने जो बात कही है...(व्यवधान)...

श्री बलबीर के० पुंज: आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे हैं कि सुषमा जी के भाषण पर बोल रहे हैं?

श्री आनन्द शर्मा: यह भी आवश्यक है। ... (व्यवधान)...

श्री बलबीर के० पुंज: राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ... (व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA: I did not interrupt Sushmaji. मुझे यह कहना इसलिए आवश्यक हो गया प्रजातंत्र के संदर्भ में, राष्ट्रपति अभिभाषण में जो उल्लेख है, उस पर बड़े परिहासजनक रूप में सुषमा जी ने अपनी बात कही है। इस सदन के अंदर सही बात रखी जाए कि देश के अंदर प्रजातंत्र को खतरा किन बातों से है और आपने आज कौन सा मुखौटा डाला है। सत्ता में रहते हुए कौन सा मुखौटा था, आपको वह याद दिलाना जरूरी है। आपने कहा कि आज से पहले इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि वाकई कई बातें नहीं हुई, लेकिन कब हुई यह याद दिलाता हूं जब एनडीए की सरकार थी, भारत का जो अरूणाचल प्रदेश है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर बीजेपी की सरकार बना ली। ऐसा जादू तो हमारे पास भी नहीं है यहां तो केवल एक विधायक की बात है वहां पर पर्याप्त विधायक न होते हुए भी एक उत्तर पूर्व राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार बनाई ... (व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: आप यह भूल गए कि हरियाणा में भजन लाल ने किया था?

... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा० आलादी पी० राजकुमार): शर्मा जी आप कंटिन्यू करिए।

शर्मा जी, आपकी पार्टी का टाइम वन ओवर टू मिनिट्स हैं, आपके ऑलरेडी ट्वेन्टी थ्री मिनिट्स हो गए हैं। Apart from you, there are three other Members also. I am just reminding you.

SHRI ANAND SHARMA: Let me be very clear about one thing. There are interruptions by all the Members. I am repeatedly interrupted. It is up to my party to take that into account. उपसभाध्यक्ष जी, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, बड़ी कष्टदायक होती है। अभी एक सच्चाई गिनाई थी कि जो पहले कभी नहीं हुआ, वह इनके शासन में हुआ। जीरो विधायक से सरकार बन गई। दूसरा कब हुआ? नागालैण्ड में। सुषमा जी, बी. जे. पी. और एन. डी. ए. के कितने विधायक थे? चार। सरकार बना ली। गोवा के जो नायक थे, माननीय जॉर्ज फर्नान्डीज, वही नागालैण्ड के नायक थे, जहां बाद में विधायकों को धमकाने के लिए मिलिटेंट्स का खुला इस्तेमाल हुआ। विधायकों को बंदूक की नोक पर त्यागपत्र मिलिटेंट्स ने दिलाया। यह आपने किया। तीसरा मणिपुर में किया। वहां भी आपने तीन विधायक से सरकार बना ली। आज आप कह रहे हैं, जहां आपको झारखंड में बहुमत नहीं मिला, विधायकों को अगवा करके ले जाएं और नैतिकता की, राजनीति की बात करें। अरुणाचल में प्रजातंत्र की हत्या हुई थी। गोवा में, जहां आपने पहले की, मणिपुर में, नागालैण्ड में की। इस बार गोवा में क्या हुआ। सच्चाई से मत भागिए, आपके अपने विधायक कूद गए। बंदीगृह की मानसिकता में घुटन महसूस करते थे। भारतीय जनता पार्टी में जेल का वातावरण है। आपके विधायक कूद गए, लेकिन आप दोष हमें देते हैं। जो बचे थे, उन्हें घेरा बंदी बनाकर ले गए। घुमा रहे हैं, छिपाकर रख रहे हैं। बोलने नहीं दे रहे, बीबी से बात नहीं कर सकते, माता-पिता से बात नहीं कर सकते। अगर टॉयलेट में जाते हैं, तब भी इनके रखवाले मंत्री साथ जाते हैं। आप यहां प्रजातंत्र की बात करते हैं। यह हालत आपने देश में कर दी है ... (व्यवधान) ... मोबाइल नहीं ... (व्यवधान)

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: You are provoking me to interrupt.

SHRI ANAND SHARMA: Even if they have to go to toilet to relieve themselves, their security guards and Ministers accompany them. This is what is happening. What about the mobiles? उपसभाध्यक्ष जी, इनके कार्यकाल में इनके कार्यकलाप क्या हैं? इनकी दोहरी भाषा है, दोहरे मापदंड हैं। एक मापदंड अपने लिए और दूसरा मापदंड पूरे देश को चलाने के लिए। इनकी कथनी और करनी दोनों सदन के सामने लाना आवश्यक है। एक बात और हुई, बड़े जोर से रखी गई, नेता विपक्ष को आपत्ति हुई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक शब्द का प्रयोग है, इन्क्लुसिव सोसायटी, उस पर आपत्ति हो। माननीय जसवंत सिंह जी का मैं बड़ा आदर करता हूं। अगर वे सदन में होते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। जो बात कल उन्होंने कही, सुषमा जी ने भी कही कि क्या जरूरत पड़ गई।

आपने कहा कि यह तो हमारी मिट्टी के अंदर है, हमारे खून के अंदर है बिल्कुल ठीक है, इसे हम भी कहते हैं। पर एक समय ऐसा आया जब इसे भुलाने की कोशिश की गई। हमारा एक बहुसंख्यक, बहुभाषी, बहुधर्मी राष्ट्र है। यहां आदिकाल से लेकर, इस देश के लोग संवेदनशील रहे हैं। वे हर भाषा, हर धर्म का सम्मान करते हैं। पर महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख करने की यह आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां ऐसी पृष्ठभूमि थी, एक ऐसा समय था जब इस देश में धर्म के नाम पर समाज में कटुता और जहर भरा गया। आपका शासन था। आपके उस समय के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं कहा कि जो गुजरात के अंदर हुआ वह कलंक है। मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराता हूं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री ने कहा, यहां नहीं, लंदन में जाकर जब बड़ा प्रदर्शन हुआ, गुजरात में जो शर्मनाक काण्ड हुआ, उसके लिए हम माफी मांगते हैं।

आपको एक चीज याद दिलाऊं कि आपके शासन काल में ऐसी घटनाएं हुईं, जो आज भी इस देश की आत्मा पर घाव हैं, जिसने भारत के उदारवादी प्रजातंत्र पर, liberal democracy पर प्रश्नचिह्न लगा दिया, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख आवश्यक था।

श्री बलबीर के० पुंज: शर्मा जी, प्रश्नचिह्न तो 1984 में ही लग गया था, जब आपकी पार्टी ने दंगे करवाए थे ... (व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: बिहार की जनता ने भी आपको नकार दिया।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, कल माननीय नेता विपक्ष ने Hinduism की बात कही। उन्होंने जो कुछ धर्म-निरपेक्ष और सैक्युलरिज्म के संदर्भ में कहा, उन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि सैक्युलरिज्म के ये मायने नहीं कि वह Hinduism के खिलाफ हो या इस देश में "हिंदू" कहना अपने आप में गलत हो जाएं मुझे एक चीज कहनी है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय साथी, इस देश की संस्कृति और मर्यादाओं को गलत चश्मे से पढ़ रहे हैं। उस चश्मे का नंबर ही गलत है, इसलिए उनको सामने धुंधला नज़र आ रहा है। जहां तक Hinduism का सवाल है, वह तो एक way of life है, एक संस्कृति है, वह तो आदि-काल से चला आ रहा है, उससे इस देश की मानसिकता जुड़ी है, उस पर हमको गर्व है, नाज़ है। मैं एक चीज कहूंगा कि नेता विपक्ष यह गलती कर गए कि वे Hinduism की तुलना हिंदुत्व से कर गए। आपका हिंदुत्व, मेरे पूर्वजों का Hinduism नहीं है। यह हिंदुत्व, सावरकर का एक पोलिटिकल एजेंडा है, सत्ता हासिल करने का। वह हिंदुत्व का एजेंडा, हमारे ऋषि-मुनियों की संस्कृति, हमारे पूर्वजों की जो मर्यादाएं हैं, उनसे मेल नहीं खाता। आप Hinduism और हिंदुत्व की तुलना बंद कीजिए, इससे हमारे पूर्वजों पर, इस देश की महान संस्कृति पर बड़ी कृपा होगी। अब आप कहेंगे कि पहली बार यह हिंदुत्व

शब्द किसने कहा, क्या वेद-शास्त्रों में कहा गया है, कहां पर पहली बार उसका उल्लेख आया? पहली बार 1927 में उसका उल्लेख आया और उसके बाद से आपने इसे अपना लिया। आपको मुबारक, आप तो उस विषय को लेकर काफी आंदोलन करते हैं, करिए, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि गलती से भी आप अपनी विचारधारा छोड़कर, दूसरी टोपी मत पहनिए, दूसरा मुखौटा मत पहनिए कि आप भी उदारवादी हैं, आप भी धर्म-निरपेक्ष हैं। आप नहीं हैं, आपकी विचारधारा धर्म-निरपेक्ष नहीं है। आपकी विचारधारा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, आपकी विचारधारा, देश में और समाज में, कटुता और विरोध फैलाती है। आपकी विचारधारा के कारण इस देश के अंदर जो हुआ, उसी के कारण यह उल्लेख inclusive society का उल्लेख मजबूरन करना पड़ा।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी और आर०एस०एस०...(व्यवधान)

श्री बलबीर के०पुंज: आर०एस०एस० कहां से आ गया जी?

श्री आनन्द शर्मा: वह तो आपके दिल में है। निकाल दिया क्या?

श्री बलबीर के०पुंज: हमारे दिल में है और आपकी जुबान पर है।

श्री आनन्द शर्मा : मुझे दूसरे संदर्भ में कहना है कि आप जो वहां बैठे हैं, आप यह दावा करते हैं कि Hinduism और उसकी संस्कृति मर्यादा के उत्तराधिकारी आप हैं, उसके प्रवक्ता आप हैं। यह कोई एजेंसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लिखा दी गई है। न तो आप इस महान संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, न आप उनकी जुबान बोलते हैं, न आप उनके महान संस्कारों का सम्मान करते हैं, न आप उनकी मर्यादाओं को मानते हैं, बल्कि आप उनका उल्लंघन करते हैं। बंद कर दीजिए इस बात को कि जब भी "हिंदू" से संबंधित बात आए तो आपकी ठेकेदारी हो गई। जो इस तरफ बैठे हैं, वे इस देश के Hinduism को, उसकी संस्कृति और मर्यादाओं को ज्यादा समझते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं।

श्री बलबीर के० पुंज: बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर आपकी पार्टी Hinduism और हिंदुओं के लिए बोलना शुरू कर दे तो हम इसका स्वागत करते हैं। We welcome the change.

श्री आनन्द शर्मा: हम आपके हिंदुत्व के लिए नहीं बोलेंगे। देखिए, प्रामाणिकता तो आपकी तरफ से किस-किस को दी गई। अभी तो सुषमा जी ने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया। खुशी की बात है कि आपको गांधी तो याद आए। गांधी जी इस देश की संस्कृति, मर्यादा, जो हमारी हिन्दू मान्यताएं हैं, उन्हें मानते थे, पर सबसे बड़े धर्म-निरपेक्ष नेता थे। जो सही मायने में हिन्दू है, वह कम्युनल हो नहीं सकता। सांप्रदायिक हो नहीं सकता और जो सांप्रदायिक है, कम्युनल है, वह

कभी हिन्दू मर्यादाओं को सहन नहीं कर सकता।

श्री बलबीर के० पुंज: हम इस बात को मानते हैं, यह बात ठीक है।

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, कल चर्चा में एक और बात आई।

श्री बलबीर के० पुंज: आरएसएस की यही भाषा है। Anandji, you are speaking the language of the RSS today. I must compliment you.

SHRI ANAND SHARMA: Well, I am not. This shows. (Interruptions)...

श्री बलबीर के० पुंज: आपने बताया आसएसएस हमारे दिल में है और आज आपकी जुबां पर है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. ALLADI P. RAJKUMAR): Let him conclude.

SHRI ANAND SHARMA: Balbirji, I can very happily leave you with this feeling of comfort that what I was trying to convey. I thought you have a great degree of intelligence and comprehension to understand. But if you are trying to distort and misunderstand even that, it is a matter of pity. I can only pity you that you cannot understand what I am seeking to convey. कल नेता विपक्ष की तरफ से एक बात और चर्चा में आई। उन्होंने यूपीए सरकार के बारे में टिप्पणी की। आज हमारे गठबंधन के ऊपर बहन सुषमा जी ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सब कुछ अलग-अलग दिखता है, मंत्री अलग-अलग भाषा में बात करते हैं, फिर भी यह संयुक्त हैं, गठबंधन है। गठबंधन की कुछ सीमाएं हमेशा रहती हैं, जिसको हमने हमेशा स्वीकार किया है। पर इस गठबंधन में एकता है नीति की और दिशा की। इस गठबंधन में इस बात की पूरी एकता है कि भारत के अन्दर वह सरकार हो, जो प्रगतिशील हो, प्रजातांत्रिक हो, धर्म-निरपेक्ष हो, जो आम आदमी से जुड़ी हो, जिसकी नीतियों की पहचान समाज के कमजोर, पिछड़े वर्गों के साथ हो। वह सबसे बड़ी एकता का परिचायक है, यूपीए सरकार की प्रामाणिकता है, जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लिखित हैं, प्रतिबिंबित है उसको पढ़िए।

जहां तक इस बात का सवाल है कि आपके शासन काल में क्या हुआ, आपके शासनकाल में, मुझे याद कराना होगा, जो समय संवाद होता था, डायलॉग होता था- आपका ममता, समता, जयललिता के साथ, तीन पर्याय शब्द हो गए थे- ममता, समता, जयललिता। एक गृह मंत्री कलकत्ता भाग रहे हैं तो उपप्रधानमंत्री चेन्नई भाग रहे हैं, तीसरे-तीसरे को मनाने। यह जरूर है कि यूपीए में अलग-अलग राजनीतिक दल इकट्ठा हैं, उनकी अपनी विचारधाराएं हैं। पर एक चीज याद रखिएगा कि अगर यहां कोई अपने विचारों को प्रकट करे, चाहे किसी बात में भिन्न विचार भी हों, वे प्रजातंत्र का अंतरंग हिस्सा हैं। आपकी तरह नहीं कि आपके यहां जो सहायक दल थे, सहयोगी

दल थे, उनको मातहत की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। It was not a democratic dialogue in the NDA. You treated your allies as subordinates. You did not treat them with respect which your allies deserved. आज आप हमसे बात कर रहे हैं। जरा अपने कार्यकाल के अन्दर झाँकिए, कुछ याद कीजिए। फिर उस बात को सदन के अन्दर लाएं तो अच्छा लगेगा।

आपने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिक्र किया है, आंतरिक सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का, तो इस सरकार की प्राथमिकता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो, उसका सही इंतजाम किया जाए और सुरक्षा की तैयारी में भी इस देश के अंदर कोई कमी न आए, अब आपने इसकी भी खिल्ली उड़ा दी। कल नेता विपक्ष ने उड़ायी, आज आपने उड़ा ली कि क्या आंतरिक सुरक्षा है, आप कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि पोटा का आपने जिक्र किया, बहन सुषमा जी ने पढ़ कर सुनाया। आपने पोटा पर जो पैरा पढ़ कर सुनाया और कहा कि पोटा को हटा दिया, इसका उल्लेख है और साथ ही कानून में संशोधन करने का उल्लेख है, नया नहीं लाने का। इससे कल नेता विपक्ष ने एक इंफेरेंस निकाला, निचोड़ निकाला, निष्कर्ष निकाला कि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा कमजोर हुई है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कमजोर हो गयी।

I am just going to conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. ALLADI P. RAJKUMAR): Kindly conclude because there are 14 speakers more.

श्री आनन्द शर्मा: यह बात रखी गयी थी, इसलिए मैं सिर्फ इसी बात को रखूंगा और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने आंतरिक सुरक्षा की बात कही कि आपके बड़े पुख्ता इंतजाम थे। आप तो सत्ता में स्वराज, सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने का नारा देकर आए थे, लेकिन आपके शासनकाल में आतंकवाद हावी रहा।

महोदय, आतंकवाद से लड़ाई में पूरा देश एक है। यह राजनीति का हिस्सा नहीं है। हम ने उस समय भी जब देश की सुरक्षा की बात आई तो पूरा सहयोग दिया। जहां आतंकवाद से लड़ने की बात है, तमाम विपक्षी दलों ने आपकी सरकार को समर्थन दिया, मगर आज जो बात आप कहते हैं, उस से मैं आपको याद दिलाने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि "पोटा" बनने के बाद आपके शासनकाल में देश की संसद पर हमला हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, लाल किले पर हमला हुआ, कालूचक में सेना के कैंप पर और रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ। इस देश के जो तमाम symbols हैं, The symbol of democracy, Parliament of India, was not safe. Lal Quila was attacked. उस समय भगवान भी महफूज नहीं रहे। माननीय आडवाणी जी के चुनाव क्षेत्र में अक्षरधाम पर हमला हो गया और आप कहते हैं कि आप के बड़े पुख्ता इंतजाम थे। महोदय

केवल कानून बनाकर आतंकवाद से नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए सरकार की नीयत मजबूत होनी चाहिए। जब संसद पर हमला हुआ तो आपने क्या किया? उस समय के माननीय प्रधान मंत्री जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ।

उन्होंने चुनौती दे डाली कि “अब आर-पार की लड़ाई होगी।” पूरी दुनिया सन्नाटे में आ गयी थी दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, अब क्या होगा। यहां के दूतावास खाली हो गए। निर्देश दे दिए गए कि बाहर के देशवासी भारत में न आएँ और जो राजदूत यहां हैं, वे वापिस भाग जाएँ। कहा गया कि आर-पार की लड़ाई होगी और अगले दिन उन्हें समझाया गया कि कुछ ज्यादा बोल गए, तो कहा गया कि आसमान साफ हो गया। यह उन्होंने मेरे प्रांत में मनाली में जाकर कहा। उस समय इस देश की तमाम सेनाओं को मोबलाइज किया गया। भारत के लाखों जवान दस महीने तक सीमाओं पर खड़े रहे, तैनात रहे।

मैं एक चीज और याद दिलाऊंगा। मैंने विमान अपहरण का जिक्र कर ही दिया। वे कौन थे जो हमारे भारत की जेलों में कैद थे और आप उन्हें लेकर गए, उन्हें कंधार छोड़कर आए? महोदय, माननीय नेता विपक्ष नहीं हैं, वे होते तो उन्हीं से सवाल करता क्योंकि उत्तर देने का अधिकार उन्हीं का है। *It was his privilege to answer. But since he is not present, I will only make this reference.* लेकिन एक चीज मैं याद दिलाऊंगा कि उस समय की सुरक्षा की तैयारी से समझौता हुआ। महोदय, 5 साल तक जो बजट सशस्त्र सेनाओं के लिए था, सैन्य-उपकरण खरीदने के लिए था, सामग्री खरीदने के लिए था, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और आपात स्थिति जैसे हालात पैदा करके उस समय इन्होंने जिस तरह थोड़ी-बहुत खरीद की, उसमें तहलका आ गया, उस पर रिपोर्ट आ गयी। तो आपने जो तैयारी की, वह भी गलत की और जो करनी चाहिए थी वह नहीं की। तो महज पोटा का उल्लेख कर के आप आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का दावा नहीं कर सकते। हमने कानून में संशोधन इसलिए किया कि उसकी आवश्यकता थी। महोदय, एक बात पुनः स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि “पोटा” का विरोध आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से संबंध नहीं था। हमारा विरोध सैद्धांतिक था कि उसका दुरुपयोग हुआ। *Because we had the fear that POTA would be misused, abused, against political opponents. There were no adequate safeguards to protect the lives and liberty of the citizens.* पहले तो आपके सहयोगी बंद कर दिए गए या आपके दूसरे सहयोगी का हुआ। उसका उत्तर प्रदेश में दुरुपयोग हुआ। मैं सुषमा जी को याद दिलाना चाहूंगा और बलवीर पुंज जी आप उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप लोग दुहाई देते हैं कि “पोटा” का दुरुपयोग हो रहा है।

आप लोगों के बयान हैं। हमने उसको, एक कानून, जिसका हमने पहले दिन से विरोध किया था, उसके विरोध का मतलब आतंकवाद से लड़ाई को कमजोर करना नहीं था, आपने उसको

पारित कराने के लिए वह किया जो अभूतपूर्व था। अनप्रसिडेंटेट था। जब वह इस सदन में गिर गया तो आपने ज्वाइंट सेशन बुला लिया ज्वाइंट सेशन के माध्यम से कानून बनाया। उस कानून को आपने छाती पर तमगे की तरह लगाया। कानून बनते ही संसद पर हमला हुआ और आज आप हमको बताते हैं कि हममें कोई कमी है? राष्ट्रपति अगर उल्लेखित करते हैं कि हम टेरिज्म का मुकाबला करेंगे, हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे तो आप उसे खोखला मानती हैं। मैं यही कहूंगा कि(व्यवधान)... आप विपक्ष में रहें। जहां तक आतंकवाद के साथ लड़ाई का संबंध है, उसमें हमें आपसे सर्टिफिकेट की, प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। इस तरफ जो बैठे हैं, उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी भी है और आतंकवाद से लड़ते हुए शहादतें भी दी हैं। मुझे जहां दुख है, वहीं गर्व भी है कि हमारी नेता इंदिरा गांधी शिकार हुई थी, राजीव गांधी शिकार हुए थे, इस देश के लिए शहीद हुए थे। आज आप हमको बताएं कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए? हमारे अंदर वह प्रतिबद्धता है, हमारे अंदर वह दूरदर्शिता है कि इस देश के हित को किस तरह से सुरक्षित रखना है, इस देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, दोनों को कैसे मजबूत करना है?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. ALLADI P. RAJKUMAR): Please conclude.

श्री आनन्द शर्मा: उपसभाध्यक्ष जी, अंत में राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो तमाम प्राथमिकताएं उल्लिखित हैं, जिनके प्रति इस सरकार के सब सहयोगी दलों की प्रतिबद्धताएं हैं, उसके लिए राष्ट्रपति जी को इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं और इन शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI BALBIR K. PUNJ: Just one second, Sir. He said that in our time, security was so weak that the terrorists could attack the Parliament House. In their time, the terrorists managed to kill the then Prime Minister! (Interruptions) घर में जाकर मार दिया(व्यवधान)... घर में जाकर टेरिस्ट ने मार दिया(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा० अलादी पी० राजकुमार): श्री जनेश्वर मिश्र जी, आप उधर से अपना भाषण बैठकर दे सकते हैं। आपका परमिशन दिया गया।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। इधर एक हफ्ते तक सदन में हल्ला-गुल्ला के बाद राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव विचार में आया है। इसके कई गुल खिल गए। संसद जब हल्ला-गुल्ला में फँसी थी और अपने को व्यस्त मान रही थी और राष्ट्रपति महोदय संविधान के सामने अपने को मूकदर्शक के अलावा और कुछ नहीं मान रहे थे, तब अदालत ने दखल दिया। लोकतंत्र में अदालत के दखल को मैं स्वस्थ लक्षण नहीं मानता क्योंकि संसद लोकतंत्र की प्रतिनिधि संस्था है। जनता ने संसद को चुनकर भेजा है। वह

जनता जिसने इस संविधान को अंगीकार किया, अगर पहला वाक्य नहीं लिखा होता कि “हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकार करते हैं”, तो वह संविधान की किताब कानून की एक किताब बनकर रह जाती। उसके जरिए न तो कोई पार्लियामेंट चलती और न ही सुप्रीम कोर्ट चलती। उस जनता ने हमको यहाँ भेजा है। यह पंचायती व्यवस्था है। एक दूसरे को समझने और समझाने के बीच में कहीं-कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। गवर्नर से भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। हम गलतियों को सुधार लेते थे, लेकिन दो-तीन बार से यह सिलसिला चल पड़ा है कि किसी मुद्दे पर अवरोध पैदा कर दिया जाए। और फिर आपसी झगड़े-झंझट के तौर पर, लगता है कि ग्रुप राइवलरी के झगड़े हो रहे हैं, संसद ठप्प हो जाती है और तब अदालत को मौका मिलता है, उसकी हिमाकत है। उसके कहना चाहिए था कि यह संसद तय करे, लेकिन अदालत रास्ते में आती है। मैं अदालत में बैठे हुए लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारी असैम्बली, पार्लियामेंट के बारे में कलम चलाते समय थोड़ा-बहुत परहेज बरता करें। हम राज्यपाल की कार्रवाई को नापसंद करते हैं, उसे घृणा करते हैं। बहुत से राज्यपालों की कार्यवाही को नापसंद किया है हम लोगों ने। अल्पमत को बहुमत में साबित करने के लिए कई राज्यपालों ने, चाहे कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो, चाहे दूसरी पार्टी सत्ता में रही हो, अपनी हरकत दिखाई है, उसको नापसंद किया गया है। वह कोई बहुत बढ़िया संस्था नहीं है। बंगाल में एक धर्मवीर, राज्यपाल हुआ करते थे पुराने जमाने में, सम्पूर्ण विपक्ष एक तरह से पूरा सेशन वाक-आउट करके रह गया, विरोध भी हुआ, लेकिन थोड़ी ज्यादा सक्रियता और अदालत की सक्रियता पर हमारे विरोधी दल के भाई लोग ऐतराज करने लगे हैं कि बुरी बोली मत उठाओ, कई लोगों को चुप लगाने की कोशिश करते हैं। यह बात सही है कि आपस की बहस में हल्ला-गुल्ला करके दूसरे का दबा दिया जाए, यह एक तरीका बन गया है, लेकिन कोई नतीजा उससे नहीं निकलता है। इसकी

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

तरफ हमारा इशारा कर देना जरूरी था कि पंचायती राज में देश में जो कोई भी मसले होते हैं, उसकी कुछ अपनी खूबियाँ होती हैं। अपनी बात पूरी ताकत से समझाओ, लेकिन यदि न समझा सको तो दूसरे पक्ष की बात समझने की क्षमता भर रखो। ये दो कमाइयाँ होंगी। अगर दूसरे की बात समझने की ताकत नहीं है तो आप अपनी बात समझा भी नहीं सकते और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस समय हम लोग संसदीय जीवन में केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जैसे कचहरी का वकील अपनी बात मनवाना चाहता है। सांसद का काम अपनी बात मनवाना नहीं हुआ करता, बल्कि हमारी बात जहाँ फेल हो रही हो, वहाँ दूसरे की बात समझने की क्षमता भी रखना होता है। हम लोग दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं हैं और इसलिए कार्रवाइयाँ ठप्प होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पूरे राष्ट्र के लिए एक साल का सपना जगाता है। संसद उस पर

चर्चा करती है, उन सपनों को कुरेदती है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थक केवल इस राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं हूँ कि मेरी पार्टी मांगे या बिना मांगे सरकारी पार्टी का समर्थन कर रही है, बल्कि इसलिए भी हूँ कि डा० कर्ण सिंह जी ने यह प्रस्ताव पेश किया है। डा० कर्ण सिंह के व्यक्तित्व से मैं निजी तौर पर बहुत प्रभावित हूँ, वे यहां नहीं हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को हल्ले-गुल्ले में पेश किया, इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूँ। शायद अपनी जिंदगी में, संसदीय जीवन में - लोकसभा में चार बार और यहां, मैंने कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन में भाषण नहीं दिया था। मेरी आदत केवल विरोध में बोलने की है। समर्थन करते-करते अगर मैं पुरानी आदत पर आ जाऊं तो सत्ता में बैठे हुए मित्रों, मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी आदत समर्थन करने की रही नहीं है। कुछ कमियां आपमें भी हैं, कुछ आपने भी किया है, आपको सत्ता में बने ही अभी कितने दिन हुए हैं और यह दोष देना कि उन लोगों के जमाने में, जो सत्ता से चले गए, उन लोगों के जमाने में क्या-क्या खामिया नहीं थीं और ये लोग आपको बताएं। ये लोग जब विरोध में बैठते थे तब आपकी खामियां गिनाकर अपना पल्ला झाड़ लेते थे, यह कोई बहस का तरीका अब नहीं रह गया है। आपको मौका मिला है और मौका मिला है तो कई जगह कई गलतियां भी हुई हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय ने एक आफत का जिक्र किया और वह आफत बहुत भयानक थी। 26 दिसम्बर को सुमात्रा के निकट समुद्र तल से एक बहुत बड़ा भूकम्प आया। उस आफत में न मालूम कितनी जानें गईं, कितनी दौलत नष्ट हुई और न मालूम कितनी बर्बादियां हुईं। राष्ट्रपति महोदय ने उस त्रासदी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, मैं भी उनके स्वर से स्वर मिलाना चाहता हूँ, न केवल अपनी पार्टी की ओर से बल्कि पूरे राष्ट्र की ओर से। पूरी मानवता ने उसे दर्द की निगाह से देखा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार से नहीं, क्योंकि यह तो बहुत थोड़े ही दिनों की है, मैं सभी सरकार चलाने वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या केवल आप ही हैं जो समुद्र के किनारे बसते हैं? क्या केवल भारत ही है जो समुद्र के किनारे बसता है? समुद्र के किनारे बसे हुए अन्य देश इस तरह की चपेट में क्यों नहीं आते? इसे रोकने के लिए दुनिया में कहीं भी कोई मुस्ताखिल इंतजाम हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो कितनी लागत का हुआ है? क्या अमरीका ने इसका कोई हल ईजाद नहीं किया और यदि नहीं किया तो इसका जवाब हमारे वैज्ञानिकों को ढूंढना पड़ेगा और जो भी हमारे इस विभाग के विद्वान मंत्री होंगे, उन्हें ढूंढना होगा।

वक्ती तौर पर आफत में कुछ इंतजामी गड़बड़ियां हो सकती हैं, किन्तु मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ी आफत थी और यह आफत दोबारा भारत में न आने पाए। इसके लिए कोई ठोस जवाब हमारे विज्ञान जगत को, खास तौर से भारत के विज्ञान जगत को देना होगा और यदि नहीं दे सकते तो इस प्रकार की त्रासदियां आती रहेंगी और हम लोग इसी प्रकार रोते रहेंगे। यह ठीक नहीं है।

लेकिन, मान्यवर, केवल यही त्रासदी नहीं आई, जम्मू-कश्मीर में हिमपात हुआ, इतना बड़ा बर्फ़ीला तूफान आया कि जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, पूरा उत्तर भारत कांपने लगा और न मालूम कितने लोग मर गए। एक तरफ यह हो रहा था, हिन्दुस्तान इस बीच में एक अजीब चपेट में फंसा है। दक्षिण में समुद्र का तूफान, उत्तर में बर्फ़ीला तूफान और तब तक मैंने पढ़ा कि महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में मंदरा देवी मंदिर में पिछले हिस्से में आग की घटना से मची भगदड़ में तक़रीबन 400 लोग मर गए। तीन तत्व भारत में एक साथ खेल गए— एक तरफ समुद्र खेल रहा था, एक तरफ आसमान से पत्थर खेल रहा था और एक तरफ मंदिर में आग खेल रही थी। यह हमारे देश की तस्वीर है। इन तस्वीरों पर हमें गम्भीरता से सोचना होगा। यदि भारत माता की तस्वीर बनानी आती है या नक्शा बनाना आता है, तो इन तस्वीरों पर गम्भीरता से सोचिएगा कि यह क्या हो गया।

उन्हीं दिनों मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं बीमार था और अस्पताल में भर्ती था इसलिए जा नहीं पाया, अगर ठीक होता तो जरूर जाता। मैंने पढ़ा कि हमारे इलाहाबाद ज़िले के सराय आकिल थाने के एक बाबा पुरवा गांव जिसे चंडूपुर भी कहते हैं, वहां एक महिला को नग्न करके उसका सिर मुड़ाया गया और उसके मुंह पर कालिख पोत कर उसे गंधे पर बैठा करके घुमाया गया। कुछ कपड़ा जो तन पर बचा भी था तो वह भी फट रहा था लोगों ने कहा कि यह डायन हैं क्योंकि एक पांच वर्ष की बच्ची नदी में डूब कर मर गई। यह कैसी तस्वीर बन गई है भारत माता की? यदि उसे हिन्दुस्तान के नक्शों पर बनाया जाए, उत्तर में समुद्री तूफान, पेट में सतारा नदी के पास आग और उसमें धसते मरते लोग और तीसरी तरफ मां की एक बच्ची जिसे गंधे पर बैठा कर और मुंह पर कालिख पोत करके घुमाया गया। व्यवस्था के लोगों ने किया। जो वहां का प्रधान है वह था उसमें। प्रधान तो वह नहीं होता, वहां महिला प्रधान थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो महिला प्रधान होती है तो उसके पति को प्रधान पति कहते हैं। तो वह प्रधान पति था। सब लोगों ने मिलकर के यह हरकत कर दी। एक विचित्र किस्म की तस्वीर भारत की बन रही है। राष्ट्रपति महोदय इससे किस सीमा तक बेचैन थे या नहीं थे, यह अभिभाषण में तो कम मालूम पड़ा। लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्र के नाम उन्होंने अपना उद्बोधन दिया था, वह उद्बोधन शायद उनका निजी था। जो सेंट्रल हॉल में अभिभाषण दिया वह अभिभाषण तो मेरा ख्याल है कि सरकार का तैयार किया हुआ था। उपसभापति महोदय, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने नई उम्र के लोगों से बात की। उनके चेहरे पर मुस्कान है। उन लड़कों ने कहा कि सर, जब हम 15 साल, 20 साल तक के होते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान रहती है, फिर इस उम्र के बाद हमारे चेहरे की मुस्कान खत्म हो जाती है क्योंकि हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं, हमको कहीं काम नहीं मिलता, रोटी का इंतजाम नहीं होता और फिर यह तस्वीर बनती है कि हम जिएंगे तो कैसे जिएंगे, हमारे चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। राष्ट्रपति महोदय ने 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि नई उम्र के चेहरे को उसकी मुस्कान को बरकरार रखने के लिए देश के नौजवानों के रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। साढ़े सात करोड़ के

करीब बेरोजगार हैं जिन्हें धंधा देने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी नीति की होगी। 40 करोड़ के ऊपर नौजवान हैं जो काम ढूँढ रहे हैं और काम करने लायक हैं, उन्होंने एक रोजगार की तस्वीर खींच दी। मुस्कान, हैसी यह कुदरत की देन है। कुदरत ने हमको दौलत नहीं दी, कुदरत ने हमको अकल नहीं दी, कुदरत ने हमको कपड़ा नहीं दिया, कुदरत ने हमको पार्लियामेंट और मकान नहीं दिया। लेकिन कुदरत ने इन्सान को केवल हैसी दी है। घोड़ा नहीं हँस सकता, बकरी नहीं हँस सकती, शेर नहीं हँस सकता, केवल इन्सान हँसता है और उसके चेहरे की मुस्कान के बारे में 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति महोदय ने जब चिंता जाहिर की थी तो मैं उम्मीद करता था कि अभिभाषण में एक ठोस प्रारूप आएगा। लेकिन वह कोई प्रारूप नहीं आया, कोई रूपरेखा बनकर नहीं आई। कुछ ग्रामीण रोजगार के बारे में चर्चा होती है, स्वरोजगार के बारे में चर्चा होती है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के रोजगार के बारे में चर्चा होती है। तो इस सरकार के एक मंत्री हैं रघुवंश जी, उनका एक दिन बयान पढ़ रहा था कि शहरों में मकान बनाने के लिए छः सैकड़ सूद पर रुपया दिया जाएगा, बड़े-बड़े कारखानों के लिए दो सैकड़, तीन सैकड़ किश्तों पर दिया जाएगा और गांवों में स्वरोजगार के लिए बैंक में वैसे तो पैसा मिलता ही नहीं है और अगर मिलेगा तो दस सैकड़, बारह सैकड़ पर मिलेगा। तो मुस्कान कहां से आएगी। दोहरी निगाह से जब आप पैसा बांटेंगे, शहर के लोगों को, कल-कारखाने वाले लोगों को दो सैकड़, तीन सैकड़ पर, सरमाएदारों को दो सैकड़, एक सैकड़ पर और गरीब फक्कड़ लोगों को 12 सैकड़, 14 सैकड़ पर, तो हमारे चेहरे की मुस्कान कहां से आएगी। यह हमने बयान नहीं दिया था, यह आपकी सरकार के रघुवंश प्रसाद जी ने बयान दिया था। वे कैसे हिम्मत कर गये, शायद लालू जी की पार्टी के हैं, इसलिए हिम्मत कर गये, क्योंकि उस पार्टी में रहने वाले लोग कभी-कभी हिम्मत करके सही बात बोल दिया करते हैं, इसलिए वह कर गये। लेकिन वह बोल गये थे, कहीं न कहीं इसका एक रास्ता बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा कि यह लड़का कितने दिनों तक बेरोजगार रहेगा, उसके खेत में पैदावार नहीं हो रही है, उसका बाप कर्जा लेकर खेत में पैदावार करने की कोशिश करता है, खाद, सिंचाई, बिजली सब का इंतजाम करता है, उसके बाद भी पैदावार नहीं होती है, तो बाप तो आत्महत्या कर लेता है। वह बूढ़ा है। नेता, विरोधी दल की भाषा में वह धार्मिक आदमी है। वह प्रतिकार करना नहीं जानता है, तो वह बच्चों को भी जहर दे देता है और आत्महत्या कर लेता है। लेकिन उसका बेटा जवान है, हाथ-पैर चलते हुए हैं, खोपड़ी में दिमाग है, तेज है, शरीर में ऊर्जा है, तो वह जहर तो नहीं खायेगा। जो लोग खाते-पीते हैं, उनको वह लूटेगा और तब आप कहेंगे कि अपराधीकरण बढ़ रहा है। कभी अपराधीकरण पर गम्भीरता से विचार होगा या नहीं होगा कि कौन अपराधी है? कोई भी बच्चा पैदा होते ही अपराधी नहीं होता है। माओवादी आ गये, आडवाणी जी, बोला करते थे कि वामपंथी आतंकवादी हैं। अब आतंकवाद में भी वामपंथी, दक्षिणपंथी होने लगा है, तो हमने कहा कि यह सब, ये जितने वामपंथी हैं, आतंकवादी कहलाते थे। एक अजीब संज्ञा

उन्होंने दे दी। हमने कहा कि क्यों ऐसा हुआ। यह उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, यह बिहार में क्यों हुआ, आन्ध्र प्रदेश में क्यों हुआ, यह बंगाल में क्यों हुआ? तो सोचा गया कि जब आजादी मिली थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री गोविन्द वल्लभ पंत साहब थे, एक झटके से आजादी मिलते ही उन्होंने जमींदारी एबोलिशन कर दिया था। लेकिन बिहार में श्री बाबू ने यह नहीं किया। बंगाल में विधान चन्द्र राय ने यह नहीं किया। उसी गर्मी में लोग चाहते तो भूमि सुधार संशोधन हो गया होता, लेकिन अब तो यह नहीं होगा। अब तो जो कोई भी कानून आप बनायेंगे, बगल में सुप्रीम कोर्ट बैठा है, कोई भी जाकर के एक अर्जी देकर के स्टे लेकर आ जायेगा। यह गर्मी में काम हुआ करते हैं, किसी बदलाव की गर्मी में जो काम होते हैं, वहां पर आप चूक गये। अब लड़के नक्सलाइट बन रहे हैं। कहते हैं कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर दोबार जानलेवा हमला हो गया। लड़के जवान हैं, हाथ-पैर चल रहे हैं, खोपड़ी काम करती है, लेकिन उनके पास पेट भरने के लिए नहीं है। भारत माता के पेट में आग लगी है। सतारा के मंदिर के पीछे लोग मर गये। ऊपर बर्फ गिर रही है, समुद्र तहलका मचाये हुये हैं और पेट में आग लगी रहती है, कोई क्या करेगा? उपसभापति महोदय, अगर कोई नौजवान हथियार उठाता है, तो अपराधी कहकर, माओवादी कहकर, आतंकवादी कहकर, उसे टाला नहीं जा सकता, उसे दुत्कारा नहीं जा सकता। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं। सर, अभी हमारा टाइम बचा हुआ है।

श्री उपसभापति: अभी दो मिनट का समय बचा है। आपकी पार्टी का 23 मिनट का समय है।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, अभी टाइम बचा है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों यहां विदेश नीति पर चर्चा चल रही थी, तो हमने कहा था कि लोकतंत्र, जो हमारा एक मूल्य है, इसको यह सरकार भी बोलती है कि हमारी प्रतिबद्धता है, ये लोग भी बोलते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता है। हमने उस समय इशारा किया था कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए हलचल हो रही है। जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, हो सकता है कि उनसे सैद्धांतिक रूप से हम सहमत न हों, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों से हम सहमत हैं। बर्मा में लोकतंत्र के लिए एक हलचल है, अगर लोकतंत्र कोई मूल्य है, तो हम यह तो नहीं कहते कि राष्ट्रपति महोदय अपने अभिभाषण में जोड़ देते, लेकिन इतना जरूर बोलना था कि दुनिया के जिस किसी देश में लोकतंत्र के लिए झगड़ा होगा...। भारत किसी कारण से मदद नहीं भी कर पाए तो उसका मौखिक समर्थन जरूर रहेगा। इतना कहने के बाद मैं थोड़ा सा नेता, विरोधी दल पर आना चाहता हूं। उन्होंने डा० संपूर्णानन्द का हवाला देकर फरमाया कि हमारा धर्म महान है। संपूर्णानन्द जी ने कहीं कह दिया कि जब किसी भी शब्द की परिभाषा इधर से उधर हो जाती है तो बड़ा प्रलयकारी रूप बन जाता है। धर्म का अनुवाद religion हो ही नहीं सकता। अब डा० सम्पूर्णानन्द तो नहीं हैं, प्रोफेसर थे, बहुत विद्वान थे, होते तो हम उनसे जरूर पूछते लेकिन अब उनसे तो पूछ नहीं पाएंगे इसलिए नेता विरोधी दल, श्री जसवंत सिंह जी से जरूर पूछेंगे कि हम लोग religion को हिन्दी में क्या कहें, धर्म कहें या न कहें या धर्म को अंग्रेजी में क्या कहें, religion कहें या न कहें? यह आप ही बता दीजिए, सिंपल सा सवाल है, संपूर्णानन्द जी को

3.00 P.M.

कहां घसीटकर लाते हैं? "धर्मनिरपेक्षता" अपने आप में एक शब्द है और शब्द ही नहीं, भारत के लिए मूल्य है। मूल्य इसलिए है कि यहां कई धर्म के लोग हैं। ज्यादा तादात में हिन्दू हैं। हमें खुद अपने को हिन्दू कहने में गर्व है लेकिन हमारी किसी हरकत से कम तादात वाले दहशत में आ जाएं, घबरा जाएं, यह हमारे लिए पाप हो जाएगा। अगर हमारे घर में कोई कमजोर रहता है, तादात की वजह से, दौलत की वजह से, तो उसके सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। कहीं-कहीं लोग उत्पात करते हैं। अभी पाकिस्तान की कोई टीम खेलने वाली आयी थी, संजय निरुपम नहीं दिखायी दे रहे, उनके नेता लोगों ने कहा कि अहमदाबाद में नहीं खेलने देंगे, कोई बोलता था, मुम्बई में नहीं खेलने देंगे, सब पिच खोदने लगे। हमें ऐसा लग रहा था कि खेल-कूद में भी हिन्दू-मुसलमान, खुदा और अल्लाह आकर बस गए हैं। किस सीमा तक बिगाड़ करके रह जाएंगे? लोगों का मन खराब करने के लिए ये खेल तमाशे किये जाते हैं और हम समझते हैं कि ये अच्छे लक्षण नहीं हैं। मैं जानता हूं कि जो हमारी पार्टी का समय है, वह खत्म हो रहा है, मैं दो तीन मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और इस समय विपक्ष को यह समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सत्ता पक्ष का समर्थन बहुत मज्जी से नहीं किया। हम कांग्रेसी कभी नहीं रहे हैं। शुरू में हमारी राजनीति की शुरूआती दौड़ डा० लोहिया की शागिर्दी में हुई थी और तब से हम कांग्रेस के विरोधी थे। कभी-कभी इन लोगों के विरोधियों की मदद भी ले लेते थे लेकिन इनसे हमें पूछना है कि धर्म निरपेक्षता के बारे में आपको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी या नहीं बदलनी पड़ेगी। यह सच है कि इस समय देश नहीं चल पा रहा है क्योंकि ये विरोधी पार्टी के लोग समझते हैं कि अभी सरकार से वे हटे-वटे नहीं हैं और इधर जो लोग बैठे हैं, वे समझ रहे हैं कि अभी हम ठीक से बैठे नहीं हैं। एक भ्रम की हालत में ये दोनों हैं लेकिन विरोधी पार्टी के लोगों को यह बताना पड़ेगा कि कितने दिनों तक हिन्दू, क्रिकेट का मैच, कोई गाना गाने वाला पाकिस्तान नहीं जा सकता, यह प्रतिबंध कितने दिनों तक और कब तक रहेगा? यह रोग अगर लगता रहा तो एक बार तो खुदा-न-खास्ता, राम के नाम पर आप आकर किसी तरह से बैठ गए, फिर नम्बर नहीं आया। राम का प्रभाव बहुत होता है। हिन्दू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें औरत के पेट से पैदा हुए बच्चे को भगवान का नाम दे दिया, खुदा का दर्जा दे दिया। मुसलमान का खुदा किसी के पेट से पैदा नहीं हुआ है। ईसाई का गॉड किसी के पेट से पैदा नहीं हुआ है लेकिन हिन्दू धर्म में हमारा भगवान कौशल्या के पेट से पैदा हुआ था। यह एक विचित्र किस्म का धर्म है। इसको हम कहेंगे कि यह एक बिल्कुल व्यक्तिपरक धर्म है। मैं हिन्दू लोगों से भी कहूंगा कि वे व्यक्तिपरक हों, बहुत सीमित न हों और अपने इन भाइयों से भी कहूंगा कि मन को थोड़ा चौड़ा करें। मैं अंत में सत्ता पक्ष से कहूंगा कि हमारे कुछ अच्छे कामों में तो मदद किया करें। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह ने बेकारों को भत्ता देने के लिए एक योजना बनाई है। उन्होंने आकर मुख्य मंत्री जी से कहा कि इसमें मदद करो। राष्ट्रपति महोदय अपने अभिभाषण में कहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देना हमारा पहला लक्ष्य होगा। हम लड़कपन में इंदिरा जी और जवाहर लाल जी के जमाने में लड़ा करते थे कि बेरोजगारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो। अब मुख्य

मंत्री बोलता है कि अगर हम काम नहीं दे पाए तो बेकारी का भत्ता देंगे। आपके प्रधानमंत्री ने कह दिया कि यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हर प्रधानमंत्री बोलता है। हमको अच्छी तरह से याद है कि मोरारजी भाई

[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) पीठासीन हुए।]

ने भी कहा था कि हमको भीख मत दो, तब उनकी सरकार में थे और हमने उनसे कहा था कि यह ठीक है, हम पैसा भीख में नहीं मांगते, लेकिन हमको काम अधिकार के तौर पर दे दो। यह संविधान में जोड़ दो कि जो कोई भी लड़का अठारह साल की उम्र पार करने लगे, यदि वह अपनी रोटी कमाने के लिए काम करना चाहे तो उसको सरकार जरूर कोई न कोई काम देगी। जैसे हिन्दू के मंदिर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, मुसलमान के मस्जिद में जाने पर कोई पाबंदी नहीं और गिरिजाघर में जाने पर किसी ईसाई पर कोई पाबंदी नहीं है, वैसे ही अठारह साल का नौजवान जब अर्जी लेकर काम मांगने आए तो काम पाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यह मूल अधिकार में जोड़ दिया जाए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। यह तो सरकार की मजबूरी है कि वह भीख दे। मुलायम सिंह जी ने उस मजबूरी में कहा है कि हम बेकारों को बेकारी का भत्ता देकर, कुछ मदद करना चाहते हैं। लेकिन आपके प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि यह ठीक नहीं होगा। यह मोरारजी ने भी कहा था कि हमारे जैसे आदमी इस मांग को, अपने लड़कपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक दोहराते रहें, यह अच्छा नहीं लगता, यह किसी सूबे में, एक बार तो हो जाने दो। मेरा ख्याल है कि शायद कभी ऐसा बंगाल में हुआ था। थोड़ी बहुत कहीं से तो शुरूआत हो और नई उम्र के लोगों में नई उमंग जगे। उनको लगेगा कि हमको कहीं न कहीं कुछ तो मिलेगा तो वे हथियार उठाना बंद कर देंगे यदि हथियार उठाना बंद कर देंगे तो एक बढ़िया आने वाले भारत बनाने में, हम लोगों को मदद मिलेगी। राष्ट्रपति महोदय ने जो एक साल के लिए, हमारा सपना जगाया है, वह पूरा होगा। एक बात और है, जो हमारे लड़के विदेश में कमाने-खाने के लिए यहां से भागकर चले गए थे, जब वे यहां पर आते हैं तो टाई बांधकर आते हैं। आप लोग उनका जमाता की तरह से स्वागत कर रहे हो, और ये भगेरु लड़के हैं जिनकी इस देश में रहने की हिम्मत नहीं थी और यहां से भागकर चले गए। कोई कुली बनकर गया, कोई कुछ बनकर गया और वहां जाकर दौलत कमा ली तो वे अब इस देश को हिकारत की निगाह से देख रहे हैं। यदि वे यहां आते हैं तो आपसे अंग्रेजी बोलते हैं, आप उनका सम्मान करते हो। वह आपको कितना रुपया देगा? वह आपको जितना रुपया देगा, उससे कई गुना लेगा। हमारे देश में उन सभी के कपड़ों के लायक सेंट नहीं बना करती है। वे जिस तरह से सेंट लगे कपड़े पहनकर आते हैं और कभी-कभी हम लोगों के कमरे में बैठ जाते हैं तो तीन दिन तक कमरे में खुशबू रहती है। हमने कहा कि इस देश में, ये कैसे रहेंगे। इसलिए विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने के लिए, जिस तरह की नीति बनाई गई है, वह ठीक नहीं है। हम चाहेंगे कि उस नीति को गांधी की नीति पर ही चलाओ। गांधी जी, व्यक्ति को महत्व देते थे, उसका कितना विकास हुआ है?

आप उद्योग और दौलत को महत्व दे रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है।... (समय की घंटी)... बस खत्म कर रहा हूँ। दौलत का कितना विकास होगा? गांधी व्यक्ति के विकास में, अंतिम आदमी तक जाते थे। जैसे आपने राम में भगवान का दर्शन कर लिया तो उन्होंने दरिद्र नारायण में भगवान का दर्शन कर लिया। गांधी का दरिद्र नारायण और मार्क्स का सर्वहारा था। मैं चाहूँगा कि राष्ट्रपति महोदय ने उस अंतिम आदमी की तरह आपको भेजकर के गांधी के दरिद्र नारायण और मार्क्स के सर्वहारा.. क्योंकि ये कम्युनिष्ट लोग भी व्यक्ति पर महत्व देते थे। हम सोशलिस्ट भी देते थे, यह गांधी जी से सीख गए थे। हम चाहेंगे कि व्यक्ति को महत्व दिया जाए। आज व्यक्ति नगण्य हो रहा है। थोड़े से बड़े लोग, खाते-पीते लोग, उनकी कमाई में अगर दस हजार, बीस हजार बढ़ जाए, घट जाए, दस लाख, बीस लाख घट जाए, बढ़ जाए, उसके कोई मायने नहीं हैं। अंतिम आदमी के घर में सब्जी तक नहीं बनती, दाल महीने में एक बार बनती है। हमने उसका घर देखा है। आपके बजट में उस दरिद्रनारायण की पूजा चिदम्बरम साहब करें, इसके लिए आपकी पार्टी और आपकी सरकार उनमें संकल्प जगाए, हम सब लोग आपका समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ डा० कर्ण सिंह जी ने, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): कुमकुम राय जी, आप बोलिए, आपके पास 15 मिनट हैं।

डा० कुमकुम राय (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण पर माननीय डा० कर्ण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए प्रस्तुत हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कई बरसों के पश्चात् महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की गंगा-जमुनी संस्कृति के संरक्षण के बारे में आश्वस्ति का भाव महसूस किया गया, जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के 8वें पैराग्राफ में यह कहा कि-

“राजनैतिक मुख्यधारा में निहित बहुलवाद, सर्वसमावेश, पंथनिरपेक्षता तथा समता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक वृद्धि की ओर वापसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का राष्ट्र के प्रति महत्वपूर्ण योगदान रहा है”।

इसका पिछली सरकार में सर्वथा अभाव था। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें नकार दिया लेकिन अभी तक दिल्ली-दिमाग में NDA ने शायद इसे स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि हताशा और बौखलाहट में कभी पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यपाल जैसे पदधारक के लिए “सुपारी किलर” जैसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं, तो पूर्व रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नान्डीज, कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी को धमकाते हुए कहते हैं कि यदि वे इसी तरह चलीं, तो उनका हथ्र भी श्रीमती इंदिरा

गांधी वाला होगा।

महोदय, इसे लोकतंत्र का चमत्कार ही कहा जाएगा, जो यहां बार-बार देखने में आया है कि जिन विरोधी नीतियों के कारण येन-केन-प्रकारेण हर तरह से प्रयास करके भी सरकार अपनी सत्ता को बरकरार नहीं रख सकती ... (व्यवधान) ... तब भी सबसे बड़ी पार्टी हम ही हैं ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आप लोग इंटरप्ट मत करिए, उनको बोलने दीजिए। कुमकुम जी, आप बोलिए, आप उनको जवाब मत दीजिए, आप इधर देखकर बोलिए।

डा० कुमकुम राय: उपसभाध्यक्ष महोदय, जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, जनादेश ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी वर्तमान सरकार, UPA की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू किया है, जिसमें सभी पार्टियों की विचारधाराओं, उनके सिद्धांतों, उनके आदर्शों का समावेश किया गया है। हमारी सरकार उस कार्यक्रम के तहत संचालित हो रही है और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सबसे मुख्य बात यह रही कि उन्होंने made in India पर जोर दिया है। हमारी सरकार, ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के लिए “भारत निर्माण” के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर रही है। जिसके अन्तर्गत गांव में सिंचाई, सड़कें, आवास, जल, बिजली आपूर्ति और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में, बुनियादी ढांचा निर्माण में समयबद्ध कार्यक्रम चलाए जाएंगे। महामहिम जी ने आर्थिक उदारीकरण को मानवीय चेहरा देने, गरीबी पूर्ण रूप से दूर करते हुए सबको आर्थिक तरक्की में भागीदार बनाने, गांवों की तस्वीर बदलने, सरकार को जनता के करीब लाने और हाशिए पर खड़े लोगों के प्रति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की वचनबद्धता की ओ भी संकेत किया है। महामहिम जी की ये पंक्तियां बहुत ही सार्थक और सारगर्भित हैं, मैं कोट करती हूँ कि “मेरी सरकार भारत उदय चाहती है, लेकिन यह उदय सभी के लिए हो, जब तक ग्रामीण भारत में रहने वाले हमारे नागरिक, खास तौर पर किसान और कमजोर वर्ग, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त नहीं होते, भारत उदय नहीं हो सकता”। मैंने सारगर्भित और सार्थक इसलिए कहा कि इंडिया शाइनिंग का नारा पिछली सरकार ने भी दिया था। विज्ञापन पर करोड़ों की राशि खर्च की गई थी। लेकिन इंडिया शाइनिंग कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए था, जिनकी तिजोरियां विनिवेश के माध्यम से, रिश्वत के माध्यम से या घूस के माध्यम से भरी गई थीं। लेकिन इस एक अरब दस करोड़ की आबादी में, भारत जो गांवों में बसता है, उन करोड़ों गरीबों, किसानों के लिए इंडिया शाइनिंग नहीं था और इस बात को उन्होंने अपने वोट में तब्दील करके दिखाया। महामहिम जी ने इस बात को जो बार-बार इस हिन्दुस्तान में आजादी के बाद से कही-सुनी गई है, उसे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत

गांवों में बसता है। यह एक घिसी-पिटी बात हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब तक हम इस बात को याद नहीं रखेंगे, हमारी सरकार इस बात को याद नहीं रखेगी, हमारी तमाम योजनाएं, हमारे तमाम कार्यक्रम गांव आधारित नहीं बनेंगे, तब तक सचमुच में भारत उदय नहीं हो सकता।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सुनामी और कश्मीर में भारी बर्फबारी जैसी आपदाओं से निबटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने के सरकार के फैसले से भी अवगत कराया है। राष्ट्रपति जी ने इसके अतिरिक्त जल संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी संरचना के विकास, दूरसंचार तथा ऊर्जा संरक्षण एवं विकास को सरकार की प्राथमिकता वाला क्षेत्र बताया। साथ ही यह भी कहा कि इनके साथ राष्ट्रीय आय में औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा बढ़ाने और विनिर्माण क्षेत्र में "मेड इन इंडिया" लेबल के संवर्द्धन पर भी सरकार खासी तवज्जो देगी। उन्होंने सरकार द्वारा लोक प्रशासन प्रणाली का पुनर्गठन करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किए जाने की भी घोषणा की। प्रारंभिक शिक्षा कोष, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना, ये सब स्वागत योग्य कदम हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा के लिए लगाए गए उपकरणों के जरिए एकत्रित राशि का उपयोग प्रारंभिक शिक्षा कोष के गठन के लिए होगा। इससे सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न आहार योजना और बालिका पोषाहार कार्यक्रम का बेहतर वित्त पोषण हो सकेगा। उन्होंने भारत में 21वीं सदी के ज्ञान का पूरा फायदा देने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की मंशा भी जताई है। उन्होंने इस आयोग के 5 शाखाओं में काम करने की भी बात कही है। यह आयोग जन समुदाय के हित के लिए ज्ञान की सुलभता बढ़ाने, विश्वविद्यालयों में ज्ञान की अवधारणा का पोषण करने और सरकारी सेवाओं का स्तर सुधारने में ज्ञान का उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य होगा। पिछली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो मनमाने परिवर्तन करने की कोशिशें की थीं और जिससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता के बारे में भ्रम फैलने की भी गुंजाइशें बन रही थीं, उर सारी गुंजाइशों को समाप्त करना और रोजगार उपयोगी शिक्षा और ऐसे जनोपयोगी नीतिपरक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करना, यह सब इस आयोग का कार्य होगा।

महामहिम जी ने पूर्वोत्तर भारत के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान की शाखा खोलने, जामिया मिलिया इस्लामिया को विशेष अनुदान प्रदान करने की भी सरकार की मंशा को जाहिर किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने मूलभूत विज्ञान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता देने और शिक्षा की सुलभता और उत्कृष्टता पर बल देने की बात भी कही है। उन्होंने वैश्विक ज्ञान व्यवस्था में भारतीयों की श्रेष्ठता के बावजूद निरक्षरता की उच्च दर पर चिंता जतायी है। महोदय, साक्षरता के बहुत से कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहे हैं जिनमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय

संस्थाएं लगी हुई हैं, लेकिन हमें उन कार्रणों को खोजना होगा जो अरबों की राशि लगाए जाने पर भी हम साक्षरता की दिशा में कोई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके हैं।

महोदय, सरकार द्वारा शुरू की गयी विकास परियोजनाओं का लाभ समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचाने के लिए एक मंत्रि-स्तरीय समिति बनाए जाने का ब्यौरा भी हमें आश्वस्त करता है। उन्होंने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के लिए एक मंत्रि-समूह के गठन और संसद में पेश आरक्षण विधेयक का भी उल्लेख किया है।

महोदय, पिछले कुछ वर्षों से सरकारी उपक्रमों में रोजगार के अवसर घटे हैं, नौकरियां घटी हैं। ऐसी स्थिति में संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान, मण्डल कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर आरक्षण का प्रावधान आज बेमानी हो चले हैं। इसलिए सरकार ने ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण के संदर्भ में जो निजीकरण का द्वार खोला है, उसमें संविधान के द्वारा प्रदत्त कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए एकमात्र उपाय यही है कि हम निजी क्षेत्रों में भी उस आरक्षण को बहाल करवाएं।

राष्ट्रपति जी ने आगे कहा है कि बढ़ती बेरोजगारी को निवेश बढ़ाकर और कृषि विनिर्माण अवसंरचना तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़ायी जाने वाली नीतियों के जरिए रोकेंगे और उससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। आज करोड़ों की संख्या में बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं जिनके अरमानों पर ताला लगा हुआ है। यही कारण है कि देश के विभिन्न राज्यों में अवसर नक्सल और आतंकवाद में बढ़ोतरी की सूचनाएं हमें मिल रही हैं। यदि हमें अपनी युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लगाना है, उनकी मेधा, उनकी प्रतिभा और ऊर्जा को देश के सृजनात्मक विकास में लगाना है तो हमें इस दिशा में अत्यंत सावधानीपूर्वक और सतर्क होकर काम करने की जरूरत है।

महामहिम महोदय ने, ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान का आह्वान करते हुए विख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद जी जिन्होंने गद्य में आम आदमी के दुख-दर्द को हमारे चिंतन के केन्द्र में बिठाने का काम किया, उनकी 125वीं जयंती मनाने के सरकार के निर्णय की स्वागत योग्य सूचना दी है। महोदय, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि संविधान के अंतर्गत मान्य हमारी सभी भाषाओं के जितने भी मूर्धन्य लेखक या कवि हैं, उन्हें सम्मान देने के ऐसे अवसरों का सृजन आगे भी किया जाना चाहिए।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 25वें बिंदू से हमारा प्रत्यक्ष सरोकार है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगी कि बिहार राज्य हर साल नेपाल से निकलने वाली अनेकों नदियों में आने वाली बाढ़ से आपार धन और जन की क्षति का सामना करता है। महोदय, हम लोगों ने संसद में बार-बार इस मुद्दे के उठाया है और पिछली सरकार से आग्रह किया कि नेपाल

सरकार से वार्ता कर के उन नदियों के जल-प्रबंधन का काम किया जाय ताकि बाढ़ पर नियंत्रण हो सके और जल-प्रबंधन से hydro-electrical project या canal बनाकर सिंचाई व बिजली जैसी सुविधाओं का भी लाभ लिया जा सके, लेकिन पिछली सरकार ने इस कार्य को सिर्फ इस वजह से take up नहीं किया, ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां इनके घटक दल की सरकार नहीं थी। वहां श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार थी। इस तरह हम बाढ़ की समस्या से निरंतर जूझते रहे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया गया और हमारी सरकार ने तुरन्त नेपाल सरकार से वार्ता की, समझौता हुआ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आपको खत्म करना होगा।

डा. कुमकुम राय: और उस बाढ़ के नियंत्रण के लिए एक हाई डैम बनाने के लिए ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): मैडम अब आपको खत्म करना होगा।

डा. कुमकुम राय: बस दो मिनट सर।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): ठीक है, बोलिए।

डा. कुमकुम राय: हाई डैम बनाने के लिए हमारे ऑफिस खुले। हमारे विशेषज्ञ डी.पी.आर. बनाने में लगे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम में चाहे जितना भी धन लगे, चाहे जो भी समय लगे, लेकिन इस बाढ़ पर हम नियंत्रण पाएंगे और बिहार का विकास होगा। पिछली सरकार ने बिहार का बंटवारा करते समय बड़े-बड़े वादे, बड़ी-बड़ी घोषणाएं की कि इसे पैकेज दिया जाएगा और इसे पंजाब और हरियाणा बनाया जाएगा, लेकिन पैकेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी देने का काम नहीं किया गया। इस सरकार ने जो भी पैकेज दिया है, उसका यहां भरपूर उपयोग होगा। बिहार के विकास में हम जरूर सफल होंगे। मैं बार-बार यह कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने बिहार के साथ जो सौतेलापन और उपेक्षा का व्यवहार किया, अब उसकी भरपाई करने का समय आया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, महामहिम के इस भाषण में, मुझे भी एक कमी खटकी है। वह यह कि जेनरल बजट की बात तो बहुत की जाती है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी महिला के सर्वांगीण विकास का उल्लेख है। महिलाओं के लिए विधान सभा और लोक सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा उसमें कतई नहीं की गई है। मेरा सुझाव है कि 33 प्रतिशत आरक्षण में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक जाति की महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करते हुए सरकार शीघ्र विधेयक लाने का कार्य करे और दूसरे रोजगार गारंटी योजना के तहत, जो परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार देने की जो गारंटी की गई है, उसमें भी मेरा यह सुझाव होगा कि सरकार उसमें 40 प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए भी आरक्षित करे, क्योंकि

बहुत से ऐसे परिवार हैं, जो महिला आधारित परिवार हैं या एकल महिला वाले परिवार हैं। उसमें भी महिलाओं के रोजगार के लिए व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा सुझाव मैं सरकार को यह देना चाहूंगी कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में हमें जरूर सतर्क होना होगा क्योंकि जब तक परिवार नियोजन कार्यक्रम को हम जोरदार ढंग से फिर से शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या पर लगाम नहीं लग सकेगा। ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): अब खत्म कीजिए।

डा. कुमकुम राय: सभी समस्याओं की जड़ में यह बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। इसलिए इस मामले में सरकार अवश्य ध्यान दे। ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आपने टाईम जो मांगा था, वह पूरा हो गया।

डा. कुमकुम राय: इसलिए मैं उन तमाम बिन्दुओं के प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हुए महामहिम जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, जो माननीय सदस्य कर्ण सिंह ने प्रस्ताव लाया है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Shri Pyarimohan Mohapatraji; you have eight minutes.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to have a little more time as per the convention of the House. Thank you, Sir. I rise, Mr. Vice-Chairman, Sir, to oppose the motion. If you read the Address, shorn of all the cliches and jargons, the main theme of the Address is inclusive society, caring polity and sharing economy, which suffer from a lot of deficiencies. You will find that when you go through the Address, inclusive society, Sir, has been brought in to justify the so-called secularism of the UPA and the so-called communalism of the NDA rule. Secularism *versus* communalism is a travesty of truth despite what happened in Gujarat and which we, the BJD, do not support and never supported. Like Adam and Eve, political parties with rare exceptions have delved into minority and caste votes by spinning a lot of pipe-dreams. All parties are guilty of dividing the society into communities, castes, sub-castes. And it is so shameful now that the calculations are openly done not only by the political commentators, but also by the political parties and the media. In this context, I would refer to para 11 of the President's Address which says, "...to constitute a Commission for the welfare of

socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities,...." is a part of the same process of selling pipe dreams to appease minorities, and open another plank for reservation of jobs for dalit Christians and dalit Muslims. This has to stop. Gharib or the poor, Sir, has no caste. This, my mentor, late Biju Patnaik said when his Government was in power here, when Shri V.P. Singh was the Prime Minister, and when mandalization of the country—I call it a vivi section of the society—was done. He said: "Poor has no caste and I refuse to support this Mandal Commission and mandalization." The President's Address has brought in another class, the tribals to make them inclusive. Rights of the tribals in forest villages are to be protected. Now, the tribal land rights issue is so vast and so complex that you cannot just wish it away by settling a few forest villages. In Orissa, in my State, we have hundreds of villages of tribals in the forest, and only 21 have been recognised by the Government of India over the last 25 years. That is the complexity of the issue, that is the vastness of the issue. It is true of Madhya Pradesh, it is true of Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh. It would have been better, if the President's Address had concentrated on the capacity building of tribals; and while talking about the disadvantaged and the tribals, it should have looked after, first the problem of their housing. Please allocate houses under the Indira Awas Yojana for tribals, for widows, for orphans and for disabled. There is no mention of these things in the President's Address. Sushmaji mentioned that there is no mention of women in this Address. I have been running an orphanage, and involved in children's problems for over 30 years, Children who are supposed to be the citizens of tomorrow, are conspicuous by their absence in this Address. Is it because they do not constitute a vote bank? In a Shrinking job market, both in the public and the private sectors, public because of job cuts, and private because of technology improvements, how do you talk of reservation of jobs for SC and ST in the private sector? Why do you give such empty populist slogans?

Now, to a caring polity. A new deal is supposed to be given to rural India, and Bharat Nirman is to be done, and provision of rural infrastructure to equate it with urban infrastructure, looks pretty good in print. Do you believe it, Because if any Member of the Treasury Benches believe it. If you do, I am sorry for them.

The concern in the President's Address when you say that you will raise the Antyodaya beneficiaries to more than 2 crores, is so acute that

my State is yet to get any foodgrains... (*Time-bell*)

Sir, it is my maiden speech.

My State is yet to receive foodgrains under the Antyodaya Programme. It is a question of the mindset. Do you want to focus on the poor and the unemployed? You are talking about poverty, you are talking about improving the condition of the poor and generating income, but hundred days of employment guarantee in hundred odd blocks is not going to get income even up to the BPL income. We need upliftment of each poor family through the participation and wisdom of its every member in all the schemes to give him confidence and dignity. Please do change your schemes in that direction. I am making a request because I come from the poorest State. Mahatma Gandhi said that Orissa is an epitome of India's poverty. We have the highest percentage of BPL families in Orissa, followed by Bihar, and Bihar is the poorest State, followed by Orissa. I am ashamed to have these certificates, but these are true. As it was mentioned by Janeshwarji, until you transfer land resources to the poor, nothing is going to change. Look at the 'Operation Barga' and the land reform measures initiated by late Binay Choudhry and Mr. Jyoti Basu. You will get an inkling into how things can move fast if the poor is given the basic land resources and employment. A big mission has been contemplated. We are waiting. Somebody said 75 million, out of which 40 million, are educated unemployed. How do we tackle it? Mr. Vice-Chairman, Sir, you are aware that the PMRY'S targets have not been met because of the non-cooperation of banks. The RBI and the Government of India have not been able to rein them in the matter. Who will then rein them in? How do you think that we can achieve great strides? You can give 100 days of job to the poor by pushing out some money. There are millions of educated unemployed who are getting into drug abuse and alcoholism. How do you set them right?

As regards the small-scale industries, Mr. Vice-Chairman, you know how they are declining. Their number is declining by around 40 per cent. And they are the big spinners of jobs. KVIC is being mentioned. The handloom sector is being mentioned in this. There is a decline in the handloom sector, in terms of employment, *vis-a-vis* the powerloom sector; in terms of absolute number, it has also declined.

About sharing economy, you have created a debt trap for the States. Every Central Government, I am not accusing here this Government,

Every Central Government has created a debt trap for the States. Repeated pay revision have been made without thinking about their impact on the States. And, now, you are talking of a Fiscal Responsibility Legislation! Where was the fiscal responsibility of the Central Government when the largesses were doled out to satisfy the Government and PSU employees? States have to follow suit. In the organised sector and the salaried sector, can you think of wages freeze, or a reduction in the organised sector to create a balance between the organised sector income and the informal and unorganised sector income? No thinking is going into this. At least, the Debt Swap Scheme had been brought in by the NDA Government. But not much is being done. With two economic and financial wizards like our Prime Minister and the Deputy Chairman, Planning Commission, Backward States like Orissa hoped for a great deal. Their hope has been dashed by the President's Address.

We have been howling *ad infinitum* for special category status for States like Orissa on poverty factor alone. KBK has been touted by the NDA Government and is being touted by the present Government as a success story. What was the original plan? It was Rs. 6,000 crores. I have taken rounds of the Ministries, the PMO and the Cabinet Secretariat. They cut it down to Rs. 4,500 crores and on every village tonnes of paper were produced, and as against Rs. 4,500 crores all, that we have got up to now is not even Rs. 500 crores. This is the big KBK success story. So, the Kalahandi syndrome continues. We are internationally infamous for things like Kalahandi.

My friend, Mr. Narayanan, talked about lack of coal and power plants in the southern region. We are unfortunate in having plenty of coal and plenty of power plants. They don't understand the plight of States like Orissa and Madhya Pradesh. We are under mountains of fly ash and nobody is looking at us to tackle this problem. When we ask questions, the replies are standard, "We have some guidelines. Please look at the guidelines". The guidelines really say nothing. There is no solution. This is the reward of having coal and for a large population in coal-mining areas from where I come, there are multiple displacements. There are repeated displacements.

The reluctance of the Central Government to increase the coal royalty is because the huge profit of coal companies will come down to some

[10 March, 2005]

RAJYA SABHA

extent. This is the sharing and caring spirit. There is a case for raising the royalty of iron ore, bauxite and coal in particular and all minerals, in general, to help the States in getting better revenues. Please do it. An amount of Rs. 10 or Rs. 15 paid at present, as royalty on bauxite and iron ore, is not adequate when thousands of crores of rupees are earned by the traders who are running the iron ore mines.

Sharing and caring part, there is a tendency, I am sorry to say, Sir—it is another manifestation—on the part of the Central Government, over the years, to encroach into the domain of the State Governments and deal a death blow to federalism. Why should there be a Central legislation on disaster management? I welcome the move to modernise the disaster warning systems. But why should there be a Central legislation? Why should the Central Government do everything?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Mr. Mohapatra, how much time do you want?

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Two minutes.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Okay, go ahead.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Why should the Ministry of Panchayati Raj side-step the State Governments and have direct links with the panchayats? What for? Are you going to administer from Delhi? Has any Government in the history of the country been able to administer from Delhi and succeed? So, don't do it.

Whether there is an Investment Commission or no commission, we have a large-scale industrialisation effort now in Orissa, because of historical forces. There is no mention. In the President's Address whether the Centre would come forward to help the State with infrastructure wherever needed, where it is not possible for the State Government to do anything much. On poor connectivity, a House Committee of the Orissa Assembly came. We accompanied them, met the Railway Minister and met the hon. Prime Minister. He promised to do something drastic in this Railway Budget. We have got 2 per cent increase from the respected Prime Minister. So, roads and rail are required for industrialisation. Do give something more. I agree with General Chowdhury that the delivery system is very

crucial. But why is there need for the Administrative Reforms Commission again? You have the report of the ARCs. They went on for years and produced vast reports which were thrown in the dustbins.

Create a Task Force to study those reports. In six months' time. Please do create a delivery mechanism which should be subordinated at every level, from the Panchayat to the Government of India, to the elected bodies. Today it is subordinated here and in State Capitals but not everywhere.

At the end, I would like to point out a serious flaw because you have promised everything in this particular Address. But nothing is going to be fulfilled, as I do not see any plan of action or programmes to combat corruption. If you had remembered the speech of late Rajiv Gandhi in Mumbai, something could have been found in the Address. I would like to remind the Government that if they show indifference towards this cancer, all the programmes of Bharat Nirman will remain a mirage and the exploitation of the deprived will continue unabated. Thank you.

DR. BIMAL JALAN (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak. We have heard a lot of eloquent speeches from both sides. All the points that needed to be made have been made. Yet, if I have got up to take the time of the House, it is only to make one or two constructive suggestions because to the extent that we succeed in doing what the President's Address promises to do, I think the country will be better off. My suggestion is concentrated on only one point which is on the delivery mechanism or the implementation about which the President's Address has spoken in Para 53. A lot of stress was given by the Finance Minister in his speech also when he talked about his preference for outcomes rather than outlays.

I think the critical issue before the country is not what we say but what we do. Therefore, my comment would be based only on that point. Mr. Vice-Chairman, Sir, as I reflect on what we say, I remind myself that this is the 58th year of our Independence. At the beginning of 1947, the 'Bharat Nirman' was the slogan. When we had our tryst with destiny at midnight that was 'Bharat Nirman'. I recall, Sir, in 1956, when the Second Five Year Plan was launched, there was tremendous enthusiasm. We were much younger then. We have promised that we would eliminate poverty by 1981,

i.e. a new deal for rural India, a new deal for the poor by 1981. We talked about 'Garibi Hatao' in 1971. We talked about 'freedom for development' or 'development for freedom' in 1977. We talked about a new growth path for India in 1987 and so on and so forth.

The reason why I am reminding myself of all this is that this is the 58th year when we have promised and not delivered. Therefore, now let us concentrate on that one aspect. If we succeed even partially in doing more than what we have done, in ensuring more outcomes than we have been able to do, I think the country would be better off. It is entirely a non-political point. My suggestion is going to be very constructive and in the spirit of constructive suggestion, let me start by saying that I support the Motion. So it should not be misunderstood as taking an opposite view. I support it fully, entirely and a hundred per cent.

My constructive suggestion on the delivery side, on the implementation side, on what the Finance Minister has promised, on what the Prime Minister has said, is this. I have the highest regard for both of them; they are better administrators than I have been. But there has been a lot of research because the country achieved a lot by way of democracy and by way of promises. In recent years there has been a lot of research done by NGOs, by the Public Affairs Centre at Bangalore for example and by a number of IAS officers, by ICS officers, particularly after retirement, as to why the system has not delivered as much as we had expected it to deliver. It is not lack of resources; it is not lack of will; it is lack of institutional structure that we have set up. And, Mr. Deputy Chairman, Sir, as I read the President's Speech, I could count, there are 16 more—at least 16 more; a number of them are already there—missions, commissions, boards, departments, ministries, and so on and so forth. My constructive suggestion for both sides, whichever party happens to be in power, is that we are not going to improve the delivery mechanism by more missions, more commissions, more ministries, more departments, more bureaucratic structures; we are just going to add them. For instance, take the issue of administrative reforms about which the President has mentioned in his speech. We have the Administrative reforms; we have the Expenditure Commission; very recently, we also have the Venkatachalaiah Commission. Although it was on the Constitution, it dealt a great deal with the Executive—the relationship of the Executive with the Judiciary, the relationship of the Judiciary with the Legislature, so on and so forth. All the research shows

that the problem in delivery is not because of resources, not because of will, not because of any wrong-doing on the part of the policy-makers, but simply because of bureaucratic clogging of the arteries.

Therefore, my constructive suggestion to the Government is to re-think, or at least to take a pledge today—no more missions, no more commissions, no more departments, no more ministries, no more institutional structure, as has been now illustrated by the example of an extremely important point which is the Bill for the Employment Guarantee Scheme. Then what is it that we are trying to do? Again let me assure it is not a party point; it is for all of us together, collectively. That is why it is the President's Speech. The President is not of any party; he is above party. Now, you see the Employment Guarantee Scheme about which I have written to the Minister of Rural Development. I am not going into the debate which has taken place among the Economists, experts, so on and so forth either on the fiscal side or whether we need it or we don't need it; none of them. My point is that if we are able to give what we say by way of employment to one member or two members or to those who need employment, I am sure, everybody will be happy. We have had the NREP; we had the RLEGP; we had the Sampoorna Rozgar Yojana. But, if you look at the Statement of Objects and Reasons in the Bill, this has not succeeded. Why? All the research shows that we have not succeeded because of the institutional structure we have created. Most of the time of those who are supposed to implement all these schemes, is spent in talking to each other rather than talking to the people who need employment, people who need help.

Now, let me say about this particular Bill which is well-worded, excellently drafted, which I am sure has had the best of mind in the best way that the country is capable of commanding. There are ten institutions, vertical and horizontal, which are going to be involved in implementation, monitoring, evaluation, coordination, disbursement and grievance redressal under the National Employment Scheme, the Central Employment Guarantee Council, the State Employment Guarantee Council, the National Employment Guarantee Fund, the State Employment Guarantee Fund, so on and so forth. There are 10 of them plus five Ministries at the Centre and five Ministries in the State. I have sent a copy of my letter to all the Leaders of the Opposition, to the Leader of the House and everybody here. All these agencies here will be talking to each other. There will be

complaints; there will be grievances. Then, you have selection of persons—one in four from the House; so, we have to find out that the other seven got the job. You will have to find out whether out of 100 days, a person has worked even for 20 days or not. Then, you have to find out the wages that he got are at least up to the level of minimum wages. So, all these processes would start.

So, my suggestion in regard to this will to the leadership of the House, the leadership of the Opposition and everybody else, is, "You introduce this Bill through a Government Resolution which is unanimously approved; try it out for a year; come back to the House and report what we have been able to achieve; and then, pass it as an Act". This is my suggestion.

Before I finish, what I am saying is that I have these two suggestions; do something about this RLEGP so that we can actually achieve it; and, secondly, no more missions, departments, etc. etc.

Now, I will end in one or two more minutes with an observation on the political side. I am not a politician myself. But I am a student of political science. I have been listening to the debate from both the sides, from this side and from that side and, of course, from the centre. The more important issue, politically, is that—there ~~are grey areas~~ certainly, but—all of us, as citizens, know when we see something wrong, just as we know what is right and what is wrong. I am not commenting on any specific situation. So, when something is wrong I do not think that we have to be great parliamentarians or we have to be great geniuses to know what is right or what is wrong. The think which worries me about the political situation is that you sometime can have a political problem or a political crisis which is episodic. We have it at the time of emergency. You can get over it. There is agitation, there is movement. And then you can have another kind of political problem which is sort of slow deterioration in our consciousness—what people want politically; our responsiveness politically. And Sir, what worries me today about the political situation—and where I hope the leaders of political parties from all sides could start thinking historically; and it has nothing to do with the present Government or the Government before—is, whether over the last 15 or 20 years we have been seeing a gradual deterioration in what is wrong and what is right in our view of what is right and what is wrong. I believe that this can happen, and you can get into a political crisis sooner or later as you do in some States already, that it is a matter which requires conscious deliberation, that this political

deterioration can be cumulative; it can be episodic. Episodic is better because you can get over it in one go. But if the systems deteriorate, if our consciousness of what is wrong and what is right deteriorates, if with that power we are not able to lower either on corruption or on things that we dislike, then we have a problem. I do not want to speak more on this. Dr. Alexander has spoken more on it. But I would not minimise the issue. I do not have an answer to it because it is something which our political leadership should address and it is not good enough to say that all of us are here in Parliament, it is the highest body of the land, and it is a constitutional body. But, Sir I just want you to think whether in the last fifteen or twenty years, in particular our political consciousness of what is right or what is wrong, has come down or not. If it has, then something needs to be done. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You are not a politician but you do have the political blood in you.

SHRI ASHWANI KUMAR (PUNJAB): Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address and to thank the President for accurately articulating the aspirations and sensitivities of the people of India. Sir, it is a vital document because it is a part of the established conventions of parliamentary democracy, that people speak through their elected Government and the elected Government, in turn, unfolds its agenda before the nation in the President's Address. Sir, in that sense, the Address is a significant addition to the consciousness of our political history and our political literature. I believe that the qualitative distinction of this document is that it defines as precisely as any one could have done, the ends and purposes to which the power of the people would be applied by this Government. The power that this Government seeks to exercise is a power defined by compassion.

It is a power defined by an unmistakable concern for those who live on the fringes and who must necessarily be the centre of our concern. This document, Sir is above all a vision of inter-generational equities; it is a vision for a just order now and in the future for the multitude who have not so far received the full benefits of growth and prosperity that have been the good luck of a few of us.

Sir, this document does something else. It is a link that establishes the continuity of our first solemn pledge given by Pandit Jawaharlal Nehru

in his 'Tryst with Destiny' Speech, and this Address, after many years, seeks to establish that continuity in the form of the promise of a new deal for the farmers of this country and for the promise of a new deal for the oppressed.

And, therefore, Sir, may make be bold to state that if a purpose is to be sought in this debate, if a purpose is to be elicited out of the words, and expressions used in this document, it is only this that it proclaims a thought and adds action to feeling. Only feeling without action has never been enough, and there can be no action without feeling. I am emphasising this aspect because the distinguished Leader of the Opposition, in responding to the Motion, stated that the document is high on promises and words and low on implementation. I need only to remind the distinguished Leader of the Opposition that you first have to conceptualise the frame of power; you first have to articulate the sensitivities of the people, before you can get down to the implementation of policies. If the conceptualisation of sensitivities and policies is flawed, the implementation can never be right. We have therefore, Sir, taken the first step in delivering upon the promises and the solemn assurance given to the people of India. And in that sense, Sir, we have crossed the first hurdle. We have been in power for less than one year. We have four more years to deliver on these promises, and I am sure that this Government will deliver.

4.00 P.M.

Sir, I was looking at the document, and I looked at it with some care. And I saw for myself, read for myself, felt for myself the pervading thought the sensitivity that is reflected in this document. Sir I would like to share with this House just a few words that are integral to the philosophy of power that is implicit in this document. This document talks of altruism and inclusive democracy, it talks of the quest for freedom, self-respect, dignity and well-being of our citizens and it talks of freedom, secularism, pluralism and welfare for all. Sir, commenting on these concepts, the distinguished Members of the Opposition also invoked the same and said there can be no doubt about the validity of the concepts, but, accused us of not being true to these.

Sir, the distinguished Leader of the Opposition, Shri Jaswant Singh, for whom I have great personal regard, mentioned about duality, a kind of hypocrisy in what was stated and what is practised. I reflected on what he said, and though to myself that I would not be gravely wrong to question his moral credentials of speaking about duality. Sir, this nation has been

wounded to its core as never before in the aftermath of Gujarat. I don't want to rake up the old story, but I do want to remind my distinguished friends in the Opposition that they are the least qualified to invoke Kabir and Rahim in defence of and in aid of secularism. Sir, a party that draws its inspiration from Mahatma Gandhi, from Jawaharlal Nehru, from Indira Gandhi, from Rajiv Gandhi doesn't need sermons on secularism, or a lecture on what secularism means. Secularism is ingrained in every heart of every citizen of this country and is a creed, not a rhetoric for the Congress and for the UPA.

Therefore, Sir, I made a small digression only to say that when we debate a serious document like President's Address, which is a statement of the philosophy of power in a democracy, the opposition ought to know that while we are entitled to find fault with it, we can't and must not seek to claim that moral high ground which the people of India have just recently rejected against the Opposition.

Sir, I have talked about the broader and the larger perspectives. In order to make good my point that we shall deliver, that we will deliver, that we have thought things through, I only want, very briefly, a minute or two, to tell you what are the instruments of delivery, what are the instruments of specific objectives that we have mentioned to the nation; and we have brought out explicitly and clearly in the President's Address.

Sir, we have concentrated on seven core areas. These are: agriculture, education, employment, healthcare, infrastructure, urban renewal and water conservation. We have stated unmistakably, Sir, that these amongst themselves constitute the non-negotiable agenda of this Government. Surely, no one, in his right mind, could question our credentials or our intention or our resolve, because within less than nine months, the instruments that have to deliver on these promises are already in place. I think, the final judgement must wait till after four years when the people of India will finally decide. And I make bold to say; and am confident and sanguine in the belief that despite the compulsions of coalition politics, a newly elected Government will be and ought to be given the benefit of doubt and presumption in favour of its intent, at least, for the duration of its term.

Sir, we have talked of reform of Government and in that context, have talked of an Administrative Reforms Commission and we have talked of a

model code of governance. We have talked of consolidation and advancement of economic growth. We have talked of a new deal to rural India. We have talked of public-private partnership in the creation of this rural infrastructure. We have talked of providing electricity to all villages by 2009. We have talked to increasing India's tele-density from 8.4 per cent to 20 per cent by 2008. We talked of bridging the digital divide between rural and urban India. We have talked of synergy in energy, a new concept introduced, for the first time, where the energy security is linked to foreign policy objectives. Never before was it done and I must commend the Minister for Petroleum; and I must commend this Government for realising the integral inter-linkage between security and energy. We have talked about a new civil aviation policy, an essential first step towards creating a world-class infrastructure and connecting people. We have also talked of a response to the dynamics of globalised economy. These are all responses to that dynamics.

Sir, in responding to the challenges of our time, we have recognised the imperatives of a new global architecture, an architecture in which geographical boundaries have broken down; an architecture where technology will define the measure of power of nations.

Sir, despite all this, we have made sure of the transition to a new economy, a transition where India will walk upright with pride alongside the comity of advanced nations. We have ensured that we will do so consistent with the imperatives and the commands of our Constitution and the values of our Republic, namely, reforms with a human face and the exercise of humane and benign power to ensure that this transition is a real transition, that this transition doesn't disrupt but carries forward our tryst with destiny, a promise that our first Prime Minister made to the people of India.

Sir, there is a lot that I need to say. But I am going to focus on one more point and then keeping in view the time, I will conclude, I would like to emphasise on one aspect which was touched upon by Mr. Jaswant Singh. Sir, he talked about competence without authority. He was obviously referring to allegations of duality in the power centre. May I ask, in all humility the distinguished Members in the Opposition, if they would cite one single instance in the last ten or eleven months where competence has lacked authority. Competence without authority takes him nowhere.

There must be a unison of competence and authority. There is an architecture that the UPA has constituted for its smooth functioning. That is on one side. But when it comes to the processes of Government, there is no duality. There is competence and there is authority. And that authority, Sir is wielded in the name of the people of India, that authority is derived not on sufferings of our friends on the other side, but is derived from a mandate willingly and freely given, a mandate given to secure the first principles of our Republic, a mandate given to secure the foundations of a new India. Sir, this document is unique. It is unique because the proclamation of thought in this document was never expressed in the terminology in which it has been expressed now. I must also compliment those who are the architects of this document, those who are the editors of this documents. Sir, may I conclude by saying that when history will pass its judgement, history will proclaim this statement of the President as one of the finest hours in our history, not because it celebrates the assumption of power by one Government in place of another, but because it reiterates that power in a democracy can never be raw power for its own sake. It must be power conditioned by sensitivity and it must be a power completely and totally dedicated to those who must legitimately be the principle focus of our concern.

In the light of the priorities and the value system given by Sonia Gandhi to this country, in the light of that spirit of sacrifice which pervaded the formation of this Government, this document promises some sacrifice on the part of those who are fortunate to have what they must in favour of those who are not so fortunate. With these words, Sir, I would conclude my intervention to thank the President for giving us this articulate and eloquent Address. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Thank you for so beautifully maintaining the timing. Dr. Kasturirangan, please. You have five minutes.

DR. K. KASTURIRANGAN (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for this privilege for participating on the Motion of Thanks to the President's Address. The President in his Address has dealt with the role of science and technology in several context. I have picked up a few of them and would like to elaborate a little on each one of them, primarily to focus on some of the issues related to these. The first one was the

discussion of the use of science and technology in the context of disaster management. One of the important institutions in this country that deals not only with the disaster management, but also providing information of crucial nature for agriculture, air, transport and similar areas is the Meteorological Department. A 125 years old Department, this has evolved over the years, has provided substantial support to the type of requirement that it has been set up for. But in the recent past with further improvements that are there in the context of capabilities, for observations, space, ground and so on, powerful computers which can simulate the atmospheric processes and the better ability to predict short-term, long-term as well as local, regional and global variations in both the weather and the climate. I think, there is much to be done in our Meteorological prediction capabilities. A restructuring has been conceived by several teams of experts in the country. It is important that some of these recommendations are carefully looked at and here some bold steps are taken. They could be visionary in the context of restructuring the Meteorological Department to make it much more effective than currently what it is. The second context of the disaster management is the seismology. There has been again suggestion with respect to setting up of a National Earthquake Hazards Information Services and this certainly is something which need to come into existence immediately because of the fact that every time a major earthquake occurs and this region is certainly earthquake-prone. The question is: how do we institutionalise and look at the various roles of the various components of this activity? It could be done very effectively with this kind of a concept; the details are again available with the Government and several institutions which are doing the research on seismology in a fragmented way. It could all be put into a crucial integrated role and a critical mass by bringing this concept into picture. The third, of course, is a long-term vision where we try to integrate the ocean related activities in this country—which is under the Department of Ocean Development—into meteorological services and so the necessary institutional frameworks could be carried out for this too.

The second point, Mr. Vice-Chairman, I would like to mention with respect to sectoral and the regional imbalances in the development of science and technology. President had specifically mentioned about the need to develop knowledge-based society cutting across the different regions. Obviously if one looks at the present sectoral and regional imbalances one sees that only two to three per cent of science and technology Budget from the

Government is made available to the States and the rest of them go into the Central sector. This creates a tremendous imbalances in the development of science and technology which itself is an engine for the economic growth of the different regions of the country. Certainly, we should bring in certain institutional framework as to how to support the State and there was certainly a mention by one of our hon. colleagues in this context of supporting the State in this particular area. We need to address this question of institutional framework that would enable us to bring in a more balanced development of science and technology which would provide the necessary economic growth for the various States. The third point that I would like to mention Mr. Vice-Chairman, is about the Aviation Policy. President has specifically mentioned about the new Aviation Policy. I would assume that the aviation policy would also address the question of aeronautic activities and what I mean by aeronautic activities in the country is the research and development component, academic component, ability to realize aircraft and ultimately put them as India's capability in the aircraft, design, development, manufacture and operation. I think the policy framework for this also needs to be brought into place. It is again my recommendation that an Aeronautical Commission is an important element in initiating this kind of a direction within the Aviation Policy. I would also like to express the appreciation with respect to the allocation of Rs. 100 crores to the Indian Institute of Science. Probably, it is for the first time that we are addressing the requirements of institutions, in a big way, and with big thoughts and certainly it would help us to bring several institutions to follow this direction. Last time we discussed where we could find a place in the first top 500 in the world and whether we could find ourselves within the first 100 in the world. I hope that this step would lead the Government to support more institutions based on certain verifiable criteria and that would get us more institutions in the first hundred, hopefully in the next five years. But what is important is the fact that we need to keep a check on the type of verifiable criteria that would take us to that position even as we invest the money. The last point that I would like to mention is the President at several point has mentioned about the North-East and the role of development in North-East. Certainly there have been quite a lot of investment in North-East and we should continue in terms of building infrastructure and other facilities. My suggestion is that we have been, of course, thinking in terms of providing opportunities in North-East but there are several youth there, who are as intelligent as anybody else anywhere

in the country, and if they could be channelised, bringing them into the mainstream of the national effort by providing certain special dispensation, I think, it would certainly go a long way in providing the type of objectives that we want to meet within the North-East system. Particularly, I would like to say that the small experiment we did in the Space Department of recruiting about 15 engineers and scientists in the North-East giving them a one year's training and that is the kind of handicap we have to provide. It has had the desirable results of making them as good as any other people in the country. Therefore, I suggest that we look as a policy framework where the youth in the North-East could be brought into the mainstream, by providing unique opportunities of employment in the rest of the institutions, within the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You have to finish now. You have taken double the time that has been allotted to you.

DR. K. KASTURIRANGAN: Sir, science and technology is certainly an instrument for development and an engine for the economic growth. The President's Address has certainly dealt with it, in some detail, at several places. I am sure—the type of challenges his statement throws—if we face them effectively, India would certainly become a power to reckon with in terms of science and technology. and, I am sure all of us would play our own moderate role in ensuring this.

With these words, I support the motion.

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागरोदिया): श्री तारिक अनवर। आपके पास 7 मिनट का समय है।

श्री तारिक अनवर: उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी भी सरकार की क्या नीयत है, उसकी क्या अभिलाषा है, किस दिशा में सरकार जाना चाहती है, उसकी क्या नीति है, इस बात का संकेत होता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन तमाम चीजों का, उन सभी बातों का जिक्र है, जो राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। हमारे पुराने साथियों ने भारत के उदय की बात कही थी, इस अभिभाषण में विशेष रूप से इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत का उदय तब होगा, जब सबका उदय होगा। यानी जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको जब तक हम ऊपर उठाने का काम नहीं करेंगे, तब तक भारत का उदय नहीं हो सकता है। इस अभिभाषण में गांवों की तकदीर बदलने की बात कही गई है। आज लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हैं? अगर हम गांवों का जो मूल ढांचा है, जिसको हम इन्फ्रास्ट्रक्चर

कहते हैं, वह दे सकें तो हम समझते हैं कि यह जो बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, लोग गांवों से जो शहरों की ओर जा रहे हैं, उसको हम रोक सकेंगे। हम हमेशा यह दावा करते हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारे किसान और मजदूर, लगभग 70 प्रतिशत लोग, कृषि पर आधारित हैं, इस अभिभाषण में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि किस तरह से हम किसानों की दशा को सुधार सकते हैं क्योंकि जब तक किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी, कुछ नहीं हो सकता। किसानों के बारे में बहुत बातें कही गईं, उनकी आत्महत्या की भी बातें हुईं। यह बात सही है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से घटनाएं घटीं और जिस प्रकार की अशांति किसानों में पाई गई, आज आवश्यकता है उस पर विशेष ध्यान देने की और इस अभिभाषण में उस पर जोर दिया गया है।

इस अभिभाषण में इसके साथ ही साथ पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की बात भी कही गई है। यह भी जरूरी है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब तक हमारा अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार और संबंध ठीक नहीं होगा, तब तक हमारी और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा और खास तौर से हम आर्थिक क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी और उनकी समस्या बहुत हद तक आपस में मिलती-जुलती है। इसलिए आवश्यक है कि इन संबंधों में सुधार लाया जाए और इस दिशा में इसमें बहुत सारी बातें कही गईं, जिनको दोहराकर मैं सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि यह एक आवश्यक कदम है और इस सरकार ने एक प्रयास किया है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध सुधार सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं।

दूसरी, जो महत्वपूर्ण बात इस अभिभाषण में मुझे दिखाई पड़ी है, उपसभाध्यक्ष महोदय, वह है, साम्प्रदायिक दंगों पर रोक लगाने के लिए जो एक मजबूत कानून बनाने की बात कही गई है। पिछले दिनों खास तौर पर जो घटना हमारे देश में घटी हैं उसके बाद हमारे देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके अन्दर जो आत्मविश्वास था, उस आत्मविश्वास को बहुत ठेस पहुंची है। उस आत्मविश्वास को फिर से बहाल करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि कानून बनाकर उन्हें इस बात से संतुष्ट किया जाए कि सरकार किसी भी कीमत पर साम्प्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं करेगी और उस दिशा में सरकार ने जो कानून व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एक दृढ़ संकल्प दिखाया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है और इससे हमारे देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन्हें इससे काफी हद तक बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और आने वाले समय में उनके अन्दर सरकार के प्रति, शासन के प्रति एक विश्वास पैदा होगा। साथ ही साथ, इस बजट में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आने वाला बजट आम आदमी का हो और उससे आम आदमी प्रभावित न हो। हमारे वित्त मंत्री जिस प्रकार का बजट लाए हैं, वह इस बात का सबूत है कि अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने जो कहा था उन तमाम बातों का ध्यान रख कर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में उसका प्रावधान किया है कि किस तरह से तमाम पहलुओं पर ध्यान रखकर हम उसे आगे बढ़ाने का काम कर सकेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए हमारे विपक्ष के लोगों ने जो इस पर आपत्ति की है, वह सही है। चूँकि वे विपक्ष में हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इस अभिभाषण की निन्दा करनी चाहिए, लेकिन सही मायनों में यह अभिभाषण उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार की तरफ से आया है। हम समझते हैं कि जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपतिजी ने इस अभिभाषण को दिया है, सरकार अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही प्रकार से करे और उसका सही प्रकार से कार्यान्वयन हो, तो हमारे देश की बहुत सी समस्याएँ और बहुत से लोग जो आज बहुत ही उम्मीद से, बहुत ही आशा से इस सरकार की ओर देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस सरकार की ओर से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा, यह बात इस अभिभाषण से साबित होती है। मेरा ऐसा मानना है कि इस अभिभाषण का स्वागत किया जाना चाहिए और सरकार की ओर से इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार से समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों की, गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Shri M.P. Abdussamad Samadani—absent; Shri Harender Singh Malik—absent. Then, Shri C. Ramachandraiah. Your party has no time.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Yes, Sir. But I had requested the Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Okay, how much time do you want. I know you are very particular. Will the two minutes be sufficient?

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: No, Sir, two minutes will not be sufficient. It is better that I withdraw my name with your permission.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Santosh Bagrodia): How much time will be sufficient?

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, five minutes.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Okay, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Santosh Bagrodia): You want five minutes? It's okay. Why are you getting upset? Go head.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak. It is my privilege to participate in the debate on

the Motion of Thanks presented by the hon. President of India to the Joint Session of the two august Houses. Sir, I heard both the sides and the Centre also. There is proverb in Telugu. *Anni Mukkalu Aa Thaan Lone*. So, all metres are taken out from the same cloth. When they committed a wrong, you accused them. When you committed a wrong, they accused you. So, everybody is being paid in the same coin. You forget that in 1984, you pulled down the Government of Shri N.T. Rama Rao, who got a huge majority; a bulldozing majority. You forgot it. You are the pioneer of it. You have been indulging in all sorts of undemocratic activities. When I am telling you a fact...*(Interruptions)*...I heard you with rapt attention. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Mr. Ramachandraiah, please address the Chair.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: When you are not in position to convince others, you should be in a position to listen.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Now it has become a fashion to say that we respect the verdict of the people. The political parties are fighting before the elections and they form an alliance after the election. They say that it is a political compulsion. I do admit it. But, let us not arrogate this to ourselves that 'we are puritans in the democracy and we are upholding the principles of democracy.' Infact, we are negating the spirit of the people's verdict. We are negating it. And most of the people spoke about democratic institutions and constitutional bodies which have been created under the parliamentary democracy, which have adopted by this great country and which are in vogue. It is true that when we fail politically, when the Executive fails, when we abdicate the responsibility to solve the problems, then, we throw the ball into the court of judiciary and other organs of democracy. They have to taken an upper hand. And they are delivering judgements. So, somebody has to deliver, and they are delivering. In the morning, I heard that a reference was made by Shri Nilotpal Basu. It is true; there are some institutions which are far stretching themselves, though there is a clear-cut definition of their roles. With due respect I want to say that it is the people's verdict and people's will that has to prevail. when the election should be conducted? The people should decide this and not the Election Commission. When we dissolved the House, the Andhra Pradesh Assembly, we got a reply from the Election

[10 March, 2005]

RAJYA SABHA

Commission that at this juncture we cannot hold elections. It was endorsed by the Supreme Court also, with due respect. So, is it the true spirit of democracy that is prevailing in this country? Will a body, which has been appointed by the Government, negate the spirit of the people's will? The entire august House has to have introspection on this.

Now I come to the role of the Governor. Umpteen times, the role of the Governor has been misutilised to subserve political interests. All parties in power have done it. I will not single out a particular party. There are no holy cows. When you sit in the Opposition, you accuse the ruling party and when they sit in the Opposition they accuse you. But, ultimately, we are all trying, according to our might, to subvert the principles of democracy an the spirit of democracy. Let us have and introspection on this.

Sir, I want to utilise this opportunity to bring it to the notice of the House that political parties, invariably, have been making tall promises to woo the gullible public and make them believe that those promises will be implemented. They are aware that they cannot be implemented, but in spite of that, knowing full well that it will be impracticable, that they cannot implement that promises, they are doing it, and gullible people are becoming prey to it.

So, I request the entire august House to ponder whether a constitutional body has to be created to assess the performance of the political party which comes to power, to assess to what extent that have fulfilled their promises. *(Interruptions)*. For five years they have to suffer. Such parties need more punishment. The parties which come to power by making false promises are really deceiving the people and they should be withdrawn from the political spectrum of the country.

Now, Sir, I come to the issues which have been raised by the President of India. He said, 6.9 per cent growth rate has been acheived. It is true, but they should not forget that there is a spill over—a spill over of the past policies that were adopted by the NDA. Sir, no structural admission of policy initiatives has been made in this Speech. When Mr. Ashwini Kumar was speaking, for a moment, I was under the impression that I was somewhere in a paradise. So, all problems have been solved in the country. A very noble effort has been made and it has delivered the

goods...*(Interruptions)*.. Really, I felt it for a moment.

Sir, with regard to policy statement, it is nothing but the statement of the Government which reflects their policies. It is usual custom in parliamentary practice. Whatever draft they adopt in the Cabinet, that has to be read out by the President of India, with due respect to it.

Sir, as regards the transfer of Central schemes to States, really we have been pleading with the Government virtually, we have been beseeching with the Government of India for the past two decades that you kindly transfer all Central schemes to the States, because it is the States which know the problems of the States, which know how to solve the problem of the States, how to formulate the schemes, what are the resources that are available, but no mention has been made about this issue.

Sir, with regard to the Twelfth Finance Commission, ...*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ramachandraiah, please conclude, because reply has to be given.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I am concluding Sir. Sir, more weightage should have been given to the States which propose to increase productivity in agriculture and other activities. They have recommended only one per cent, from 29.2 to 30.5 per cent. And 70 per cent of the revenues are being retained by the Central Government. I want to bring to the notice of this House that that is the reason why these regional parties are coming up. They are strengthening themselves in the country, because you have failed to deliver the goods at the national level. So, you can say that because it is a Constitutional body, they have recommended 30.5 per cent, we are confined to 30.5 per cent, I don't object to it. But kindly be pragmatic in the interest of polity of this country, in the interest of federalism of this country while making allocations to States.

Sir, there was a reference to FDIs. Though FDIs are coming, but not in the primary market. It is not coming in the primary market, it is not coming for the new projects. The funds are being pumped into the secondary market, which has become very, very volatile. We should not be more emboldened by saying that the Sensex has reached 6,900. I am cautioning the Government. The fundamentals of the economy is not reflecting Sensex at 6,900. So, kindly be careful. The need of the hour is to improve agricultural productivity of the country. *(Time-bell)* Unless you improve the

productivity, there is no salvation to the nation. Sixty four *per cent* of the population still depends on agriculture, and we have to take care of them. They have mentioned that 1.13 crores of hectares of land will be brought under irrigation. How can they do it? I don't think that Finance Minister has got Alladdin's lamp in his hand. He simply said that because it is a State problem, we will be only facilitators. We will act as a catalyst to poor. That sentence will not serve the purpose. States are suffering with revenue deficit. And States are borrowing to run the Governments. They don't have money to run the Governments, let alone the development. When such is the case, they still advise, just because it happens to be in the State List, I will only be a facilitator. It won't serve the purpose. Be pragmatic and give more funds to the States... (*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ramachandraiah, please conclude because we have two more speakers there.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, let me comment on the positive achievements of the Government also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That you should have done earlier.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I really congratulate the Government for holding the price line. It had gone to more than eight per cent, but now, it is somewhere around 4.5 per cent. It is true. The reasons have also been given very correctly. It is a mixture of administrative measures and policy decisions. It is true that they have done extremely well and, for the first time, the Government of India had felt the long needs for the petroleum products in this country. Sir, some very good measures are being taken by the Minister, and I should congratulate him personally. The ONGC is acquiring shares in other foreign companies. They have been not only trying to look after the present needs, but they are taking a major step in providing the petroleum security to this country. (*Time-bell*)

Sir, I would like to take two more minutes only. Sir, there is a lot of incoherence in the statements made by the Ministers. There seems to be, I know, the compulsions of the coalition politics. I know, but I don't want to reveal it. I know it because we had also seen it for the last five years. But when you can't run a coalition Government, better to get it trained under Vajpayee. He is an expert in running the coalition Government. Sir, regarding sending of troops to Iraq, the Foreign Minister said 'we are

re-considering it'. The Government of India has taken a decision not to send troops to Iraq, and he says that 'we are reviewing it.'

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ramachandraiah, kindly conclude.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: The very next day the Prime Minister had denied it and the Home Minister, Mr. Patil Sahib said that on December 6, that there was a reduction in cross-border terrorism by 50 per cent. However, the very next day, Shri Pranab Mukherjee, said that the cross-border terrorism is still going on and it is on the increase. Cross-border terrorism is on the increase. (*Time-bell rings*) Sir, I would conclude within one minute. Sir, there is a lot of incoherence in the statements being made by the Ministers. Sir, there should be coordination. I know the compulsions of the coalition politics because we had supported a coalition Government earlier also, but in spite of that the country expects that the Government solves its problem. This country is being headed by an eminent economist, a Finance Minister like Mr. Chidambaram and a person like Mr. Ahluwalia, the trinity of financial wizards. But they have to prove whether they are holy trinity because there is no holistic approach towards solving the problem.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shunmugasundaram, you have five minutes.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Thank you very much, Sir, for the opportunity that you have given to me.

The President's Address is with great vision. Sir, it is in tune with the aspirations of the modern-day India, and it is also intended to fulfil our aspirations. This is evident from the two paragraphs of the Address. They are paragraphs 63 and 69. In paragraph 63, the President has said that the Government has intended to articulate forcefully our aspirations to become a permanent member of the United Nations Security Council. Sir, we are a country of 104 crores of people which is a very substantial population and we represent a substantial part of the population of the entire Globe, and we must have a permanent membership in the United Nations Security Council. And, that has been truly reflected in the President's Address.

Sir, in paragraph 69, the President has announced that 'we prepare to host the Commonwealth Games of 2010 and the Olympics in 2018.' This is also an aspiration of a modern-day India.

[10 March, 2005]

RAJYA SABHA

Sir, regarding Tsunami, the Address says that the Government has correctly taken the view that external assistance was not required for the immediate rescue and relief work. Sir, I was one of the persons who were there at the affected area within twenty minutes of the first Tsunami effect which was felt on the Madras Beaches. I live close-by, within 500 metres, from the beach. As soon as I was informed by the fishermen, I ran to the place and, Sir, the fishermen, despite the loss of their property, loss of fishing nets and boats, sounded very confident. Sir, what they require is only their tools of trade, namely, fishing nets and fishing boats, and that has not been done. And, I understand that that has not been done so far in Tamil Nadu as well. That must be rectified, and something has to be done in that regard.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, about the implementation of the reservation policy in the private sector, the President's Address announced that there is a Group of Ministers, and a Committee of Ministers has been formed in order to ensure reservation in the private sector and for self-finance educational institutions. This is a welcome step. This has been the policy of the DMK as well. We welcome it wholeheartedly...*(Interruptions)*...It includes OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and minorities.

Sir, a very, very horrifying fact has been revealed that the degrading practice of manual scavenging is still being practised and that the Government will take steps to legislate in that regard, to eradicate the practice, at least, by August, 2005. Sir, this is a very, very welcome aspect of the Address and I welcome it too.

Sir, a comment was made by Shrimati Sushma Swaraj regarding the repeal of POTA. She referred to one statement in paragraph 45 and interpreted that the Government has repealed the Bill only because they felt that it was not required. But what is stated in that paragraph, and what has been overlooked, is the fact that POTA was misused. Sir, we were witness to the misuse of POTA, when Mr. Vaiko was arrested in July 2002 and a judgement was delivered in his favour in December 2003 after over 17 months. Sir, even when the Supreme Court declared that there was no case made out against him under POTA. *(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Sir, the matter is *sub judice*...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, don't refer to it now...(Interruptions)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Why should I not refer to it, Sir?...(Interruptions).... It is a fact that the Supreme Court has declared that no case was made out there under POTA.... (Interruptions)...

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, how can he raise the matter (Interruptions)... it is not ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, take your seat...(Interruptions).... Please, conclude...(Interruptions).... please, conclude.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, that was a blatant misuse...(Interruptions)... Even the BJP Government has declared that it was a misuse...(Interruptions)... Repeal of POTA is only...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. K. MALAISAMY: Why is he raising the issue of POTA again and again...(Interruptions)...

SHRI P. G. NARAYANAN: Sir, he is misleading the House...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shunmugasundaram, please conclude...(Interruptions)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, therefore, the repeal of POTA was done only on the ground that it was misused. That is also welcome. With these words, Sir, I support the Motion of Thanks on the President's Address. Thank you.

श्री उपसभापति: श्रीमती सरला माहेश्वरी। आपको पांच मिनट में बोलना है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): दस मिनट दे दें महिलाओं का मामला है।

श्री उपसभापति: नहीं, दस मिनट नहीं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, आदरणीय कर्ण सिंह जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। जिस दौर से हम

गुजर कर आए हैं, उस दौर को मैं चंद शब्दों में व्यक्त करना चाहती हूँ और इसलिए हिन्दी के एक युवा कवि की कविता के जरिए अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। कविता इस प्रकार है:

अक्सर ऐसा ही होता है,
कि मरते-मरते बच जाते हैं हम,
कभी-कभी ऐसा लगता है,
खत्म हो रहा है सब कुछ,
यह चांद की आखिरी पूर्णमासी है,
यह पृथ्वी धूल पिंड के सिवाय कुछ नहीं,
नहीं रही किसी की जरूरत,
न मित्रता, न राज्य, न आजादी,
न कविता, न बरखा, न खेत,
कुछ भी नहीं,
पर होता है यही अक्सर
कि हम फसल के बचाव में निकलते हैं
और छोटी सी बात पर मर मिटते हैं
हत्याओं से घृणा करते हैं,
हमारे चूल्हे, हमारी रोटियां तक
अक्सर होता है ऐसा ही,
अनगिनत जरूरी कामों को छोड़कर
चले आते हैं संतानों को देखने लोग
वे बुद्ध नहीं होते, अक्सर होता है ऐसा ही
शोक में नहीं रहना चाहते हम।

उपसभापति जी, यही है मनुष्य की जिजीविषा, यही है मनुष्य की जीवेषणा, जो हर मुश्किल में जीने की राह निकाल लेती है और हमारे देश की जनता ने अपनी इस अदम्य शक्ति के बल पर

शोक के अंधेरे कारागार में बंद, हमारे लोकतंत्र को मुक्त किया है और आज हमारा लोकतंत्र, मुक्त हवा में सांस ले रहा है। ... (व्यवधान) ... बहुत कम समय है, आप कृपया बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति: आप उधर मत देखिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: हम भारत के लोगों ने खुद को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अपने संविधान को अंगीकृत किया था। इस संविधान में हमने यह शपथ ली थी कि हम भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देंगे, उन्हें विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी देंगे, उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देंगे तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाएंगे। लेकिन उपसभापति जी, अभी नौ महीने का भी समय नहीं बीता है जब हमारे संविधान की इन सारी भावनाओं को लहुलुहान करते हुए एन० डी० ए० के रूप में एक ऐसी सरकार शासन कर रही थी, जिसने हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा, उदारता और सहिष्णुता की परंपरा, हमारी वैविध्यमयी संस्कृति की परंपरा, हमारी सर्वधर्म समभाव की परंपरा को क्षत-विक्षत कर दिया था। देश की एकता और अखण्डता को आशंकाओं के बादलों से ढक दिया था। विपक्ष के नेता जसवन्त सिंह जी धर्म की परिभाषा समझा रहे थे, लेकिन आज भारत की जनता ने उन्हें समझा दिया है कि मनुष्य का धर्म मनुष्यता की रक्षा करना है, अन्याय, अत्याचार का विरोध करना है, मनुष्य और मनुष्य के बीच ... (व्यवधान) ...

श्री रुदनारायण पाणि: अभी तो चुनाव हुए हैं ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति: देखिए आप बैठिए ... (व्यवधान) ... देखिए, आप बीच में दखल मत दीजिए, (व्यवधान) .. आप बैठिए.. (व्यवधान) ... आप बैठिए... (व्यवधान) ..

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिम बंगाल): अच्छे एम०पी० ऐसा नहीं करते... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति: आप बैठिए... (व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभापति जी... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति: आप बोलिए... (व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभापति जी, माननीय विपक्ष के नेता... (व्यवधान) ...

श्री रुदनारायण पाणि: उपसभापति जी... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति: देखिए, यह सही बात नहीं है... (व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभापति जी, माननीय विपक्ष के नेता श्री जसवन्त सिंह जी धर्मनिरपेक्षता के लिए लाइसेंस की बात कर रहे थे। उस धर्मनिरपेक्षता को और किसी ने नहीं, बल्कि खुद उन्होंने और उनकी पार्टी ने छल और छलावा कहा था। उपसभापति जी, यह उन्हीं के शासन का विधान था जो मनुष्य की मनुष्यता की पहचान उसकी जाति और धर्म से कर रहा था, यह इन्हीं कर काल था, जब एक राज्य सरकार इन दंगों को प्रायोजित कर रही थी और एक मुख्यमंत्री... (व्यवधान)...

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): सर, इन्होंने कहा कि एन०डी०ए० की सरकार दंगों को प्रायोजित कर रही थी... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपने जो कहना था, कहा, वे कहें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: एक मुख्यमंत्री उसको वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा ठहराने का हर संभव प्रयास कर रहा था। उपसभापति जी, यह वह काल था, जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर भारत के लोगों के बीच अलगाव और नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही थीं। लोगों के बीच अन्न नहीं त्रिशूल और तलवारें बांटी जा रही थीं, चारों ओर सांस्कृतिक वैमनस्य और भय का राज था। हमारे संविधान को बदलने की कोशिशें हो रही थीं। शैक्षणिक संस्थाओं से लेकर तमाम साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्थाओं का भगवाकरण किया गया। भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त सुशासन का दावा करने वाले एन०डी०ए० का शासन एक ऐसा दुःशासन साबित हुआ हक अंततः भारत की जनता को कहना पड़ा सिंहासन खाली करो, जनता आती है। भारत की जनता ने "इंडिया शाइनिंग" और "फील गुड" की मरीचिका से निकालकर एन०डी०ए० को सही जगह पर बिठा दिया है। लोकतंत्र, जनतंत्र की यही पहचान होती है कि हर शासक को, खुद को जनता की अदालत में सही साबित करना होता है। अब संप्रग सरकार की बारी है। महामहिम राष्ट्रपति जी के जरिए संप्रग सरकार ने अपनी नीतियों का जो दस्तावेज दिया है, वह कम से कम इतना तो आश्वासन करता है कि लोकतंत्र पर छापे काले बादल कम से कम छंट गए हैं। हम अपने संविधान के मूलभूत संकल्पों की दिशा में अब आगे बढ़ सकते हैं। मेरी पार्टी की ओर से नीलोत्पल बसु जी तमाम नीतियों पर सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर बोल चुके हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी, जैसाकि मैंने पहले ही वादा किया है कि मैं इस पूरी परिचर्या में एक महिला सांसद के रूप में भारत की महिलाओं की ओर से हस्तक्षेप करना चाहूंगी। उपसभापति महोदय, भारतीय समाज को उसकी जड़ताओं से मुक्त करके, भारतीय जनतंत्र को सशक्त और जीवंत बनाने की हमारी जो बुनियादी प्रतिश्रुतियां हैं, उसमें भारत के, नारी समाज के सर्वांगीण सशक्तिकरण का प्रश्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब तक हम अपनी आबादी के इस आधे हिस्से को पिछड़ेपन और अंधकार की सुरंगों से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे जनतंत्र को संप्रसारित करने के, जनतंत्र को मजबूत करने के तमाम दावे

खोखले साबित होंगे। इसीलिए महिला सशक्तिकरण, आज के युग का सबसे जीवंत प्रश्न है। यह आबादी के आधे हिस्से को उसकी चिरस्थायी गुलामी से मुक्त करने का प्रश्न है। जो तमाम व्यवस्थाएं, मनुष्य द्वारा, मनुष्य के शोषण पर टिकी होती हैं, वे कभी भी नहीं चाहतीं कि यह हमारे समाज का जो सबसे शोषित, पीड़ित, वंचित तबका है, वह तबका अपनी मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़े। यही वजह है कि आज की दुनिया में नारी मुक्ति और नारी सशक्तिकरण के प्रश्न की अहमियत को समझने के बावजूद, क्या कारण है कि यही एकमात्र प्रश्न हमें सबसे असंभव, दुष्कर लगता है और यहां तक लगता है कि हम कभी भी इस कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे।

उपसभापति जी, राष्ट्रपति जी का इतना सुंदर अभिभाषण 28 पृष्ठों का है, जिसमें हमारे देश की तमाम श्रेष्ठ परंपराओं का उल्लेख किया गया है। उन्होंने तमाम महा-मनीषियों को याद किया है और तमाम अच्छी परंपराओं को याद किया है, लेकिन इस लंबे अभिभाषण में महिलाओं के प्रश्न पर क्यों चुप्पी साधी गई है, यह मेरे लिए हैरतअंगेज और दर्दनाक है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम अपने राष्ट्र के विकास के लिए एक नीतिगत दस्तावेज तैयार कर रहे होते हैं, तब यह कैसे होता है कि एक क्षण के लिए भी महिलाओं का प्रश्न हमारी आंखों से ओझल हो जाए?

उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि पिछले डेढ़ दशक से जिस आर्थिक उदारतावाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, उस आर्थिक उदारतावाद ने महिलाओं को किस तरह से पीड़ित और वंचित किया है, और उनकी स्थिति को बद से बदतर बनाया है। इस पूरे दौर में हमारे परंपरागत उद्योगों पर भारी धक्के लगे हैं और उनकी सबसे ज्यादा मार अगर किसी पर पड़ी है, तो महिलाओं पर पड़ी है। वैसे भी भारत में, जहां तक रोजगार का सवाल है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारी श्रम शक्ति में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 25 प्रतिशत है, और संगठित क्षेत्रों में यह हिस्सा सिर्फ 17 प्रतिशत है। मैन्युफैक्चरिंग के जिन क्षेत्रों में महिलाएं काम कर रही हैं, वे सबके सब असंगठित क्षेत्रों में हैं, जहां उन पर कोई श्रम कानून लागू नहीं होते।

उपसभापति जी, हमारे संविधान में राज्य द्वारा किसी भी तरह का लिंग भेदभाव न करने की बात कही गई है, लेकिन वास्तव में समाज का हर क्षेत्र, लैंगिक भेदभाव से भरा हुआ है, और हर क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व है। इसके अलावा हमारे परंपरागत विचारों में लिंगभेद की प्रमुखता ने किस तरह हमारी महिलाओं के जीवन को दूधर बनाया है, दिन-रात हम इसके भोक्ता हैं। सन् 2001 की जनगणना हमें पुकार-पुकारकर कहती है, हमारी आंखें खोलती हैं कि कौन सी समाज व्यवस्था में हम जिंदा हैं। हमारी तमाम कानूनी कार्यवाहियों के बावजूद, हम कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में असमर्थ रहे हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में विशेषकर यदि हम शिशु आयु वर्ग को देखें, तो 1,000 लड़कों की तुलना में, लड़कियों की संख्या केवल 927 रह गई है। आज के बाजारवाद और

पूँजीवादी मूल्य व्यवस्था ने औरतों को यौन सामग्री की वस्तु बना दिया है।

श्री उपसभापति: सरला जी, आपका समय खत्म हो गया है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभापति जी, मैं सिर्फ दो-चार मिनट और लेना चाहूंगी। इसके साथ ही नारियों की दासता के सामंती मूल्यों ने हमारे नारी जीवन को और भी कठिन बना दिया है। आए दिन हम देखते हैं कि आज कुल की इज्जत के नाम पर, घर की इज्जत के नाम पर ऑनर किलिंगज़, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं। दहेज़ हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि जिन समाजों में, जिन संप्रदायों में यह प्रथा नहीं थी, वहां पर भी आज दहेज़ का रोग लग लग गया है। यहां तक कि हमारी आदिवासी समुदाय, जो आज तक इससे दूर थे, उनके यहां भी दहेज़ की बीमारी लग गई है। जहां तक कानून एवं व्यवस्था का सवाल है, मैं कुछ न ही कहूँ तो अच्छा है। आम तौर पर हमारी न्याय की जो व्यवस्था है, उपसभापति महोदय, हमारे न्याय की व्यवस्था बहुत ही जटिल धीमी और स्त्री विरोधी रही है। जहां भी कानून का प्रश्न आता है, उसके अमल का प्रश्न आता है, तमाम एजेंसियां पुरुष वर्चस्व से भरी रहती हैं और पुरुष पूर्वाग्रह के विचार उन पर हावी रहते हैं।

उपसभापति महोदय, एक जमाना था जब सरकार की ओर से महिलाओं को सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता था, लेकिन आज सरकारी नीति क्या है कि सरकारी भर्ती पर रोक लगाओ। हर वर्ष लगभग 60 हजार पद खत्म किए जा रहे हैं और पिछले लगभग एक दशक में 3 लाख पदों को खत्म कर दिया गया है और इसमें 90 हजार पद महिलाओं के खत्म हो गए हैं। आज तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों में, बैंकों आदि में वीआरएस का तांडव चल रहा है और इस वीआरएस के चलते हमारी महिलाओं पर सबसे ज्यादा दबाव डाला जा रहा है कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। 40 हजार महिलाओं को बैंकों से वीआरएस के जरिए निकाल दिया गया है।

श्री उपसभापति: सरला जी, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: इसी तरह महिलाओं को निकाला गया है। उपसभापति महोदय, आप दबाव डाल रहे हैं, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।

श्री उपसभापति: आप जितना वक्त चाहती थी, उतना दिया गया है, फिर भी आप बोल रही हैं कि दबाव डाला जा रहा है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वायदा किया गया है। प्रधानमंत्री जी, पिछले प्रधानमंत्री जी ने हमसे बहुत वायदे किए, लेकिन हर बार उन वायदों को उन्होंने झुठलाया और

लगातार इतिहास दोहराते रहे। अब मैं भारत की महिला समाज की ओर से आपसे यह वायदा चाहती हूँ कि आप कम-से-कम इसी सत्र में कोशिश करें कि यह बिल पास हो जाए। इसके साथ ही हमारे विधि मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्हें भी बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का कानून प्रस्तावित किया है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। कृपा करके उसे भी दुरुस्त कीजिए और घरेलू हिंसा का जो बिल लंबे अरसे से अटका हुआ है, उस बिल को भी आप जल्द-से-जल्द सदन में लेकर आएँ, उसे पास करवाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से चाहूंगी कि महिलाओं के प्रश्न पर, चूंकि इस अधिभाषण में कमियां रह गई हैं, इसलिए आप उन कमियों को अपने जवाब के जरिए दुरुस्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Prime Minister.

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Deputy Chairman, Sir, I deem it a great privilege to stand here before this august House to express to respected Rashtrapatiiji a profound sense of gratitude for his Address to the two Houses of our Parliament. I deem it a privilege for more than one reason because I had to wait out for one full year to be standing here to express my gratitude to the President. Last year, in his Address, the President highlighted the provisions underlying the Common Minimum Programme. This year's Budget complements and supplements that Address because it outlines a programme of action to realise the goals and objectives we have outlined in our Common Minimum Programme.

At the very outset, I would like to touch upon the issue of gender inequality and the hardships that our women have to undergo, to which the hon. Member Shrimati Sarla Maheshwariji had drawn our attention. I stand committed to doing all that is possible to end gender discrimination in all its forms. With regard to the reservation issue, our Government is seized of the matter; the hon. Home Minister is already engaging in a dialogue with all political parties. It will be our effort to bring this legislation for enactment before both the Houses as early as possible. Sir, all the Members, who have spoken in this debate, have made very valuable suggestions. It is not possible for me to touch upon all these suggestions. But I assure the hon. Members that I have taken note of their concerns, and in days and months to come, we will reflect on all those concerns in our Policy Planning fora.

The hon. Leader of the Opposition, my esteemed friend and colleague,

Shri Jaswant Singhji, was complaining that we are a Government, which lacks unity, that I lack authority in respect of the Government which is being headed by me. I think, it is not for me to sing my own praises. All that I would like to say is that this House and this country should judge me as the record of the last nine months. Our Government came into office at a time when, within few weeks, the country was faced with a very severe drought. I took personally the charge of the drought management, and on all accounts, we did a reasonably good job of drought management. A few months later, in December, we had to face the disaster of Tsunami. The way we handled this problem, the way we came to the help of our neighbours, Sri Lanka, Maldives, Indonesia, has earned us international praise. Therefore, to say that this Government is not working cohesively or that there is lack of purpose because of lack of unity, I think, the facts belie any such perception. Moreover, Sir, look at our record of the last nine months. Despite the drought, we are going to end this year with a growth rate of close to 7 per cent. Industrial production in this year will be an all-time record. When we started, there was this legacy of the previous regime of tackling the high oil prices. Oil prices went up further in the course of the year. There were widespread fears that the country is heading for another bout of inflation. We handled that task effectively, and we are ending the year with inflation rate of less than 5 per cent per annum.

The position of balance of payments of our country is sound, is comfortable, as never before. Our exports have risen in the last 10 months by about 25 per cent in dollar terms. The international environment for India's development has never been as good as before. In fact, the world rejoices in the way we have managed to resolve our tensions of body politic. To deal with the issue of periodic redistribution of power, in line with the wishes of the people, through the effective management of democratic processes, India today stands tall in the comity of nations. I dare say, therefore, that any such perception that we are a Government divided among ourselves, lacking a sense of cohesion, lacking a sense of purpose, is totally not consistent with the facts. As I said before, the Common Minimum Programme is the basic guideline for our Government. The Common Minimum Programme is not a one year's programme. It is a programme to be implemented for five years, and I wish to assure the Members of the House that we take this obligation to implement the Common Minimum Programme in letter and spirit very seriously, and we

will make every effort. We are, of course a coalition Government. There are problems in managing a coalition. We are all learning. But the problems of this coalition have not stood in the way of our commitment to provide our country a cohesive and purposeful Government. I think our efforts of the last nine months speak for themselves.

As the President has mentioned, we have identified several priority sectors to get this country moving ahead, to honour our commitment to our electorate, to our people, as enshrined in the National Common Minimum Programme. In all these several sectors of the economy and society, we have made positive advance and we pledge to work hard to move forward in all these several areas in the next four or five years.

Our first priority, Sir, is education. Soon after we came to power, we imposed the education cess and, as a result, the situation today is the Budget of the Human Resource Department has risen to an all-time record of Rs. 19,000 crores, an increase of 90 per cent in a single year, which has never happened.

Sir, cooked mid-day meal is today universally being made available to all our children in schools. This is another achievement of our Government. Sarva Shiksha Abhiyan is being expanded at a pace as never before. It is our commitment that all our children, who ought to be in school, shall indeed be in school. We will do all that is possible, particularly about the girl child, to see that all our girls are in school.

Our second priority is in the area of health. In this area, we will soon be coming forward with a National Rural Health Mission which will be launched very shortly. Proposals have been formulated to have a district-based health planning and management system which will reach out to the lowest levels of our people at the grassroots. Health allocations have risen by 30 per cent in this year's Budget. It has gone up to a record level of Rs. 9,500 crores. The previous Government talked a great deal about expanding health care. Six all India Medical Institutes were announced. No money was allocated in any of their Budgets. If I may say so in the presence of my friend, Mr. Jaswant Singh, in respect of many of the promises that he had made in his interim Budget, there were no budgetary provisions. We will carry forward that process of implementing this bequest.

Our third priority is employment. We have promised in the National

Common Minimum Programme that before we are able to implement the Employment Guarantee Scheme, we will, in the interim, implement a Food-for-Work Programme in some of the poorest districts of our country. We have done that. In 150 districts of our country, the Food-for-Work Programme is in operation. We have come forward with an Employment Guarantee Bill. It is before the Parliament and as soon as the Parliament enacts it into a law, we will move forward to implement this employment guarantee gradually over a period of five years to cover all our districts.

Sir, the fourth priority is agriculture. Agriculture has suffered. I have seen for myself the distress of our farmers in the last couple of years. That farmers are committing suicide is a national shame.

Therefore, we have taken important steps to deal with the situation. In short term, to provide immediate relief, we managed the agriculture credit system, involving an increase of 30 per cent in rural credit for agriculture in one year. This has been achieved as the Finance Minister pointed out. We are planning to double the flow of rural credit in the next three years. This is a solemn commitment. We will work with the State Governments to revitalise the cooperative banks which are today, in many cases, moribund institutions.

With regard to the development of agriculture, we have devised a National Horticulture Mission which I sincerely hope, if implemented, will be the harbinger of a new, second green revolution. India's agricultural research and extension system is today in disarray. We have a large number of personnel, but in terms of productivity and efficiency, and its reach out, particularly, in tackling the problem of dry land agriculture, things are not moving well. We have, therefore, undertaken a revitalisation of the national agricultural research system based on the Report of the Swaminathan Committee. Sir, when we came to office, sugar farmers were in great distress. The sugar arrears were running into thousands and thousands of crores. We have solemnly committed ourselves to deal with this arrear problem effectively, and I am glad to say that sugarcane growers' arrears now are at the lowest level in recent years.

Sir, irrigation is quite central to the development of our rural economy. We, therefore, are planning to come forward with a new Micro Irrigation Programme which will be started very shortly. The Accelerated Irrigation Benefit Scheme, which is in operation, is being expanded at a fast rate,

and our long-term objective is to cover up to one crore hectares under irrigation in the course of next four years.

Our next priority is with regard to urban renewal. Here, we are planning to come forward with an Urban Renewal Mission for which a sum of Rs. 4,000 crores has been given as an initial outlay. Ministries have seen a hike of 50 per cent, in one year, of Rs. 10,000 crores in their allocation. We will deal with the problem of modernising the urban infrastructure in our major cities, Mumbai, Bangalore and other cities in a big way.

With regard to infrastructure, we are coming forward with a novel proposal to set up a Special Purpose Vehicle to catalyse public-private investment infrastructure, and this involves an initial borrowing of Rs. 10,000 crores.

Sir, my purpose of outlining all these initiatives is that these nine months for us have been an exercise in which we have identified the gaps in the performance of our economy, and we have also identified programmes of action, how to plug those loopholes in the management of our economy. The initial results are, certainly, very encouraging, but I will be the last man to say that we know all the answers or that everything is rosy in the Garden of Eden. I think we have to work hard, and what the hon. Members have said today with regard to improving the delivery system, with regard to the administrative system, all those are very important considerations. We have to make much more effective use of science and technology as Dr. Kasturirangan said, to make science and technology as an integral, effective input into all our development processes. I commit our Government to deal precisely with that. I am shortly going to set up a Knowledge Commission to look at the knowledge machinery in its entirety, our schools, our universities, our national laboratories, our private sector R & D centres, in the hope that India must be fully prepared to match up to the best available knowledge base anywhere in the world. Education once again is of top priority. When I look at what is happening in countries like South Korea, I find all secondary school age children are in schools. But we are nowhere there. Enrolment rates in our country in primary schools and elementary schools have gone up but the drop out rate is very high. The quality of our school system requires a sea change. In particular, in our school system the teaching of Science and Mathematics requires a fresh

[10 March, 2005]

RAJYA SABHA

look. In several parts of our country, the teaching of Mathematics and Science is not getting the attention that ought to be given. In universities. I think, the number of students who ought to be going for Science subject is not as large as it ought to be, if India has to generate enough number of scientists and technologists. I sincerely hope that this Knowledge Commission will address all these issues and come forward with a blueprint for purposeful action to move forward.

I shall now deal with some of the issues which have been mentioned by the hon. Leader of the Opposition. He raised the issue with regard to the internal security situation. I will not be claiming that everything is all right on the internal security situation. We have challenges. Those challenges can be met through a purposeful cohesive action on the basis of a broad national consensus. We have challenges posed to us by cross-border terrorism, narcotics, drug-trafficking, etc. We have to strengthen our administrative mechanisms to deal with that. Our security apparatus, including the intelligence apparatus has to be strengthened. We are at it. With regard to the situation in the North East, hon. Jaswant Singhji said that the situation in Manipur has been allowed to deteriorate. I disagree with him entirely. When we came to office Manipur was burning. I personally went to Manipur at a time when tensions were very high. We defused those tensions. Manipur is now peaceful. It is my hope that we can bring back normalcy so that all the attention of the people and the Government of Manipur can be devoted to the development. Wherever I went in Manipur, I had a dialogue with a large number of young people, men and women and they all came to me and said, "This insurgency is because of lack of employment opportunities." We will address that problem. This is a promise that I give to the people of the North East that our Government will work with the Governments of those States to generate more employment opportunities.

So far as Nagaland is concerned, what was the situation there? The previous Government in their wisdom chose to engage in discussions with the NSCN (IM) outside India. Our effort was that we must continue with these negotiations, but bring these negotiations to be conducted with in our own country. We have succeeded in that. Negotiations are going on. I am not claiming that we have resolved all problems. But I think the process has been started. We are not negotiating with them in Bangkok or in Paris. We are negotiating with them in our Capital City of Delhi. This itself is a morale booster.

With regard to the situation in Jammu and Kashmir, the fact that we had another big democratic experiment of local body elections and that so many people, men and women, participated in this democratic process, not with standing the fear of the bullet of the terrorists, is a vindication of the way the things are moving in this State of the Union. Infiltration levels are down; the level of violence is down; development is getting, after a long time, the attention it deserves. We will restructure the planning process in Jammu and Kashmir, to create an environment in which development can take place at a faster pace so that the people of Jammu and Kashmir can also feel that they have equal chance of being Indian citizens, of living a life of dignity and self-respect. We have drawn up a big plan to take electricity to every village of the State of Jammu and Kashmir. With the Five Year Plan in progress, things are moving well, and I am confident that the effort that is now being made to review the infrastructure, to strengthen grassroots administration will pay with rich dividends. So, the overall picture of Jammu and Kashmir is a picture of progress, not of deterioration.

With regard to the Naxalite-affected areas, we will be the first one to minimise the problem. The facts that there are Maoist elements in Nepal, the fact that these elements have linkages with some of our extremist groups, that the whole tribal belt of India, from Bihar to Andhra Pradesh is vulnerable to these naxalite pressures are harsh realities which we cannot wish away. But we will deal with it with a sense of purpose. Where strong administration is necessary, we will provide strong administration. The hon. Home Minister has already held a meeting with all the Chief Ministers of the affected States. We are helping the States to strengthen their police machinery, their intelligence machinery, but we must also recognise that this is a many-sided problem. In many of these tribal communities, tribal areas, there are problems of forest management; there are problems of alienation of tribal rights. There are old inequities of sanctions. But they are no excuse for rebellion. But we have to understand that we are dealing with our own people. We have to come forward with a multi-faceted programme to deal with this Naxalite problem. We will not be soft on terrorism; we will not be soft on insurgency, but in dealing with our own people, we will not lose sight of the human side of the problem. That is the approach it deserves. Now, what was the effort of the previous Government?

I have seen documents. When they started, they were saying that there were 130 districts which were Naxalite-affected; when they left, they said that the number had increased to 170. This is despite the fact that the great second Sardar Valabbhai Patel was presiding over the Home Ministry.

Sir, I want to say something about the Foreign Policy because hon. Member, Jaswant Singhji raised this issue. And I seek your indulgence to read from the text because I am not that expert in this subject. Sir, many of our esteemed colleagues have touched upon aspects of UPA Government's Foreign Policy. References have been made to the situation in our neighbourhood, to our relations with major powers and to important issues of international security. I would like to reiterate that our focus on attaining India's just place in the comity of Nations has been unveiled. I would also like to say that the foreign policy of our country has been based on the widest possible national consensus. We will persist in that direction. The centrality of our national interest and the principles, which emerge from our freedom struggle, remain the bedrock of our foreign policy. Our approach to the external world is based on the conviction that as our domestic, economic and security environment improves, the fundamental strengths of our nation cannot lag behind. Attaining our due position in the world is no longer a matter of concern. This is a UPA Government's endeavour to give momentum to this process by forcefully articulating our position on issues of importance to India with our foreign interlocutor and at international fora. And, I venture to suggest to this House that the international environment for India's economic development has no more been as favourable as it is today. Mr. Deputy Chairman, Sir, as I have said elsewhere, the international environment has never been more conducive than it is today for India's emergence as a mature and respected nation, widely recognised as a factor of international stability. I sincerely believe that the world today has a better appreciation of India's position on vital issues of the day and of our capacity to play a more positive role. This greater appreciation of our position is broadly visible in the efforts of our Government to improve relations in our immediate neighbourhood. We have consistently promoted regional economic engagement, aimed at expanding multi-sectoral links with some of the nations of South Asia. We believe that greatly enhanced intra-regional trade, investment and people-to-people interaction is to the mutual advantage of all nations of the region. We will promote a sense of partnership and the vision of a common destiny

in South Asia to realise our regions' vast, untapped economic potential. The rapid expansion of our traditionally close ties with Bhutan and Sri Lanka are a clear indication of the validity of this sector. Mr. Deputy Chairman, Sir, I am aware of the concerns arising from developments in some countries of our region. As some hon. Members of Parliament have pointed out, there should be no doubt in any one's mind that the UPA Government is alive to these concerns and is dealing with the issues constructively. It is a fundamental truth that just as growing prosperity and integration of a part of a virtuous circle, instability and disorder also have transnational effects. We will not hesitate to take up issues of concern to our region regardless of whether these are related to political instability, security and even damage caused by natural disaster, such as, the recent tsunami. Just as we had no hesitation in assisting our maritime neighbours after the tragedy, regardless of our own losses, we have also not hesitated to take difficult decisions in dealing with other problems in our neighbourhood. In this context, I want to reaffirm that we will make every effort to remain engaged constructively with all our neighbours bilaterally and in the SAARC process. This is based on our conviction that good neighbourly ties are the key to mutual benefit. In the case of Pakistan, we are engaged in the exercise of expanding people-to-people linkages through confidence-building measures so that the unhappy chapter of this bilateral relation changes for the better. Our recent success in agreeing upon a procedure for the bus service from Srinagar to Muzaffarabad is a case in point. As I have said on many occasions and at various fora, we are willing to discuss all issues in this relationship, including Jammu & Kashmir. But the essential premise remains that our interlocutors will play their part in ensuring that cross-border terrorism ends, that the infrastructural support to such organizations is dismantled. We are, therefore, following the course of altruism but with due caution.

With regard to Nepal, Sir, we have followed a consistent position based on our traditionally close ties with that country. We have always believed that constitutional monarchy and multi-party democracy are the twin pillars of stability. We are concerned that disturbing this balance does not serve a long-term interest of the Nepalese people. Our endeavour has, therefore, been to counsel all concerned to avoid the talk of confrontation. This too is based on the continuation of 'no-arms policy'. Mr. Deputy Chairman, our Government can look back over the past nine months or more with a

[10 March, 2005]

RAJYA SABHA

sense of satisfaction. We have had positive and substantive exchanges of visit with leaders from our extended neighbourhood, including leaders from Afghanistan, Myanmar, Nepal, Bhutan and Sri Lanka, as well as my own visits abroad for the first-ever BIMSTEC Summit, for the U.N. General Assembly, for the India-ASEAN Summit and for our Summit with the European Union. There, in these Summit level meetings, I have had the pleasure of interacting with the leaders of many of our important partners, especially, in the South-East Asia. I also had substantial interactions with the leaders of major powers, including President Putin of Russia, Prime Minister Blair of the United Kingdom and President Bush of the United States. We are waiting to receive Premier Wen Ziabao of China and Prime Minister Koizumi of Japan in the next few months.

Sir, as I have said, in the course of discussions with foreign leaders and at world fora, we have articulated our concern on several vital issues of international interest. We have consistently articulated our concern over the situation in the Middle-East to all our interlocutors in a constructive manner. While we remain concerned by the continuing violence in Iraq, we are supportive of the electoral process in that country. We have offered our experience and technical assistance in this process so that sovereignty is soon returned to the Iraqi people. We have also articulated our consistent position on the need for a durable solution to the problem between Israel and Palestinian people and recognising Israel's right to exist.

Similarly, Sir, we are well aware of the fact that the international nuclear order is in a state of a flux, as Shri Jaswant Singhji pointed out. We have been closely monitoring the issue of nuclear proliferation in our neighbourhood and elsewhere. Despite well-known and glaring examples of proliferation, the international community is still looking for reassurances that its interests have been fully addressed. India has, however, been faithful to our principal stand that we will not be the source of proliferation of sensitive technology. As we have consistently said, India remains fully committed to strengthening international efforts to prevent proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery. Our track record in this field is impeccable, and we are committed to strengthen our export control and related arrangements in pursuance of this subject.

Sir, in the final analysis, I cannot but reiterate the fact that where we stand in the world depends entirely on how we manage our affairs at

home. It is with this perspective in mind that the National Common Minimum Programme places great emphasis on policies that re-ensure economic growth with social justice and equity. We are committed to maintaining high rates of economic growth that create new employment and entrepreneurial opportunity. Unless we strengthen our knowledge base, our social and economic infrastructure, our agrarian economy, we cannot sustain these high rates of growth. This, Sir, is the essence of the President's Address, and I am sure that the hon. Members will wholeheartedly endorse this sentiment. With these words, I once again thank the hon. President for his Address.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the amendments which have been moved to vote. Amendment Nos. 1 to 30 have been moved by Shri Raj Mohinder Singh Majitha.

Amendment Nos. 1 to 30 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 31 to 82 have been moved by Dr. Alladi P. Rajkumar. Dr. Rajkumar, are you withdrawing your amendments, or, should I put them to vote?

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, let me put the focus of my point before the hon. Prime Minister. I am fully satisfied with some of the points which have been made by the hon. Prime Minister. Sir, the point on which I want to focus is this. In Andhra Pradesh. *(Interruptions)*

SHRI VAYALAR RAVI: No, No. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Rajkumar, please try to understand. We already had an extensive debate on it. *(Interruptions)*

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, I will just take five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No further debate is allowed on it.

(Interruptions)

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: I will just take five minutes. I will just focus on three issues.

I leave it to the conscience of the Prime Minister. Today, political murders are occurring in Andhra Pradesh. The Prime Minister has not talked on it. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Rajkumar, please cooperate. I put Amendment Nos. 31 to 82 to vote.

Amendment Nos. 31 to 82 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri S.S. Ahluwalia is not there, now I put Amendment Nos. 83 to 112 to vote.

Amendment Nos. 83 to 112 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Pyarelal Khandelwal, are you withdrawing the Amendments or shall I put them to vote?

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): सर, मुझे वापस नहीं लेना है। मैं इस पर बोलना चाहता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now I put Amendment Nos. 157 to 169 to vote.

Amendment Nos. 157 to 169 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Smt. Sushma Swaraj has Amendment No. 170. Are you withdrawing it or shall I put it to vote?

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, इस पूरे अभिभाषण में महिलाओं का कहीं उल्लेख नहीं है। मेरा एक ही संशोधन है और चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी इसे स्वीकार करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now I put Amendment No. 170 to vote.

Amendment No. 170 was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 171 to 176 by Prof. R.B.S. Verma, not present. Now I put these Amendments to vote.

Amendment Nos. 171 to 176 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 209 and 210, by Dr. P.C. Alexander. Are you withdrawing, Dr. Alexander?

DR. P.C. ALEXANDER: Sir, I am withdrawing them.

Amendment Nos. 209 to 210 were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:—

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are

deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 25, 2005."

The motion was adopted.

STATEMENTS BY MINISTER

Constitution of National Disaster Management Authority

THE MINISTER OF HOME (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, the country has witnessed some major disasters in the past few years; with the super cyclone in Orissa in the year 1999, the earthquake in Bhuj in 2001 and the recent Tsunami. In the light of these experiences, a need has been felt for an institutional mechanism which would facilitate drawing up and implementation of plans and projects for mitigation of disasters; taking appropriate preparatory measures by various authorities/departments; and for coordinating response and relief after a disaster strikes.

The approach to disaster management has so far been reactive—responding to disasters after they occur. Not much attention has been paid to mitigation. It is possible to ensure this, provided appropriate mitigation measures are taken so that the next calamity does not result in the loss of property and lives as hitherto fore. It will be the endeavour of the Government to ensure that over a period of time this objective is achieved.

Whereas it has been widely accepted that the country's response to the recent Tsunami was prompt and effective, it is felt that the response to future disasters can be better if appropriate preparedness and capacity measures are put in place. A need has also been felt over time to vest the coordination mechanism with the necessary legislative back up to enable holistic coordination of resources for response.

In the light of the above requirements, it is proposed to enact a law on disaster management which will provide for the requisite institutional and coordination mechanism and powers for undertaking the mitigation measures as also mechanism for ensuring preparedness and capacity building to handle disasters. The Disaster Management Bill, 2005 is proposed to be introduced in the current Budget Session of the Parliament.